Page No. 1

# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक ४ ] तृतीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र, १९६३ का १५ वां दिवस [संख्या ११



सोमवार, दिनांक २ सितम्बर, १९६३

----

विधान सभा की बैठक म० प० २.३१ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

----

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

## तारांकित प्रश्नोत्तर

[ शिक्षा, कृषि, उद्योग, राजस्व, सामान्य प्रशासन, पंचायत, खनिज एवं खादी ग्रामोद्योग-विभाग )

### मिडल स्कूल की मांग-ग्राम केली, तहसील निम्बाहेड़ा

२५७. श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या जिला चित्तौड़गढ़ में बोराव में जो मिडल स्कूल है वह केवल दो कमरों में चल रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(२) क्या तहसील निम्बाहेड़ा के ग्राम केली में जनता के बराबर मांग करने पर भी उनकी मांग को इसलिये स्वीकार नहीं किया जाता है कि वहां तीन कमरे होने के कारण मिडल स्कूल नहीं चल सकता?

उप-मंत्री शिक्षा श्री (निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी नहीं। माध्यमिक शाला बोराव में पांच पक्के कमरें हैं। पंचायत समिति और कमरे बनाने के लिये प्रयत्नशील है।

(२) प्राथमिक शाला, ग्राम केली तहसील निम्बाहेड़ा को माध्यमिक शाला में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव जिला परिषद् अथवा शिक्षा निरोक्षक द्वारा प्राप्त नहीं हुआ। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त होगा तो दूसरे ऐसे ही स्कूलों के साथ साथ इसे भी परिवर्तित करने के प्रश्न पर विचार किया जावेगा, बशर्ते कि निर्धारित शर्तों की पूर्ति करता हो।

Page No. 2



श्री अब्दुलजब्बार। यह जो आपने बताया है वह बोराथ बताया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य: बा पर बिन्दी है।

श्री अब्दुलजब्बार: यह बोराथ है।

श्री निरंजननाथ आचार्य: वही मतलब है। मात्रा अलग हो गई है।

श्री अब्दुलजब्बार: दो कमरों में स्कूल चल रही है।

श्री निरंजननाथ आचार्य: मैंने बताया कि पांच पक्के कमरे हैं।

श्री अब्दुलजब्बार: दो ही हों तो क्या होगा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: मैंने तो निश्चित रूप से कहा है। हाइपोथेटिक्ली नहीं कहा।

श्री अब्दुलजब्बार: आपने फरमाया कि ग्राम केली में मांग नहीं हुई। मैं आपको इस सम्बन्ध में कागजात सामने रखूं तो आप आश्वासन देंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: मैं समझा नहीं।

श्री अब्दुलजब्बार: जिला परिषद् से आपके पास जो कागजात आए हैं अगर उसकी कापी बता दी जावे तो क्या आप आश्वासन देने को तैयार हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य: ऐसा नहीं है। जब तक जिला परिषद और निरीक्षक दोनों सिफारिश न करें।

श्री अब्दुलजब्बार: अगर वे १० वर्ष तक नहीं करें, तो क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): एक प्रश्न।

जितने मिडल स्कूल खुलते हैं वे क्या जिला परिषदों की सिफारिशों के आधार पर ही खुलते हैं या निरीक्षक की राय पर खुलते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: जिला परिषद और निरीक्षक दोनों की राय एक साथ आने पर।

श्री विजयसिंह झाला: निरीक्षक की राय नहीं हो और जिला परिषद की ही हो या दोनों में से एक की हो तो फिर क्या होगा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: हमारी गवर्नमेंट की राय पर रहेगा।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट:

## पाली जिले में बांटे गये बीज की वसूली

३५८. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पाली जिले में १९५० से १९६० तक सालवार रबी व खरीफ में किस किस तहसील में कितना कितना बीज किस किस अनाज का कृषि विभाग द्वारा वितरित किया गया ?

(२) उक्त बीज पर कितना कितना रुपया सालवार खर्च हुआ व कितना रुपया वापिस वसूल किया गया ?

# Page No. 3



(श्री तेजाराम गहलोत)

(३) उक्त बीज किस किस एजेन्सी के मार्फत बांटा गया व रिकवर किया गया ?

(४) उक्त बीज के तहसीलवार व सालवार आंकड़े बताये जायें व किस किस व्यक्ति में कितने कितने रुपये बकाया हैं?

(५) प्रश्न चार में बताये गये व्यक्तियों से इतने समय तक वसूली करने के लिये कृषि विभाग की ओर से क्या क्या कोशिशें स्थानीय अधिकारियों द्वारा की गई व कब कब ?

(६) पंचायत समितियों के बनने से पहले विकास खण्डो मे दिये गये बीज की वसूली के बारे में स्थानीय अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की ?

कृषि मंत्री ( श्री नाथूराम मिर्धा ): अध्यक्ष महोदय, अभी इसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न संख्या ३५६

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमानसिंह चौधरी ।
(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३६०
श्री रामकिशन
(अनुपस्थित)

श्री मानिकचन्द सुराणा।

## डाक्टरी व इंजीनियरिंग की शिक्षा

३६१. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत)। क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) राज्य सरकार ने संकटकाल को देखते हुए क्या डाक्टरी व इंजीनियरिंग की शिक्षा की सुविधाओं को बढ़ाने का निर्णय किया है और क्या इस संबन्ध में कोई कदम उठाये गये हैं ?

(२) क्या पंजाब व मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों ने जो इस सम्बन्ध में कदम उठाये हैं उनसे राज्य सरकार परिचित है ?

(३) क्या सरकार इस बात से भिज्ञ है कि दूसरे कई राज्यों के इंजीनियरिंग कालेजों में राज्य द्वारा दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों को प्रवेश देने में रुकावटें पैदा की हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हीं आधारों पर राज्य के विद्यार्थियों के अधिकारों की रक्षा करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

(४) जोधपुर व पिलानी के इंजीनियरिंग कालेजों में कितने विद्यार्थी हैं ? इसमें राजस्थान के बोनाफाइड निवासी विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है ?

उप-मंत्री शिक्षा ( श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां। मेडिकल कॉलेजों में प्रत्येक में ५० अतिरिक्त सीटें बढ़ा दी हैं तथा इंजीनियरिंग के पोलीटेकनिक्स, अजमेर व कोटा में १९६२-६३ में प्रत्येक में ६० सीटें बढ़ाई जा चुकी हैं।

चालू सत्र में चतुर्थ व पंचम वर्ष में एक्सीलरेटेड कोर्स चालू कर दिया है तथा अन्य सभी मेडिकल कालेज के विद्यार्थियों को पूरक परीक्षाओं द्वारा सुविधा दी जा रही है। वार्षिक परीक्षा अप्रेल, १९६३-६४ के बजाय दिसम्बर, १९६३ में होगी और चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थी बी० ई० परीक्षा अप्रेल-मई, १९६५ के बजाय अक्टूबर, १९६४ में उत्तीर्ण कर सकेंगे।

Page No. 4



( श्री निरंजननाथ आचार्य )

इस फॅकल्टी के २५० से ३१० के प्रवेश में वृद्धि करने के लिये सन् १९६४-६५ से तथा ६० बी० एस सी० पास परीक्षार्थियों के लिये ३ वर्ष के डिग्री कोर्स को प्रारंभ करने के प्रस्ताव कर दिये हैं। ये योजनायें फिजीकल सुविधायें प्राप्त होने पर ही प्रारम्भ की जा सकेंगी।

(२) जी नहीं।

(३) ऐसी कोई सूचना राज्य सरकार के पास नहीं है कि दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों का प्रवेश वर्जित किया हो। राजस्थान के इंजीनियरिंग कालेजों व पोलीटेकनिक्स में राजस्थान के विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाती है।

(४) पिलानी इंजीनियरिंग कॉलेज में कुल १,२१३ विद्यार्थी हैं तथा इनमें राजस्थानी विद्यार्थियों का प्रतिशत ३३ ३८ है और जोधपुर में १,१९८ छात्र हैं जिनमें करीब ५० प्रतिशत राजस्थानी हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा: इंजीनियरिंग में कितनी सीटें बढ़ाई हैं, यह आपने नहीं बताया।

श्री निरंजननाथ आचार्य: इस फॅकल्टी के २५० से ३१० के प्रवेश में वृद्धि करने के लिये सन् १९६४–६५ से तथा ६० बी० एससी० पास परीक्षार्थियों के लिये ३ वर्ष के डिग्री कोर्स को प्रारंभ करने के प्रस्ताव कर दिये हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा: प्रश्न संख्या २ में आपने बताया कि राज्य को कोई जानकारी नहीं है कि पंजाब व मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों ने इस संबन्ध में कदम उठाये हैं। बोनाफाइड रेजीडेन्टों को प्राथमिकता दी जा सके, क्या इस प्रश्न के आने के बाद भी आप .......

श्री निरंजननाथ आचार्य: आप नहीं फरमाते तो भी हम करते।

श्री मानिकचन्द सुराणा: आपने जो जवाब दिया, "जी नहीं"; पंजाब व मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों ने जो इस संबन्ध में कदम उठाये हैं उनसे राज्य सरकार परिचित है? इसका जवाब आपने दिया है कि "जी नहीं"; आप इससे परिचित नहीं हैं।

इसके अलावा आपने जो पिलानी और जोधपुर के आंकड़े दिये हैं और पर्सेन्टेज बताया है कि पिलानी का ३३·३८ और जोधपुर में ५० प्रतिशत; यह आप कहते हैं हम प्राथमिकता देते हैं, ये आंकड़े हमारे सामने हैं, वे आपके कथन से बिल्कुल विपरीत हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य: ५५ पर्सेन्ट मार्कस की सीमा निर्धारित की है। जितनी सीटें होती हैं उसमें राजस्थानियों को प्रिफरेन्स देते हैं और फिर भी नहीं जाते हैं तो पर्सेन्टेज तो वही रहता है। लेकिन हमने प्रोस्पेक्टस में साफ तौर से लिख दिया है। मेडिकल व इंजीनियरिंग सब में सहूलियतें देते हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) इससे तो राजस्थान के लोगों को प्राथमिकता कैसे मिलेगी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: It is a matter of inference.

श्री अध्यक्ष : प्राथमिकता किस तरह से दी जाती है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: मैं मेडिकल के प्रश्न पर आपको बताऊं कि रविन्द्र नाथ टैगोर कॉलेज, उदयपुर के प्रोस्पक्टस में हमने लिखा है कि राजस्थानियों को प्राथमिकता दी जावेगी और उनके फिल-अप होने के बाद दूसरे लोगों को जगह दी जावेगी ।

श्री अध्यक्ष : स्पष्ट नहीं हुआ किस तरह से प्राथमिकता देंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरिट्स के पॉइन्ट पर । ५५ परसेन्ट मिनिमम नम्बर की मांग है । ५५ परसेन्ट के आधार पर राजस्थान के विद्यार्थी आयेंगे उनको एब्जोर्ब करेंगे; उसी तरह निधारित परसेन्टेज तक पिलानी के लिये । मेडिकल कॉलेज के लिये और है, जितनी वेकेन्सीज हैं, राजस्थानियों से भरने हैं, राजस्थानियों के नहीं होने पर बाहर के लेते हैं ।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान के ५० परसेन्ट मार्क्स हैं, उन विद्यार्थियों को लेंगे ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इंजीनिरिंग के लिये ?

श्री अध्यक्ष:–मेडिकल की बात बतावें ।

श्री निरंजननाथ आचार्य: जी हां । राजस्थान के विद्यार्थी अगर इतने हैं कि उनसे सारी सीट्स को फिलअप कर सकते हैं तो उनको लेंगे । राजस्थानी केन्डिडेट्स को ले लेने के बाद में सीट्स बचती हैं, तो बाहर के लेते हैं ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : शिक्षा मंत्रीजी ने गलत आंकड़े दिये हैं । ७१ परसेन्ट से ऊपर मार्क्स वालों को लेते हैं । राजस्थान में स्टेन्डर्ड बहुत कम है इसलिये राजस्थानी बहुत कम आते हैं, कोई प्राथमिकता नहीं है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने कहा कि ४४ परसेन्ट तक मार्क्स वालों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करते हैं, आपका यह स्टेटमेन्ट भी बिल्कुल गलत है । जब तक कम मार्क्स में प्रिफिरेन्स नहीं दें, तब तक किसी तरह उचित नहीं कहा जा सकता ।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय तो कहते हैं कि देते हैं प्राथमिकता ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जिसके ४४ परसेन्ट मार्क्स हैं उसको मेडिकल में लेते हैं, बाहर वालों के लिये भी ४४ परसेन्ट रखा है तो फिर किस तरह की प्राथमिकता देते हैं ?

श्री अध्यक्ष: प्राथमिकता यह हो सकती है कि सारे राजस्थानी विद्यार्थियों को पहले ले लिया जाय । उसमें जगह खाली रह जाती है तो ५० परसेन्ट और ६० परसेन्ट के विद्यार्थियों को बाहर वालों को लेते हैं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा: यह मेडिकल में भी नहीं और इंजीनियरिंग में भी नहीं । जो इंजीनियरिंग और मेडिकल के आंकड़े पेश किये हैं, उनसे साफ जाहिर है कि राजस्थानियों का नम्बर नहीं आता है । तो राजस्थान में ऐसी शिक्षा दी जाय कि ५० परसेन्ट से ६७ परसेन्ट फायदा इन कालेजेज का बाहर वालों को मिले इस प्रकार

(श्री मानिकचन्द सुराणा)
का शिक्षा पर एक्स्पेन्डीचर किसी भी प्रकार प्रोपर नहीं कहा जा सकता।

श्री अध्यक्ष: नियमों के बारे में मंत्री महोदय से बात करलें।

श्री निरंजननाथ आचार्य: Candidate from areas outside Rajasthan may be admitted provided the vacancy exists.

तो हमने यह दिया है। जितने राजस्थानी स्टूडेन्ट हैं उनको एड्मिट करने के बाद में बाहर वालों को लेते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा: किसका है, यह।

श्री निरन्जननाथ आचार्य: रवीन्द्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज, उदयपुर।

श्री मानिकचन्द सुराणा: बीकानेर और जयपुर का क्या है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य: वही है।

श्री अध्यक्ष: जोइन्ट एड्मिशन होता है तीनों कालेजेज का। फिर माननीय मंत्री महोदय से मिल लें और जानकारी कर लें।

प्रश्न संख्या ३६२
श्री मुरलीधर व्यास।
(अनुपस्थित)
श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

हस्त उद्योग एम्पोरियम

३६३. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य में कितने हस्त उद्योग एम्पोरियम हैं? पिछले वर्ष में इन पर सरकार ने कितना खर्च किया तथा उनसे आय कितनी हुई ?

(२) क्या इनसे सरकार को घाटा होता है? यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) (१) वर्तमान में राज्य की एक भी एम्पोरियम नहीं है। क्योंकि जो दस एम्पोरियम राज्य सरकार चला रही थी उनकी स्थिति निम्न प्रकार है:

१. राजस्थान हस्त उद्योग एम्पोरियम, नई दिल्ली।

२. राजस्थान हस्त उद्योग एम्पोरियम, जयपुर।

३. राजस्थान हस्त उद्योग एम्पोरियम, माउन्ट आबू।

उक्त एम्पोरियम लघु उद्योग निगम को दिनांक १-४-६२ को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं।

४. राजस्थान हस्त उद्योग एम्पोरियम, नाथद्वारा–यह एम्पोरियम जुलाई सन् ६१ को बन्द कर दिया गया।

५. राजस्थान हस्त उद्योग एम्पोरियम, उदयपुर।

६. राजस्थान हस्त उद्योग एम्पोरियम, चित्तौड़।

७. राजस्थान हस्त उद्योग एम्पोरियम, अजमेर।

८. राजस्थान हस्त उद्योग एम्पोरियम, बीकानेर।

९. राजस्थान हस्त उद्योग एम्पोरियम, जोधपुर।

१०. राजस्थान हस्त उद्योग एम्पोरियम, कोटा।

(श्री चन्दनमल बैद)

उपरोक्त ६ एम्पोरियम दिनांक २७-६-६२ को राज्य सरकार द्वारा बन्द कर दिये गये।

पिछले वर्ष इन पर २७,६०५) रु० खर्च हुआ और १२,०१६) रु० की आमदनी हुई।

(२) हां, इनसे सरकार को घाटा होता था जिसके मुख्य कारण निम्न हैं :

(१) इन एम्पोरियमों में केवल हस्तकला की वस्तुएं ही बेची जाती हैं जो आम जनता द्वारा प्रायः नहीं खरीदी जाती हैं।

(२) इन एम्पोरियमों को राज्य सरकार द्वारा खोले जाने का उद्देश्य हस्तकला का विकास एवं उसको प्रदर्शन आदि की दृष्टि से प्रोत्साहन देना है। यद्यपि ये एम्पोरियम व्यापारिक संस्थान के रूप में चलाये जा रहे थे किन्तु मुनाफे की दृष्टि से ही उनका संचालन नहीं किया जा सकता था।

प्रश्न संख्या ३६४

श्री अध्यक्ष: श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री नाथूलाल करोल।

## तहसील चाकसू के ग्राम कोटखावदा में भूमि का अलॉटमेंट

३६५ श्री नाथूलाल करोल (चाकसू) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) सन् १६५६ से १६६२ तक ग्राम कोटखावदा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर के किन किन और किस किस जाति के व्यक्तियों को कितनी कितनी जमीन सिवाय चक भूमि में से एलाट की गई? इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। जिन व्यक्तियों को जमीन एलॉट की गई है उनके पिता का नाम भी तालिका में देने की कृपा करें।

(ख) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों को जमीन एलाट की है उनके पिता के नाम खातेदारी है? यदि हां, तो कितनी कितनी जमीन खातेदारी में है?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जिन व्यक्तियों को भूमि एलॉट की है उनके कुछ के पिता के नाम खातेदारी है। विवरण सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री नाथूलाल करोलः जिन व्यक्तियों के नाम खातेदारी एलाट की है, उन व्यक्तियों के पिता के नाम खातेदारी है और उनके पिता के नाम बड़ी बड़ी, दस-दस, बारह बारह बीघा खातेदारी है, तो भी क्या आप उनको लैंडलैस मानेंगे?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तीन चार आदमी ऐसे हैं जिनके पिता के नाम पर खातेदारी है। किसी के ६ बीघा है, किसी के एक बीघा है, किसी के कुछ बीघा है। एक आदमी के नाम पर १६ बीघा है। इन चार आदमियों को जमीन दी है जिनके पिता के नाम पर जमीन है और उनके नाम पर भी है। लैन्डलैस टीनेन्ट्स की डेफिनेशन में यह लिखा है कि धारा ५३ के तहत मिनिमम लैन्ड प्रेस्काइब्ड है वह भी लैंडलैस टीनेन्ट माना जायगा।

Page No. 8



श्री नाथूलाल करोल : ५६६ "ख" भाग का १८ हैं उसको १५ बीघा जमीन दी, उसके नाम पर पहले जमीन है और उसने जमीन बेची है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि ये रूल्स हैं उनमें डेफिनिशन है :

"which is less than the minimum area according to Section 52 of the Tenancy Act.........."

और टिनेन्सी एक्ट ५२ के तहत चाकसू के लिये ४० एकड़ मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड है ।

श्री नाथूलाल करोल : एक तरफ तो अलॉट की जाय और दूसरी तरफ जमीन बेची जाय, यह कहां तक उचित है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मैंने कहा कि सैकड़ों आदमियों को अलाट किया, उनमें चार केसेज ऐसे पोइन्ट आउट हुए हैं । जो आपने पोइन्ट आउट किया है वह एक ही है ।

श्री नाथूलाल करोल : क्या माननीय मंत्री महोदय इसके लिये एन्क्वायरी करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: एन्क्वायरी की कोई आवश्यकता नहीं, हमारी सूचना से स्पष्ट है ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या एलॉटमेन्ट के ये रूल्स हैं कि जमीन अलॉट की जाय वह १० साल तक नहीं बेची जा सकती ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अलॉट शुदा नहीं बेची है ।

श्री नाथूलाल करोल : उसकी खातेदारी में है उस जमीन को बेचा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने आपके प्रश्न का जवाब दिया है । मैंने यह कहा है कि जो जमीन अलॉट की है वह नहीं बेची है ।

श्री नाथूलाल करोल : उसकी खातेदारी में थी उनको बेच दी और जमीन अलाटमेन्ट करवा लिया, यह का लीगल है या इल्लीगल है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं, वह, इस प्रकार नहीं है ।

प्रश्न संख्या ३६६

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्र नाथ हांडा । (अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह झाला ।

### राजस्थान स्माल इन्डस्ट्रीज़ कोर्पोरेशन

३६७. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

१. क्या राजस्थान स्माल इन्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन बना हुआ है ? यदि हां, तो उसमें कितने सदस्य हैं ?

२. इन सदस्यों की नियुक्ति या चुनाव किस तरह होता है ?

३ क्या हस्तकला के काम करने वालों का प्रतिनिधि भी उसमें है ? यदि नहीं, तो क्या भविष्य में इनका प्रतिनिधित्व रखने का सरकार विचार रखती है ?

उप-मंत्री, लघु-उद्योग (श्री चन्दनमल वैद): (१) जी हां, लघु उद्योग निगम लि० बना हुआ है तथा इसमें १२ सदस्य हैं ।

( श्री चन्दनमल वैद )

(२) इसमें से निम्न ८ राज्याधिकारी पदेन मनोनीत सदस्य होते हैं:—

(१) उप-मंत्री, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर ।

(२) शासन सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार ।

(३) संचालक, उद्योग एवं रसद विभाग, राजस्थान ।

(४) वित्त सचिव, राजस्थान सरकार ।

(५) रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान ।

(६) कानूनी सलाहकार, राजस्थान सरकार।

(७) उप-शासन सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार ।

(८) संयुक्त संचालक, उद्योग विभाग (हस्तकला) राजस्थान।

(९) महा व्यवस्थापक, राजस्थान लघु उद्योग निगम लि०, जयपुर।

इसके अतिरिक्त निम्न ३ सदस्य राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के उद्योगपतियों में से मनोनीत किये जाते हैं:–

१. श्री कस्तूरमल शाह
२. श्री आनन्द सिंह कछावाह
३. श्री जी० आर० तोशनीवाल

(३) हस्तकला के काम करने वालों का कोई प्रतिनिधि नहीं हैं, किन्तु हस्तकला विशेषज्ञ श्री जी० एस० शुक्ला, संयुक्त संचालक, उद्योग एवं रसद विभाग (हस्तकला ) इसके संचालक मंडल में हैं ।

श्री विजय सिंह झाला: क्या यह सही है कि जयपुर के हस्तकला का काम करने वालों के तथा दूसरों के आवेदन-पत्र आये कि उनके रिप्रेजेन्टेटिव्ज इसमें लिये जायें।

श्री चन्दनमल वैद: मुझे जानकारी नहीं ।

एक माननीय सदस्य: क्या हस्तकला के विशेषज्ञ जानते हैं कि हस्तकला का काम करने वालों को कितनी तकलीफें हैं?

(विराम)

श्री विजयसिंह झाला: क्या यह सही है कि १२ में से ११ सरकार द्वारा नोमिनेट किये जाते हैं, तो क्या सरकार ऐसे एक रिप्रेजेन्टेटिव की संख्या बढ़ाना चाहती है जो हस्तकला का काम करने वालों का प्रतिनिधित्व कर सके?

श्री चन्दनमल वैद: सदस्य संख्या बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं ।

श्री विजयसिंह झाला: अगर प्रतिनिधि सही प्रतिनिधित्व करने के लिये ही रखे जाते हैं तो हस्तकला का काम करने वालों का सही रूप में उनका प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व कर सके, इसके लिये उनके एक प्रतिनिधि को रखने पर सरकार विचार नहीं कर सकती ?

श्री चन्दनमल वैद: जितने प्रतिनिधित्व की जरूरत है उतना प्रतिनिधित्व हो रहा है ।

श्री विजयसिंह झाला: सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि सारे के सारे सरकार

# Page No. 10



(श्री विजय सिंह झाला)
द्वारा नोमिनेट किए हुए हैं। तो क्या आप उनके एसोसियेशन या उनके द्वारा चुने हुए किसी प्रतिनिधि को स्थान देंगे, यदि वे भजें? क्या इस प्रकार का प्रावधान आप इसमें करने के लिये तैयार हैं?

श्री चन्दनमल वैद: जी नहीं।

श्री विजयसिंह झाला: इसका क्या कारण है?

अध्यक्ष: श्री गोकुलप्रसाद।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मॉडल): विभाग के जितने आपने नोमिनेट किये हैं और बाहर के जितने नोमिनेट किये हैं, ये लघु उद्योग चलाने वाले हैं या कलाकार हैं, कौन लोग हैं?

श्री चन्दनमल वैद: लघु उद्योग चलाते हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: इनमें से कौन कौन से लघु उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हैं?

श्री चन्दनमल वैद: तीनों ही करते हैं।

श्री विजयसिंह झाला: क्या इस प्रकार का क्राइटेरिया बना रखा है कि बाहर से लोग लिये जावेंगे उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी?

श्री चन्दनमल वैद: इसकी आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न संख्या ३६८

श्री अध्यक्ष: श्री मजलिसखां
(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल।

## सूरतगढ़ व जैतसर फार्म्स

३६९. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) [श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) द्वारा पूछा गया]: Will the Agriculture Minister be pleased to state:—

1. What are the the terms of lease of the land given or proposed to be given to the Government of India for organising central mechanised farms at Suratgarh and Jetsar?

2. What is the scheme of the Government to resettle the affected peasants?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा): (१) सेन्ट्रल मेकेनाइज्ड फार्म, सूरतगढ़ के लिये भारत सरकार को लीज पर जमीन दी गई, उसकी शर्तें अभी तक तय नहीं की गई हैं और जैतसर में अभी तक मेकेनाइज्ड फार्म स्थापित नहीं किया गया है।

(२) सूरतगढ़ मेकेनाइज्ड फार्म स्थापित होने से प्रभावित कृषक पूरी तरह बस चुके हैं। जैतसर मेकेनाइज्ड फार्म के स्थापित होने पर भी प्रभावित कृषक इसी तरह बस जावेंगे।

श्री श्योपतसिंह: क्या सरकार ने यह जरूरी नहीं समझा कि सूरतगढ़ फार्म के लिए पहले से ही भारत सरकार से कोई फैसला कर लिया जाय?

श्री नाथूराम मिर्धा: यह दो सरकारों के आपस का मामला है।

श्री श्योपतसिंह: मामला है, तब ही तो इसको पहले से ही तय करना चाहिये था!

# Page No. 11



श्री नाथूराम मिर्धा: यह जरूरी नहीं है। कई बातें सरकारों के आपस में चल रही हैं।

श्री श्योपतसिंह: यह बिलकुल साफ बात है कि या तो केन्द्रीय सरकार से जमीन की कीमत लो या उनको लीज़ पर दो।

श्री नाथूराम मिर्धा: लीज़ पर ही देने की बात है। लीज़ की शर्तों के बारे में कुछ उनका कहना है और कुछ हमारा। कोई बात अभी फाइनल नहीं हुई है।

श्री श्योपतसिंह: कब तक फाइनल हो जायगी, कई साल से चल रही है।

श्री नाथूराम मिर्धा: जल्दी हो जायगा। दो-चार महिनों में हो जायगा।

श्री अध्यक्ष: श्री हरिप्रसाद।

## पंचायत समितियों के ट्रेन्ड अध्यापकों की ग्रेड

३७०. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति में काम करने वाले ट्रेन्ड अध्यापकों को उनकी ग्रेड के अनुसार तनख्वाह नहीं दी जाती?

(२) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग के अन्तर्गत काम करने वाले ट्रेन्ड अध्यापकों व पंचायत समिति के ट्रेन्ड अध्यापकों की ग्रेडों में भारी अन्तर है?

(३) यदि हां, तो शिक्षा विभाग के ट्रेन्ड अध्यापकों की ग्रेड क्या है और पंचायत समिति में क्या है?

(४) क्या यह सही है कि पंचायत समिति के अध्यापकों के वेतन में इस प्रकार भारी अन्तर होने से असंतोष बढ़ रहा है?

(५) क्या यह सही कि अध्यापक संघ के द्वारा इस पक्षपात को शीघ्र दूर करने की मांग की गई है?

(६) क्या यह भी सही है कि पाटन पंचायत समिति व जिला परिषद् ने भी अध्यापकों की मांग को उचित समझ कर समान वेतन करने की मांग की है?

(७) यदि हां, तो सरकार इस पर क्या निर्णय लेना चाहती है?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य): (१) दिनांक १-९-६१ से पहले तमाम ट्रेन्ड अध्यापकों को ट्रेन्ड ग्रेड न तो पंचायत समितियों में ही दी गई और न सरकारी स्कूलों में ही।

(२) जी नहीं।

(३) दोनों स्थानों के अध्यापकों की दिनांक १-९-६१ से थर्ड ग्रेड ७५-४-९५ ५-१०५ ई० बी० ५-१३० ई० बी० ५-१६० है।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता, वे संतुष्ट हैं।

(५) जी नहीं।

(६) जी नहीं।

(७) प्रश्न ही नहीं उठता। यह निर्णय कभी से ले लिया गया।

श्री हरीप्रसाद शर्मा: क्या यह सही है कि पंचायत समिति में ट्रेन्ड अध्यापकों

Page No. 12



( श्री हरिप्रसाद शर्मा )
और शिक्षा विभाग में ट्रेन्ड अध्यापकों की ग्रेड में भारी अन्तर है?

श्री निरंजननाथ आचार्य: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न कई बार आ चुका है। १-६-६१ से पहले न तो पंचायत समितियों में और न सरकारी स्कूलों में ट्रेन्ड अध्यापकों को यह दिया गया। १-६-६१ के बाद दूसरी ग्रेड रिवाईज् हो गई। सारा प्रश्न फिक्सेशन पर आश्रित है। ट्रेन्ड ग्रेड तीन भागों में विभाजित हो गई है। पंचायत समिति और सरकार शिक्षणालय के ट्रेन्ड अध्यापकों की ग्रेड में अब कोई अन्तर नहीं रहा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) क्या आप ऐसा समझते हैं कि १-६-६१ से पहले सरकारी स्कूलों में ट्रेन्ड अध्यापक की ग्रेड नहीं दी जाती थी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: यह मैंने प्रश्न के उत्तर के प्रथम भाग में ही कह दिया था कि १-६-६१ से पहले तमाम ट्रेन्ड अध्यापकों को ट्रेन्ड ग्रेड न तो पंचायत समितियों में ही दी गई और न सरकारी स्कूलों में ही।

श्री भैरोंसिंह: मैं समझता हूं यह उत्तर सही नहीं होगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य: मैं फिर वेरीफाई कर लूंगा।

श्री भैरोंसिंह: १-६-६१ के बाद पंचायत समितियों में जो ट्रेन्ड ग्रेड है, क्या उसका फायदा उपलब्ध करा दिया गया? क्या वह आॅडर इम्पलीमेन्ट करा दिया गया पंचायत समितियों से ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: इम्प्लीमेन्ट ही समझा जाना चाहिये। जिस दिन से यह हुक्म जारी हुआ है, उसी दिन से वह ग्रेड मिलेगी।

श्री भैरोंसिंह: मिल रही है या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: यह मैं नहीं कह सकता। १-६-६१ के बाद रिवाइज्ड पे स्केल्स सब पर लागू हैं। मिलना चाहिये और नहीं मिली है, तो एरीयर्स मिलेंगे।

श्री भैरोंसिंह: १-६-६१ की आज्ञा कब जारी की की गई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: पहले यह प्रश्न आया था तो मैंने सारी तारीखें भी बता दी थी कि कब यह शाया हुआ, गवर्नमेन्ट से कब निकला और कब से यह लागू है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा: आपकी यह जानकारी में है या नहीं कि ग्रेड में अन्तर है या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: तीन दफा मैंने दोहराया है कि नहीं, नहीं, नहीं; जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने फरमाया तो मैंने निवेदन किया था कि निश्चिन्त मत का हूं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): १-६-६१ के बाद पंचायत समिति में और शिक्षा विभाग के अध्यापक की ग्रेड में फर्क है, क्या यह सही है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: फर्क कहां से लाये।

श्री विजयसिंह झाला: १-६-६१ को पंचायत समिति में जो अध्यापक थे वे

( श्री विजयसिंह झाला )
मेट्रीक गेड में थे या पंचायत समिति में और शिक्षा विभाग के स्कूलों के अध्यापकों की ग्रेड में कोई फर्क था ?

श्री निरंजननाथ आचार्यः इसका मैं प्रश्न के भाग १ में उत्तर दे चुका हूं और उसको दोहरा भी चुका हूं ।

श्री भैरोंसिंहः पंचायत समिति और सरकारी स्कूलों में काम करने वाले किसी प्रकार का ट्रेन्ड अध्यापकों की ग्रेड में कोई अन्तर नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्यः ट्रेन्ड अध्यापक की ग्रेड है ।

श्री भैरोंसिंहः एक क्वालिफिकेशन्स के ही हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्यः जी हां

श्री भैरोंसिंहः मैट्रिक ट्रेन्ड भी होते हैं और आगे भी होते हैं । क्या ये जितने ट्रेन्ड हैं अध्यापक उनमें कोई अन्तर नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्यः जो पंचायत समिति में और सरकारी शिक्षणालयों में ट्रेन्ड ग्रेड है, उसमें कोई अन्तर नहीं है ।

श्री भैरोंसिंहः क्या यह सही है कि १-९-६१ की आज्ञा मेट्रिक ट्रेन्ड पर ही लागू है ?

श्री निरंजननाथ आचार्यः सब ही पर लागू है ।

श्री अध्यक्षः मिनिमम ग्रेड है प्राइमरी स्कूल के लिए, उस पर लागू है ।

श्री निरंजननाथ आचार्यः १-९-६१ के बाद लागू है ।

श्री भैरोंसिंह : पहले मेट्रिक पर लागू है ।

श्री अध्यक्ष : प्राइमरी स्कूल में मेट्रिक ही होता है ।

श्री भैरोंसिंह : बी० एड० बैठे है । जितने भी ट्रेन्ड हैं उन सबके लिए लागू है क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मिनिमम यह ग्रेड है ।

श्री अध्यक्ष : श्री जोधसिंह चौहान ।

## ग्राम देबारी, तहसील गिरवा के देवड़ा राजपूतों को जमीन

३७१. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि भूतपूर्व मेवाड़ राज्य के समय गिरवा तहसील का ग्राम देबारी वहीं के निवासी देवड़ा राजपूतों को मिला हुआ था और उसके एवजाने में वे वहां के देवड़ा देबारी दरवाजे पर पारी २ पहरा दिया करते थे ?

(२) क्या यह सही है कि वहां की जमीन के मालिक उस समय वही थे ?

(३) क्या यह भी सही है कि गांव देबारी के निवासी देवड़ों के हर कुटुम्ब के पास १५ बीघा से अधिक भूमि नहीं है ?

(४) क्या यह सही है कि जब जागीरों का पुनर्ग्रहण हुआ तब उन्होंने भी अपना गांव सरकार को सौंप दिया और जमीन आपस में सभी देवड़ों ने बांट ली जो आज भी उनके कब्जे में है और उस पर वे खेती करते हैं ?

# Page No. 14



(श्री जोधसिंह चौहान)

(५) क्या यह सही है कि वह भूमि अभी भी उनके नाम पर दर्ज नहीं की जारही है और उनको हटाने के लिये नोटिस देदिये गये हैं ?

(६) क्या सरकार उक्त देवड़ों के पास भूमि की कमी को दृष्टिगत रखते हुए उनके कब्जे की भूमि को उन्हीं के खाते कर देने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, राजस्व ( श्री रामप्रसाद लड्डा ) : (१) जी हां।

(२) ग्राम देबारी, देवड़ा राजपूतों के जागीर में था, इस वजह से भोग के मालिक देवड़ा राजपूत थे। जिन काश्तकारान के नाम खड़म दर्ज हुई उसके जमीन के खड़मदार काश्तकारन रहे।

(३) हर कुटुम्ब के पास १५ बीघा से अधिक भी भूमि है और कम भी।

(४) गांव सरकार में रिज्यूम हुआ परन्तु जमीन आपस में देवड़ों ने बांटी या नहीं, इसका इल्म नहीं है क्योंकि जब तक बांटी हुई जमीन का रद्दोबदल उन व्यक्तियों के नाम न हो जाय, बांटना नहीं कहा जा सकता।

(५) जो जमीन कागजात में बिला नाम दर्ज है और आसमियों का नाजायज कब्जा है और काबिज ने पट्टे या अन्य सबूत पेश कर अपना कब्जा साबित नहीं किया है या काश्त न कर जमीन में बीड़ रख छोड़े हैं उनके खिलाफ तहसील में कार्यवाही दर पेश है और चन्द लोगों को कायदे के अनुसार नोटिस भी दिये गये हैं।

(६) नियमानुसार कार्यवाही होगी।

श्री जोधसिंह चौहान : क्या यह सही है कि ज्यादातर किसानों के पास १५ बीघा से कम जमीन है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कुछ लोगों के पास ज्यादा भी है और कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास कम है।

श्री जोधसिंह चौहान : क्या ८० प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनके पास १५ बीघा से कम है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : परसन्टेज तो मैं नहीं बता सकता।

श्री जोधसिंह चौहान : ऐसे लोग भी हैं जिनके पास जमीन नहीं के बराबर है, फिर भी जब जागीरें मर्ज हुई तब उनकी भी काबिल काश्त जमीन थी वह खेती के काम में लेली गई। वे लोग पढ़े लिखे नहीं थे इसलिये सरकार ने जब जागीरें रिज्यूम की तब वे लिखकर नहीं दे सके जो उनकी जागीर का हिस्सा है। ६१ में जब फार्म भरे गये तो नाजायज कब्जे के फार्म भर दिये फिर भी उन्होंने काश्त नहीं की। कारण यह कि यह सब पटवारी की इच्छा पर निर्भर है। पुराने कब्जे के लिये जब तक रिश्वत नहीं देते हैं तब तक उनके खाते में नहीं की जाती है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: अध्यक्ष महोदय, वहां पर दो तरह के आदमी हैं। एक तो वे जो बिला नाम की है और उनकी नहीं है। उस पर कब्जा है जो नाजायज कब्जा है। सरकूलर जो निकला है उसके द्वारा रेगुलेराइज करना चाहते हैं तो उसके अनुसार शर्तें पूरी करनी होंगी। जैसा कि जवाब में निवेदन किया है जो भी खेती करते हैं उनकी समस्या को रेगुलेराइज् किया जा सकता है। लेकिन कुछ जो कल्टीवेटर्स नहीं

(श्री रामप्रसाद लड्ढा) हैं फिर भी चराने के लिये भूमि रखते हैं जो सरकूलर में शामिल नहीं उससे बेदखल करना चाह रहे हैं; कानून से कराया जा सकता है।

श्री जोधसिंह चौहान : जिस किसान के पास दस बीघा जमीन है उसमें से वह अगर ६ बीघा पर खेती करता है और चार बीघा जानवरों के लिये रख छोड़ता है तो ऐसा वह कर सकता है या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके लिये यह निवेदन है वह ऐसी जमीन है जो नाजायज कब्जे की जमीन है जिसके ऊपर कल्टीवेशन नहीं किया जाता है, बीड़ के लिये रखते हैं, घास के लिये रखते हैं, उसको सरकूलर द्वारा लाभ देने की मन्शा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : क्या ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि जो भूमि खाली पड़ी है वह अलोट की जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अलोटमेन्ट के लिये प्रार्थना-पत्र दें। अगर वे भूमिहीनों की तारीफ में आते हैं तो जहां भूमिहीनों को बसाने की सरकार की योजना है जमीन उपलब्ध होने पर उनको जमीन दी जा सकती है।

श्री जोधसिंह चौहान : अलोटमेन्ट के लिये फार्म भर रखे हैं।

श्री अध्यक्ष : अलोटमेन्ट कमेटी में माननीय सदस्य भी हैं जिनके पास १५ बीघा से कम है या बिल्कुल नहीं है उनको दिला सकते हैं।

प्रश्न संख्या ३७२
श्री भीमसेन।
(अनुपस्थित)

### तहसील हुर्डा के गांव

३७३ श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) तारीख १५-६-६२ के पहले हुर्डा तहसील में कितने गांव थे और वार्षिक भू-राजस्व की आमदनी और जनसंख्या क्या थी तथा क्षेत्रफल कितना था ?

(२) क्या हुर्डा में तहसील की नई इमारत नहीं है ?

(३) तारीख १५-६-६२ के पहले बनेड़ा तहसील में कितने गांव थे, वार्षिक भू-राजस्व-क्षेत्रफल कितना था तथा जनसंख्या कितनी थी ?

(४) क्या बनेड़ा तहसील की इमारत सरकार द्वारा बनाई गई थी ?

(५) क्या यह सही है कि तारीख ११-६-६२ को रात्री के २ बजे बनेड़ा तहसील के कागजात व सामान ताले तोड़ कर भीलवाड़े ले जाये गये थे ?

उप-मंत्री राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) (१) तहसील हुर्डा में दिनांक १५-९-६२ के पूर्व कुल ६८ ग्राम थे, जिनका क्षेत्रफल १,५२,३६० एकड़ था। भू-राजस्व १,६५,५८४ रु० तथा जनसंख्या १९६१ की गणना के अनुसार ४६,४७० थी।

(२) जी नहीं। हुर्डा में पहले से तहसील कार्यालय भवन मौजूद है।

(३) तहसील बनेड़ा में १५-६-६२ के पहले ६५ ग्राम थे जिनका क्षेत्रफल १,८६,६४६ एकड़ था। भू-राजस्व २,२४,०२३ रु०

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
तथा जनसंख्या १९६१ की गणना के अनुसार ५६,६४६ थी ।

(४) जी हां ।

(५) जी नहीं ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जैसा कि आपने बताया बनेड़ा तहसील की जनसंख्या, ज्यादा है । गांवों की संख्या ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है, भू-राजस्व ज्यादा है; फिर बनेड़ा तहसील हटाने का क्या कारण है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एडमिनिस्ट्रेटिव और पब्लिक कन्वीनियेन्स के कारण ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : क्या किसी रिपोर्ट को आधार माना है इस तहसील को हटाने में ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह बताना जरूरी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : यह बहस का समय नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) इस संबन्ध में कमिश्नर की रिपोर्ट क्या थी ?

## राजस्थान स्टेट होटल में टैक्सी स्टेन्ड का उपयोग

३७४. श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (माण्डल): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(अ) क्या यह सही है कि राजस्थान स्टेट होटल के अन्दर देवीसिंह की चार टैक्सियां बिना किराए दिये हुए स्टेन्ड का लाभ उठाती हैं ?

(ब) क्या यह भी सही है कि उनके ड्राइवरों को स्टेट होटल के अन्दर रहने को फ्री स्थान दिये हुए हैं ?

(स) क्या यह भी सही है कि सन् १९५८ से टैक्सी मालिकों से वसूल किये जाने वाला १० प्रतिशत कमीशन वसूल नहीं किया जाता है, जिनकी गाड़ियां स्टेट होटल के मेहमानों के लिये प्रयोग में आती हैं ? कमीशन नहीं लिए जाने के क्या कारण हैं ? इस प्रकार की अगर कोई सरकारी आज्ञा हुई हो तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें । यदि नहीं, तो इस नुकसान के जिम्मेवार कौन हैं ?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : (अ) राजस्थान स्टेट होटल में कोई टैक्सी स्टेन्ड नहीं बनाया हुआ है, न कोई किराया वसूल करने के आदेश हैं ।

(ब) जी नहीं । टैक्सी ड्राइवरों को कोई क्वार्टर अलॉट नहीं किया गया है ।

(स) राजस्थान सरकार की कोई आज्ञा १० प्रतिशत रुपया टैक्सियों से वसूल करने की नहीं है । इसलिये बन्द करने का प्रश्न नहीं उठता और न कोई नुकसान के लिये जिम्मेदार है ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : माननीय मंत्री महोदय जरा यह बतावें कि क्या ड्राईवर आज भी नहीं रहते हैं वहां, तो आप मेरे साथ चलिये मैं आपको अभी बताने के लिये तैयार हूं । वहां रहते हैं । वहां उनके चूल्हे-चक्की, बर्तन आदि सब रखे हुए हैं, वे किसी प्रकार का किराया नहीं देते हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : जो वहां पर बरन्डा है वह खाली पड़ा हुआ है जब कभी बरसात होती है ऑर्डिनरिली टैक्सी ड्राईवर वहां सो जाते हैं पैसेन्जरों की सुविधा के दृष्टिकोण से। ज्यादा बरसात जब हो जाती है तो बरन्डे के अन्दर सो जाते हैं और जो टूटा फूटा किवाड़ पड़ा हुआ है प्रिंटिंग प्रेस का उसको लगा देते हैं। मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सोने की इजाजत जरूर दी जाती है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : सन् १९५८ से पहले आप दस परसेन्ट क्या नहीं लेते थे? जो भी टैक्सी किराया आता था जैसे ५००) रुपये आये तो उसमें से ४५०) रु० वो ले लेते थे और ५०) रुपया अपने को मिलता था। यह सन् १९५८ से बिल्कुल बन्द कर दिया गया तो, उससे राज्य सरकार नुकसान में रहती है। क्या राज्य सरकार ने किसी ऑर्डर से बन्द कर दिया या बगैर ऑर्डर के?

श्री परसराम मदेरणा : सन् १९५५ में सरकार ने आदेश जारी किया था टूरिस्ट गाइड के संचालक ने यह इच्छा जाहिर की थी कि वे अच्छी गाड़ियां पैसेन्जरों के लिय लगाना चाहते हैं। हमने इस शर्त पर इसको स्वीकार किया कि अगर वे दस परसेन्ट हमें दें तो प्राइवेट टैक्सी ऑनर्स को हम इजाजत दे सकते हैं लेकिन फिर सरकार ने २७-६-५५ को अपने आदेश वापिस ले लिये। उसके बावजूद भी वहां के सरकिट हाउस के जो मैनेजर थे वह खुद कमीशन वसूल करते रहे, आज तक वसल करते रहे हैं, हमनें तो जनवरी, ५८ से कमीशन लेना बन्द कर दिया था। हमने वह ऑर्डर टूरिस्ट गाइड सर्विस की मार्फत दिया था। १९५५ में वापिस कर लिया था।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद), ड्राईवर वहां सोते रहते हैं टेक्सियां प्राइवेट हैं तो यह माना जाय कि इस तरह से ड्राईवरों के सोने की इजाजत है तो कोई जाकर सो सकता है। ऐसी हालत मे जब पहले प्राईवेट टैक्सीज् से सरकार में दस परसेन्ट आता था उसको आपने बन्द कर दिया। तो अब क्या सरकार दस परसेन्ट लेने का विचार रखती है?

श्री परसराम मदेरणा : जहां तक टैक्सीज् का सवाल है यह तो कार पार्किंग है। पैसेन्जरों की सुविधा के लिये सरकार की तरफ से आज्ञा के बाद टैक्सी लेजाते हैं। जहां तक क्वार्टर्स ड्राईवरों को अलोटेड है, का प्रश्न ह, इस बारे में निवेदन है कि उनको क्वार्टर अलोट नही किया गया है। बरान्डे के अन्दर बरसात वगैरा होती है उसके लिये इजाजत दी गई है अगर उनको किसी प्रकार के क्वार्टर अलोटेड हैं तो इस बारे में इन्क्वायरी करूंगा कि अगर इस प्रकार अलॉटमेन्ट होता है तो यह रियायत देना सही है या नहीं? दूसरा आपने यह प्रश्न किया कि सरकार दस परसेन्ट लेने के बारे में क्या विचार कर रही है? यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है कि आया प्राइवेट टैक्सी ओनर्स को पैसेन्जर उठाने के लिये ठेका दिया जाय या सरकार अपनी खुद की गाड़ियां चलायें? यह सरकार के विचाराधीन है। जल्दी से जल्दी लेटेस्ट बाई ए वीक डिसीजन ले लिया जायगा।

Page No. 18



श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): क्या आप मोटर गैरेज से गाड़ियों का इन्तजाम नहीं कर सकते, उन लोगों के लिये जो महानुभाव वहां ठहरते हैं या सरकारी अधिकारी ठहरते हैं उनको स्टेट गैरेज की कारों में ले जाया जा सके।

श्री परसराम मदेरणा: टूरिस्ट होटल के पास प्लाई माउथ गाड़ियां हैं, वे कोप विद् नहीं कर सकतीं, पैसेन्जर ज्यादा आते हैं इसलिय प्राईवेट टैक्सीज् को इजाजत दे रखी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): रोडवेज् की गाड़ियों का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? रोडवेज् की इस प्रकार रिपोर्ट्स हैं कि उनके पास गाड़ियां हैं उनको टूरिस्ट के प्रयोग में क्यों नहीं लिया जाता है?

श्री परसराम मदेरणा: बसेज् हैं उनके पास।

श्री मानिकचन्द सुराणा: स्टेट मोटर गैरेज के पास कार्स हैं जो बेकार पड़ी रहती हैं। मिनिस्टरों के काम आती हैं, वे भी पैसेन्जरों के लिये काम में क्यों नहीं ली जाती हैं?

श्री परसराम मदेरणा: जो गाड़ियां स्टेट गैरेज में रहती हैं वे रिक्वीजीशन पर भेज दी जाती हैं चाहे वह मांग स्टेट होटल से आये या टूरिस्ट डिपार्टमेन्ट से। उनके लिये सरकारी गाड़ियां उपलब्ध करने का प्रश्न विचाराधीन है; जिस पर जल्दी से जल्दी निर्णय ले लिया जायगा।

## कूओं में मशीन लगाने हेतु धन-राशि, ग्राम बोरावड़, तहसील परबतसर

३७५. श्री गंगासिंह (जायल): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(अ) क्या यह सत्य है कि ग्राम बोरावड़, तहसील परबतसर, जिला नागौर की पंचायत को पानी के कुए में मशीन लगाने हेतु सन् १९५५-५६ में १०,००० रु० दिये गये थे?

(ब) क्या पंचायत ने इस राशि का उपयोग किया है?

(स) अगर इस राशि का उपयोग नहीं हुआ है, तो क्यों? अगर उपयोग हुआ है, तो किस प्रकार?

(द) अगर यह राशि उपयोग में नहीं आई है, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उप-मन्त्री पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवान) (अ) जी हां। दो किश्तों में १०,००० रु० दिये गये थे किन्तु ग्राम बोरावड़ पंचायत समिति मकराना में है।

(ब) जी हां।

(स) इन्जन फिट कर दिया गया है।

(द) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री गंगासिंह: क्या यह सच है कि मशीन के लिये रुपया दिया गया था पर वह मशीन खरीदने में खर्च नहीं हुआ। फिर इसके उपरान्त आज मशीन भी वहां पर नहीं है।

# Page No. 19



श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मशीन खरीद ली गई थी पर चालू नहीं है। पंचायत उसे चला सकती है। रोजाना का खर्चा चाहिये। यह पंचायत का काम है कि वह चालू करे।

श्री गंगासिंह : मशीन में कितना खर्चा हुआ था ?

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : अलग अलग डिटेल मेरे पास अभी नहीं है। यह सूचना जरूर है कि कुए में पम्प लगा दिया गया था।

श्री गंगासिंह : शुरू में कितना खर्चा हुआ ?

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : मैंने निवेदन किया कि यह ब्योरा इस समय मेरे पास नहीं है। रुपया दिया गया और उसका उपयोग पूरे तौर से कर लिया गया।

श्री गंगासिंह : क्या यह सही है कि मशीन लगाई गई थी पर उसके कल पुरजे खराब थे इसलिये उसको बाद में निकाल दिया गया और वह मशीन आज पंचायत के पास भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर): क्या यह विभाग ने जांच की कि यह मशीन उपयोग में भी लाई गई या नहीं ? ५५-५६ से आज सन् १९६३ तक सात सालों में मशीन उपयोग में क्यों नहीं लाई जा रही है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पंचायत समिति ने नोटिस दिया है कि क्यों नहीं इसका उपयोग किया जा रहा है ? पहले के सरपंच ने दूसरी बार पंचायत का चुनाव हो गया था तो सारा चार्ज सम्भला दिया था। पंचायत समिति ने दो नोटिस दिये हैं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या यह सही है कि आपने जितना रुपया दिया उसकी मशीन उन्होंने खरीद ली ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: हम किश्तें देते ही तब हैं जब मशीन खरीदली जाती है। दूसरी किश्त तभी दी जाती है जब पहली किश्त का उपयोग वे कर लेते हैं। तो इस तरह दूसरी किश्त का सामान भी ले आये हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट प्राप्त कर लिया है क्या ?

श्री अध्यक्ष : नेक्सट।

## राजियावास में हायर सैकन्डरी स्कूल की मांग

३७६. श्री कुमारानन्द (ब्यावर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजियावास की जनता कई वर्षों से हायर सैकन्डरी स्कूल की मांग कर रही है ?

(२) क्या यह सही है कि भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री श्री सुखाड़ियाजी ने गांव वालों के सामने जुलाई, ६२ से ही हायर सैकेन्डरी स्कूल खोलने की घोषणा की थी ?

(३) क्या यह सही है कि माननीय सुखाड़ियाजी के कहने पर गांव वालों ने

Page No. 20



( श्री कुमारानन्द )
चार कमरों के लिये पत्थर डाल दिये हैं और जितमे कमरों की आवश्यकता हो गांव वाले बनाने को तैयार हैं, बशर्तें कि सरकार की ओर से हायर सैकेन्डरी स्कूल खोलने के लिये लिखित आश्वासन प्राप्त हो?

उप-मन्त्री, शिक्षा ( श्री निरंजननाथ आचार्य ): (१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां। १९६२-६३ में कोई भी स्कूल जुनियर हायर सैकन्डरी स्कूल नहीं बनाया गया। यदि राजियावास की जनता ३ वर्ष के लिये (आवर्तक व अनावर्तक) ६३,६०० रुपये खर्च करने को तैयार हो तथा प्रथम वर्ष में १६,१०० रु० जमा करावें, तो सरकार की निर्धारित शर्तों को ध्यान में रख कर विचार किया जा सकता है।

श्री अब्दुलजब्बार ( निम्बाहेड़ा ): यह सरकार एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स जनता के हाथ में क्यों नहीं सौंप देती? क्या सरकार इस पर विचार कर रही है?

(उत्तर नहीं दिया गया)

ट्राइबल ब्लॉक, पंचायत समिति, सीमलवाड़ा

३७७. श्री विजयपाल (डूंगरपुर): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या पंचायत समिति, सीमलवाड़ा को ट्राइबल ब्लॉक घोषित किया गया है? यदि हां, तो कब से?

उप-मंत्री, पंचायत ( श्री भवानीशंकर नन्दवाना): जी हां, दिसम्बर सन् १९६२ में।

श्री विजयपाल: क्या वहां काम हो रहा है?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: काम तो हो ही रहा है।

श्री विजयपाल: कोई काम नहीं हो रहा है।

मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स, भीलवाड़ा

३७८. श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स, भीलवाड़ा पर सरकार का नियन्त्रण कब से है?

(२) सरकारी नियन्त्रण होने से पूर्व मिल के मालिकों में मिल के मजदूरों का कितना वेतन, भत्ता व बोनस बाकी थी?

(३) इन रकमों में से कितना कितना भुगतान हुआ? शेष कितना है और उसका भुगतान कब कर दिया जायगा?

(४) सरकारी नियन्त्रण की अवधि में कितने मुनाफे के आधार पर कितना बोनस होता था और उसका कब कितना भुगतान किया?

(५) सरकारी नियन्त्रण के पश्चात् कितने मजदूरों को हटाया गया और कितने मजदूरों को सस्पेण्ड किया गया?

(६) सरकारी नियन्त्रण में आने से पूर्व की मजदूरों के वेतन, भत्ता आदि सुविधाओं में और नियन्त्रण के पश्चात के वेतन,

# Page No. 21



( श्री सम्पत्तिलाल बोहरा )

भत्ता आदि सुविधाओं में कितना कितना और क्या क्या अन्तर है? कृपया इसके विवरण की तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उप-मन्त्री, उद्योग (श्री चन्दनमल बैद): (१) मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स, भीलवाड़ा पर भारत सरकार का नियन्त्रण दिनांक १६-५-१९६० से है। राजस्थान सरकार का इस मिल के ऊपर नियन्त्रण नहीं है।

(२) (१) तनख्वाहें रुपया २,६५,२८७,०७ (२) मजदूरों का ले ऑफ कम्पेन्सेशन रुपया २,२७,६१८,१६ (३) सन् १९५६ का बोनस रुपया ६०,०००।

(३) बोनस की रकम के अतिरिक्त शेष सम्पूर्ण रकम का भुगतान कर दिया गया है। बोनस की रकम का भुगतान औद्योगिक न्यायालय में चल रही अपील का निर्णय होने पर किया जायगा।

(४) सरकारी नियन्त्रण की अवधि में १ जनवरी, १९६१ से ३१ दिसम्बर, १९६१ तक हुए १४,१६,६२८) मुनाफे के आधार पर दो लाख रुपया बोनस होता था जिसका भुगतान २६-४-६२ से २५-५-६२ तक कर दिया गया।

(५) सरकारी नियन्त्रण के पश्चात् ११ मजदूरों को हटाया गया और २० मजदूरों को सस्पेन्ड किया गया।

(६) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है?

( कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

## हनुमानगढ़ जंक्शन में छात्राओं के लिए स्कूल की व्यवस्था

३७६. श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) हनुमानगढ़ जंक्शन पर प्राइमरी और हायर सैकन्डरी स्कूलों में छात्राओं की संख्या कितनी है?

(२) क्या सरकार को विदित है कि हनुमानगढ़ जंक्शन पर छात्राओं के लिये अलग से कोई मिडिल या हायर सैकन्डरी स्कूल नहीं है जिससे वहां की छात्राओं को बहुत असुविधा है?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार छात्राओं के लिए अलग से स्कूल खोलने की व्यवस्था करने का विचार रखती है?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य): (१) हनुमानगढ़ जंक्शन में भिन्न भिन्न स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या ३९६ है। यहां पर एक प्राथमिक कन्याशाला है जिसकी छात्र संख्या २२४ है।

(२) हनुमानगढ़ जंक्शन में छात्राओं के लिये कोई माध्यमिक शाला नहीं है।

(३) हनुमानगढ़ जंक्शन में अलग से छात्राओं के लिये कोई माध्यमिक शाला अथवा हाई स्कूल खोलने के प्रस्ताव जिला परिषद् अथवा उप-शिक्षा निरीक्षिका से प्राप्त नहीं हुए हैं। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त होगा तो उस पर दूसरे ऐसे ही स्कूलों के साथ साथ मैरिट के हिसाब से विचार किया जावेगा।

परिगणित जाति के भूतपूर्व सैनिकों को गंगानगर के नहरी क्षेत्र में भूमि का अलॉटमेंट

३८०. श्री शिवनारायण छाछिया (सूरजगढ़): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) श्री गंगानगर के नहरी क्षेत्र में कितने भूतपूर्व सैनिकों को काश्त के लिये भूमि अलॉट की जा चुकी है और उनमें परिगणित जाति के कितने परिवार हैं ?

(२) कितने भूतपूर्व सैनिकों के प्रार्थना-पत्र अभी विचाराधीन हैं और उनमें परिगणित जाति के कितने परिवार हैं ?

(३) क्या यह सत्य है कि नहरी क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों के लिये कृषि भूमि सुरक्षित रखी गई है ? यदि हां, तो कितनी और उसमें से कितनी अलॉट कर दी गई ? कितनी सुरक्षित भूमि शेष है और वह अभी तक अलॉट क्यों नहीं की गई ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) गंग कैनाल नहरी क्षेत्र में २१२ भूतपूर्व सैनिकों को भूमि अलॉट की गई जिसमें १० परिगणित जाति के हैं।

(१) गंगानगर जिले के अन्तर्गत राजस्थान नहर क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों को काश्त के लिये कोई भूमि अलॉट नहीं की गई है; इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा नियम निर्धारित नहीं हुए हैं और जेर-गौर हैं।

(२) उप-उपनिवेशन आयुक्त (राजस्थान नहर योजना), बीकानेर के कार्यालय में भूतपूर्व सैनिकों की १,७६० दर्ख्वास्तें विचाराधीन हैं। इनमें से १,३१० सवर्ण, २१० हरिजन व २४० ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दरख्वास्तों पर अपनी जाति अंकित नहीं की है।

(३) गंग कैनाल में १०,००७ बीघा १२ बिस्वा भूमि सुरक्षित रखी गई जिसमें से ५,६०७ बीघा १ बिस्वा अलॉट की जा चुकी है। शेष ४,४०० बीघा ११ बिस्वा इस समय आरजी काश्त पर है। राजस्थान नहर क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाली ५ मील की पट्टी (बेल्ट) में ५०,००० एकड़ भूमि भूतपूर्व सैनिकों के पुर्नस्थापन के लिये आरक्षित की गई है, क्योंकि भूतपूर्व सैनिकों को सैनिक की हैसियत से भूमि दिये जाने के विषय में नियम अभी तक पारित नहीं हुए हैं, इसलिए उस आरक्षित भूमि में से कोई रकबा अब तक किसी सैनिक को आवंटन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत की उत्तरी सीमा लद्दाख व नेफा एजेन्सी क्षेत्र में काम आये पंजाब व राजस्थान के सैनिकों पर आश्रित अथवा असमर्थ हुए सैनिकों के लिए राजस्थान नहर क्षेत्र में २ लाख एकड़ भूमि और आरक्षित की गई है। उस भूमि में से अब तक कोई रकबा अलॉट नहीं किया गया है।

भाखरा क्षेत्र में बकाया सरकार भूमि नीलाम की जाती है, अतः वहां उन्हें भूमि देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): यह नियम कबसे नहीं बनाये गये हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नियम तो बन गये हैं पर लागू करने के सम्बन्ध में जब तक भारत सरकार की मार्फत पंजाब और राजस्थान सरकार के बीच में कोलोनाइजेशन

# Page No. 23



(श्री रामप्रसाद लड्ढा): की पॉलिसी फाइनेलाइज नहीं हो जाती है तब तक यह दिक्कत है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): कब तक हो जावेंगे ये बन कर तैयार?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: बहुत जल्दी ही, हम आशा करते हैं।

श्री विजयसिंह झाला: जो भूमि इस समय तक दी गई है, वह किस नीति के आधार पर दी है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: यह तो गंग कैनाल क्षेत्र में है। राजस्थान नहर क्षेत्र का सवाल अलग है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): इन्स्टालमेन्ट पर दी जावेगी या कैसे?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: इन सबके नियम बने हुए हैं। उनको प्रकाशित कर दिया जावेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): जो बच गई है वह लैण्ड ऑक्यूपाइड है या अनऑक्यूपाइड है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: अनऑक्यपाइड है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: खाली रखने का क्या सवाल है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: जहां पर पानी पहुंचा है वहां पर इस साल भी हमने एक साल के लिये टेम्परेरी लीज पर राजस्थान कैनाल एरिया में भूमि अलॉट की है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: आपने कितना एरिया टेम्पोरेरी लीज पर अलॉट किया है और कितना वेकेन्ट पड़ा है?

श्री अध्यक्ष: That is not connected with this.

श्री मुरलीधर व्यास: सैनिकों को इस बात की प्रेरणा मिले कि सरकार जमीन दे रही है और आसानी से दे रही है, इसलिये भूतपूर्व सैनिकों को जल्दी से जल्दी देने के नियम बनाकर सरकार अलॉट क्यों नहीं करती है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मैंने निवेदन किया है कि नियम बन चुके हैं। कोलोनाइजेशन की पोलिसी के निर्णय की बात रह गई है। जो जल्दी ही तय हो जावेगी।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): क्या यह सही.....

(बीच में श्री योगेन्द्रनाथ हांडा के बोलने के लिये बार-बार खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष: मैं कह चुका हूं कि एक-एक बोलें। श्री मोतीलाल।

श्री मोतीलाल चौधरी: क्या यह सही है कि रूल्स बनने से पहले कुछ भूतपूर्व जागीरदारों को भी जमीनें दी गई हैं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: जी हां।

श्री मोतीलाल चौधरी: तो फिर उनको किन रूल्स के अन्तर्गत दी गई?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: उनके रूल्स अलग हैं। उनकी प्रायोरिटी के सम्बन्ध में पंजाब सरकार से बात हो चुकी थी।

श्री मोतीलाल चौधरी: एक्स सोल्जर्स से भी उनको पहले प्रायोरिटी मिलेगी?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसी बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष: अगर नियमों के बगैर भूतपूर्व जागीरदारों को भूमि दी जा सकती है तो नियमों के बगैर उनको क्यों नहीं दी जा सकती ?

मुख्य मंत्री ( श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : इनको भी राजस्थान कैनाल में नियम फाइनेलाएज़ हो, उससे पहले अलॉटमेन्ट किया जा सके, इसके बारे में पंजाब सरकार और भारत सरकार के बीच बात करके आगे कार्यवाही की जावेगी ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: वहां आपने सारी की सारी जमीन नीलाम की है, क्या यह सही नहीं है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: T.C. by auction.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: यह T.C. क्या है । यह समझ में नहीं आया ।

भारत सरकार द्वारा छात्र-वृत्ति

३८१. श्री श्रवणलाल (हिन्डोन): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि भारत सरकार द्वारा १९६१-६२ के लिये राज्य सरकार को गरीब छात्रों की पढ़ाई जारी रखने के निमित्त छात्र-वृत्ति के लिये जितनी धनराशि दी गई उसका पूर्ण उपयोग नहीं हुआ? यदि हां, तो क्यों और कितनी धनराशि का ?

उप-मंत्री, शिक्षा ( श्री निरंजननाथ आचार्य) : भारत सरकार की ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसके अन्तर्गत गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा सके । अतः १९६१-६२ में धनराशि का पूर्ण उपयोग न होने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष: श्री रघुनाथ विश्नोई ।

(३ ३० म० पू०)

प्राथमिक पाठशालाओं के प्रधान अध्यापकों का अलाउन्स

३८२. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि प्राथमिक पाठशालाओं के प्रधानाध्यापकों को जो ५ रु० प्रति माह का एलाउन्स मिलता था वह अब बन्द कर दिया गया है ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं; जब कि माध्यमिक पाठशालाओं में ऐसा अलाउन्स बन्द नहीं किया गया है ?

(२) क्या सरकार प्राथमिक पाठशालाओं के प्रधानाध्यापकों को ५ रु० प्रति माह का अलाउन्स पुनः चालू करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो वह कब तक चालू कर दिया जायगा ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(३) क्या यह सच है कि ऐसा निर्णय होने पर उपरोक्त अलाउन्स अध्यापकों से रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देकर वापस वसूल किया गया है, अगर हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री, शिक्षा ( श्री निरंजननाथ आचार्य): (१) जी हां । दिनांक १-९-६१ से यह अलाउन्स बन्द कर दिया गया क्योंकि

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
इस एलाउंन्स का प्राथमिक शालाओं के प्रधानाध्यापकों को देने के लिऐ राजस्थान सिविल सर्विसेज (रिवाइज्ड पे रूल्स), १९६१ में प्रावधान नहीं किया गया।

(२) मामला विचाराधीन है।

(३) जी हां, जिन अध्यापकों ने दिनांक १-९-६१ के बाद यह अलाउन्स प्राप्त कर लिया उनसे वसूल किया गया, क्योंकि उसका प्रावधान राजस्थान सिविल सर्विसेज (रिवाइज्ड पे रूल्स), १९६१ में नहीं था।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह फैसला कब तक होने की उम्मीद है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह मैं निश्चित तौर से अभी नहीं कह सकता कि कब तक हो सकेगा, लेकिन विचार कर रहे हैं इस पर।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): इस नियम में संशोधन के फलस्वरूप राज्य सरकार को कितने रुपये की बचत हुई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह अलग से प्रश्न है। कितनी बचत हुई यह मैं नहीं बता सकता।

श्री मानिकचन्द सुराणा: कितने हैडमास्टर्स प्राथमिक पाठशालाओं के हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: अभी मालम नही है :

श्री मानिकचन्द सुराणा: यह तो बहुत बुरी बात है। आपको डिप्टी मिनिस्टर बने इतना अर्सा हो गया और आपको प्राइमरी स्कूलों की संख्या मालूम नहीं है कि कितनी है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मालूम है लेकिन स्मृति में नहीं है बाहर बैठें और मैं भी बैठूं तो सारा टोटल करके बता दूंगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा: अगर चाय पर बैठकर याद आ जाती हो तो बाहर आ जाईये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री सुराणा।

## पलाना कोलियरी में अन्डर ग्राउन्ड माइनिंग

३८३ श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): क्या मंत्री, उद्योग एवं खनिज विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या पलाना कोलियरी म अन्डर ग्राउन्ड माईनिंग के लिऐ सन् १९५६ व १९५८ में पिट्स खोदे व तैयार किये? यदि हां, तो उनकी इन दो वर्षों में अलग २ संख्या कितनी है और उनके संबंध में निम्न विवरण किस प्रकार है :–

(क) काम चालू करने व पूरा होने की १९५६ में १९५८ में तारीख ;

(ख) मजदूरों की औसतन प्रतिदिन की संख्या ;

(ग) व्यय का विवरण (१) मजदूरों के वेतन पर व्यय, (२) मेटीरियल पर व्यय।

(घ) काम में लगाये गये कल मजदूरों की सख्या,

(ङ) कोयला निकालना प्रारम्भ होने की तारीख।

उद्योग एवं खनिज मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जी हां, प्रत्येक वर्ष में दो दो पिट्स खोदे गये थे ।

(क) १९५६ फरवरी, ५६ अगस्त, ५६ — १९५८ मार्च, ५८ नवम्बर, ५८

(ख) ३१ — १२८

(ग) (१) १०,९६६ — ७३,२६६
(२) ४५,४६५ — ६६,०२७

(औसतन)

(घ) ६२ — १७४

(ङ) १-९-५६ — १४-११-५८

श्री मानिकचन्द सुराणा : ये जितने पिट आपने खोदे इसके टोटल एक्सपेन्डीचर को देखते हुए क्या राज्य सरकार यह महसूस नहीं करती कि ये पिट्स बहुत ही ज्यादा खर्चीले पड़े हैं और इनकी जांच कराई जानी चाहिए ?

श्री नाथूराम मिर्धा: यह १९५६ और ५८ की बात है और १९५६ का जो खर्चा बताया वह २ पिट्स में लगभग १०॥ हजार और १९५८ में ७२-७३ हजार हुआ। तो उसमें कई फैक्टर्स रेस्पोन्सिबिल थे कि किस तरह से इस खर्चे का अन्तर है जिसमें कुछ "go slow practice" वाला भी १९५८ में था और उसके बाद कुछ मजदूर जो उस समय लगाये गये थे उनको वेजेज़ कुछ ज्यादा देनी पड़ी थी ५८ में और ५६ में मजदूरों को वेजेज़ भी कम देनी पड़ी थी । तो कुछ मजदूर भी ५८ में ज्यादा लगे कुछ काम में देरी लगी और कुछ पैसा भी ज्यादा देना पड़ा। इसलिये ५८ में कुछ पैसा और ज्यादा लगा बजाय ५६ के ।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा: (मांडल): यह "go slow practice" अधिकारियों की तरफ से थी या मजदूरों की तरफ से ?

श्री नाथूराम मिर्धा: मैं मजदूरों की कह चुका हूं, आपने सुना नहीं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जो आपने आंकड़े दिये हैं, जो मजदूरों की तनख्वाह बढ़ी है उसको चुकाने के बाद इतना बड़ा फर्क क्यों है ? इसकी इनक्वायरी की जानी चाहिए और इस क्वेश्चन पूछने का मकसद यही है कि "Misuse of Government fund" है उसका चार्ज है। इसलिए आप इसकी जांच करायें। चाहे आज ५८ की बात हो या ५६ की हो । क्योंकि यह ६-७ साल का अर्सा ज्यादा अर्सा नही है.......

श्री नाथूराम मिर्धा: मेरे सामने गबन की या मिस-एप्रोप्रियेशन की शिकायत नहीं है ।

श्री मानकचन्द सुराणा:, मैंने Misuse of Government fund कहा है ।

श्री नाथूराम मिर्धा: मैंने जो कारण बताये कि जैसे वेजेज़ के अन्दर दुगुने से ज्यादा फर्क हो गया था, "go slow" का मजदूरों का टन्टा चल रहा था, यह भी एक फेक्टर था । उसके अलावा पिट्स के अन्दर जो पहले स्ट्रेटा था वह पोला था और जो दूसरा था उसमें पत्थर था जिसके खोदने के लिए ज्यादा मजदूर लगे, ज्यादा पैसा लगा और देरी लगी। इस लिए जो मुझे जानकारी है, उसमें मुझे किसी प्रकार की, जैसी बात आपने कही है गड़बड़ी मालूम नही होती है ।

Page No. 27



श्री श्योपत सिंह ( हनुमानगढ ) : माननीय सदस्य के कहने के बाद भी आपके ख्याल में फर्क आया या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा: मुझे संतोष नहीं है। जब तक माननीय सदस्य स्ट्रोंग ग्राउन्ड नहीं बतायें मैं कुछ नहीं कर सकता। यह मैं आपको जानकारी करके ही कह रहा हूं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): क्या आप सन्तुष्ट हैं कि इन कारणों से ७ गुना खर्चा हो जाना चाहिए ?

श्री नाथूराम मिर्धा: जी हां ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: क्या आप हमारे सन्तोष के लिए इन्क्वायरी नहीं करा सकते ?

श्री नाथूराम मिर्धा: मैं उसको नहीं मानता ।

श्री अध्यक्ष : श्री सांवलिया राम ।

गांव तैरहिया, तहसील रूपवास में मिडिल स्कूल

३८४. श्री सांवलियाराम (रूपवास) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या गांव तैरहिया, तहसील रूपवास, जिला भरतपुर के अन्तर्गत एक प्राथमिक शाला है जिसमें करीब २०० विद्यार्थी और पांच मास्टर हैं और भवन भी पुख्ता बना हुआ है ?

(२) क्या इन सब बातों को देखते हुए इस शाला को मिडिल स्कूल बनाने का कोई प्रावधान १९६३ में है ?

उप-मंत्री, शिक्षा ( श्री निरंजननाथ आचार्य ): (१) जी हां। एक पाठशाला तैरहिया ग्राम में है। वहां की छात्र संख्या १७८ है तथा ५ अध्यापक कार्य कर रहे हैं। इस पाठशाला में ८ कमरे हैं, किन्तु छोटे होने के कारण कमरे कक्षाओं के उपयुक्त नहीं हैं ।

(२) हां, इस शाला को माध्यमिक शाला में प्ररिवर्तित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुये थे, परन्तु यह पाठशाला माध्यमिक शाला में परिवर्तित न की जा सकी ।

श्री सांवलियाराम : अध्यक्ष महोदय, इसके आस पड़ौस में ८ प्राइमरी स्कूल और हैं और इसमें ८ कमरे हैं और २०० छात्र हैं। माननीय मंत्री महोदय बता रहे हैं कि छात्र कुछ कम थे। सन् ६२ में जो लिस्ट थी उसको देखें तो छात्र २०० थे और अब तो कुछ ज्यादा हैं। इसलिए इन कारणों को देखते हुए इसको प्राथमिकता देने में सरकार की तरफ से क्या ढिलाई है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, जहां तक क्राइटेरिया का सवाल है, यह पाठशाला लिये जाने के योग्य थी, लेकिन एक ही गलती हुई कि जिला परिषद् ने इसके लिय सिफारिश नहीं की। बाकी यह कुछ अंशों में डेटाज़ को फुलफिल करती है ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): यह कोई कारण नहीं है कि . . .

श्री निरंजननाथ आचार्य : अभी मुझे जवाब तो देने दो बीच में बोल पड़ते हैं . . I am in possession of the floor.

# Page No. 28



श्री अध्यक्ष : Very much so.

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसलिये हमने जो प्राथमिक शालाओं का प्रावधान किया उसमें इसका मसला भी नाजुक था। मैं विश्वास दिला सकता हूं कि अगले वर्ष में इस पर पूरा ध्यान दे दिया जायेगा।

श्री विजयसिंह झाला : क्या यह आवश्यक है कि राजनगर में तो . . .

श्री अध्यक्ष: श्री सांवलियाराम।

श्री सांवलियाराम : अध्यक्ष महोदय, यह जिला परिषद् ने सिफारिश नहीं की अफसोस है। वह स्कूल तो मझेरणा का है और उन तक यह सूचना पहुंच चुकी है . . .

श्री निरंजननाथ आचार्य : हम तो आपको देख रहे हैं। उनका कोई ख्याल नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : क्या रूल्स में इस प्रकार का एग्जेम्पशन है कि राजनगर में मिडिल स्कूल खोली जायेगी। उसमें अगर जिला परिषद् की सिफारिश नहीं होगी तो भी वह खोल दी जायेगी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह बिलकुल अलग से चल रहे हैं। इस सवाल के अन्तर्गत इनका दिमाग ही नहीं है।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल पक्षपात होता है। अगर सरकार की यही मन्शा है तो कह दे कि हम खिलवाड़ कर रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हम खिलवाड़ करके क्या करेंगे ?

श्री अब्दुल जब्बार : आप इस तरह तानाशाही से हुकूमत करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

प्रश्न संख्या ३८५

श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३८६

श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

### मार्केटिंग कोआॅपरेटिव सोसाइटी, रायसिंहनगर द्वारा गेहूं के बीज का वितरण

३८७. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि १९६० में करीब १०,००० मन गेहूं का बीज पंचायत समिति, रायसिंहनगर द्वारा मार्केटिंग कोआॅपरेटिव सोसाइटी, रायसिंहनगर के किसानों में वितरण हेतु दिया गया ?

(२) क्या यह सही है कि इस बीज के दिये जाने के समय उपरोक्त सोसाइटी के जिम्मे २,५०० मन से ऊपर बीज बकाया था जिसका कोई भी हिसाब पंचायत समिति रायसिंहनगर के पास नहीं दिया गया, ना ही समिति की ओर से इस सम्बन्ध में कोई चैकिंग की गई ?

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

(३) यदि हां, तो इतनी भारी बकाया रहते हुए इतना सारा बीज क्यों दिया गया ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) १,०६५ मन २५ सेर बीज दिया गया था ।

(२) जी हां।

(३) पहले का बीज कृषि विभाग की ओर से दिया गया था । पंचायत समितियों के बनने के बाद पंचायत समिति ने बीज दिया ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, यह ऑडिट पार्टी की रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है, जिसमें कि उन्होंने यह स्पष्ट लिखा है कि २,६३२ मन बीज बकाया होने के बाद भी १० हजार मन बीज पंचायत समिति द्वारा मार्केटिंग सोसाइटी, रार्यासहनगर को दिया गया और जिसके वितरण के संबंध में ४।। लाख का घोटाला सामने आ चुका है । मंत्री महोदय ने तो इसको बहुत ही साधारण तौर से टाल दिया । बल्कि अध्यक्ष महोदय, इसके संबंध में एक बड़ी कीमती रसीद भी है कि रामजसराय मार्केटिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी ने दस हजार मन बीज प्राप्त किया है । उसने यह लिख कर दिया है कि मैंने बीज प्राप्त कर लिया है और मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हूं और उसके बाद इस बीज के वितरण का कोई सवाल नहीं ।

मुख्य मंत्री ( मोहनलाल सुखाड़िया) : माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं । सारे मामले की बहुत सी बातें माननीय सदस्य ने बताई हैं । उसके ऊपर पूरा इन्वेस्टि-गेशन किया जा रहा है । मैं समझता हूं कि वह पर्याप्त होना चाहिए उनके सन्तोष के लिए ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: इस संबंध में संतोषजनक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है ।

## सरकार द्वारा नमक की खरीद तथा बिक्री

३८८. श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) डीडवाना, पचपद्रा में जो ग्रामीण लोग पीढ़ियों से नमक बनाकर बेचने का काम करते हैं, सरकार उनसे किस भाव से नमक खरीदती है ?

क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार इस नमक को किस भाव बेचती है ?

(२) क्या यह सही है कि जिन लोगों का नमक बनाने का पेशा नहीं है और जो खुद नमक नहीं बनाते हैं उन्हें भी बड़े बड़े प्लाट्स नमक बनाने के हेतु दिये गये हैं और क्या उनसे भी सरकार नमक खरीदती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या यह भी सही है कि ऐसे लोगों को जो नमक खुद नहीं बनाकर दूसरों से नमक बनवाते हैं उनको नमक की पूरी कीमत मिल जाती है और हाथ से बनाने वालों को नमक की आधे से भी कम कीमत सरकार द्वारा दी जाती है ?

( श्री गोकुल प्रसाद शर्मा )

(४) क्या यह सही है कि खुद के हाथों नमक बनाने वाले लोगों को अपने नमूने पास कराने के लिये लगातार कई दिनों तक जयपुर में बैठा रहना पड़ता है ?

(५) क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो वर्षों में कितने नमूने पास कराने आये और उनमें कितने पास हुए और कितने रिजेक्ट किये गये? क्या ऐसे लोगों के भी नमक के नमूने रिजेक्ट हुए हैं जो खुद नहीं बनाते हैं ? यदि हां, तो कितने ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद): (१) पचपद्रा व डीडवाना के नमक के खरीद के भाव निम्न प्रकार हैं :–

डीडवाना

पहली किस्म – ४७ न० पै० प्रति क्विन्टल

द्वितीय किस्म – ३६ न० पै० प्रति क्विन्टल

इसके अतिरिक्त नमक को सरकारी स्टोर तक ले जाने के लिये ३१ न०पै० और ३६ न०पै० प्रति क्विन्टल तक और दिये जाते हैं ।

पचपद्रा

संटपिटों का नमक १.१० न० पै० प्रति क्विन्टल ।

अनसंटपिटों का नमक १.०५ न० पै० प्रति क्विन्टल ।

बेचने की कीमत निम्न है :

१–पचपद्रा २.२७ न०पै० प्रति क्विन्टल

२–डीडवाना २.२७ न०पै० प्रति क्विन्टल

(२) पचपद्रा और डीडवाना में नहीं ।

जी नहीं ।

(३) जी नहीं ।

(४) जी नहीं ।

(५) १९६१-६२ में डीडवाने से १३६६ नमक के नमूने पास कराने आये जिनमें से ६ सैम्पल रिजेक्ट हुए । १९६२–६३ में ९२९ सैम्पल आये थे जिनमें से ५ सैम्पल रिजेक्ट हुए ।

जी नहीं ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय १ रु०१० न० पै० में एक जगह से लिया जाता है और ४७ न० पै० से दूसरी जगह लिया जाता है और उसको सरकार २ रु० २७ न० पै० में बेचती है और जब सरकार को पूरा दाम आता है तो दोनों जगहों में से एक जगह कम मिले उसका क्या कारण है ?

श्री चन्दनमल वैद: दोनों जगहों के नमक उत्पादन के खर्च में फर्क है ।

Page No. 31



श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : नमक में फर्क है क्या ? उसमें कोई फर्क नहीं है। हमको तो आप बेचते हैं और वही खाने को मिलता है। जब आप हमसे पूरा दाम ले लेते हैं तो फिर मजदूरों को कम क्यों देते हैं ?

श्री चन्दनमल वैद: उत्पादन में जो सुविधाएं उन लोगों को देते हैं उसमें फर्क है।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): उत्पादन के खर्च में कोई फर्क नहीं है, तो वहां के मजदूरों को अलग रेट क्यों और यहां के मजदूरों को अलग क्यों? वहां पर पचपद्रा में तो १ रु० १० न०पै० और यहां ४७ न० पै० ही क्यों, जबकि दोनों जगह का नमक आप २ रु० २० न० पै० में बेचते हैं। डीडवाने का नमक ४७ न० पै० में क्यों लेते हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : वहां के नमक-उत्पादन के खर्चे में और यहां के नमक-उत्पादन के खर्चे में फर्क है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): सवाल यह है कि २ रु० २७ न०पै० में जनता को वह नमक जाता है जो कि आप लेते हैं तो फिर दो रेट्स क्यों करते हैं ? एक को आप देते हैं कम, और दूसरे को ज्यादा देते हैं। ज्यादा किस वजह से देते हैं और कम किस वजह से देते हैं ? उत्पादन खर्चे में कमी है या ज्यादा है यह लुक आउट सरकार रेट लेने में क्यों नहीं करती है।

श्री चन्दनमल वैद : सरकार जहां पर उत्पादन खर्चे में कमी है वहां पर कम रेट देती है और जहां पर ज्यादा है वहां पर ज्यादा देती है।

श्री मोतीलाल चौधरी : डीडवाने में उत्पादन खर्चे में कोई कमी नहीं है।

श्री चन्दनमल वैद : डीडवाने में नमक उत्पादन का खर्चा बहुत कम आता है और पचपद्रा में ज्यादा आता है। इस वास्ते वहां पर रेट ज्यादा दी जाती है और डीडवाना में कम दी जाती है।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़): खरीददार को क्या मालूम है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): रियायतें क्यों देते हैं ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : माननीय मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न नं० २, ३ और ४ के उत्तर में "नहीं-नही" कह दिया है। पचपद्रा और डीडवाना में दूसरों को प्लाट दिये हैं तो मैंने कहा कि बड़े प्लाट्स आप दूसरों को देते हैं तो वे लीज पर देते हैं क्या ?

श्री चन्दनमल वैद: डीडवाना और पचपद्रा में नहीं दिया है। दूसरी जगह का कहते तो कहता।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा: मैंने पूछा है कि दूसरे प्लाट्स बिना नमक उत्पादन करने वालों को दिये गये। आपने २,३ और ४ का उत्तर दिया है कि नहीं दिये हैं। मैंने पचपद्रा और डीडवाने का नहीं लिखा है।

श्री चन्दनमल वैद: मैं स्वयं स्वीकार करता हूं कि दिये हैं। आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ?

श्री मोतीलाल चौधरी: क्या यह सही है कि प्राइवेट पार्टियों को नमक बनाने की इजाजत दी है उनसे नमक टेस्ट करवाने का कोई प्रबन्ध नहीं और खुला मार्केट में उनको बेचने का अधिकार दिया हुआ है।

श्री चंदनमल वैद: जी हां।

श्री मोतीलाल चौधरी: क्या कारण है कि डीडवाना और पचपद्रा का नमक टस्ट करवाते हैं और ६-६ महीने तक वह पास नहीं होता है और प्राइवेट केपिटेलिस्ट्स को फ्री बेचने का अधिकार दिया हुआ है।

श्री चंदनमल वैद : डीडवाना और पचपद्रा में हम खुद खरीदते हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी: टेस्ट करना हैल्थ के पाइन्ट ऑफ व्यू से जरूरी है तो फिर प्राइवेट पार्टियों को बिना टेस्ट का नमक जनता को बेचने का क्यों अधिकार दिया दिया गया है ?

श्री चन्दनमल वैद : यह फर्ज साल्ट कमिश्नर का है।

श्री अब्दुल जब्बार : यह नमक क्यों टेस्ट किया जाता है ?

श्री अध्यक्ष: श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मोतीलाल चौधरी : तो वहां पर टेस्ट क्यों करते हैं ?

श्री चंदनमल वैद: साल्ट कमिश्नर इस बात का पता लगाते हैं कि जिस जमीन को लीज पर दिया जाता है वहां स्टेन्डर्ड नमक पैदा हो सकता है या नहीं ?

श्री मोतीलाल चौधरी: क्या यह सही है कि साल्ट कमिश्नर को यह जानकारी नही दी गई है कि प्राइवेट पार्टीज कहां कहां पर नमक मेन्युफेक्चर करती हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

## रायल्टी से आमदनी व प्रशासन पर व्यय, माइनिंग विभाग

३८६. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) माइनिंग विभाग से सरकार को गत ३ वर्षों से कुल कितनी रायल्टी से आमदनी हुई ?

(२) माइनिंग विभाग पर गत तीन वर्षों में राज्य सरकार का कुल कितना रुपया प्रशासन में व कितना विकास में लगा है ? तीन वर्ष के आंकड़े दीजिये।

उप-मंत्री, खनिज ( श्री रामप्रसाद लढ्ढा ): (१) लीज व रायल्टी से गत ३ वर्षों की आमदनी निम्न प्रकार है:—

| १९६०-६१ | १९६१-६२ | १९६२-६३ |
|---|---|---|
| ६७,४५,४४२) रु० | ८०,३८,२९५) रु० | ९६,३६,१२५) रु० |

(२) प्रशासन व विकास पर गत तीन वर्षों का व्यय निम्नलिखित है :—

| | १९६०-६१ | १९६१-६२ | १९६२-६३ |
|---|---|---|---|
| प्रशासन पर | ८,०६,०११) रु० | ८,१४,५०६) रु० | ८,१३,८६८) रु० |
| प्रशासन पर विकास के लिए किया गया व्यय | .. | १,६३,०११) रु० | १,३२,५४५) रु० |
| विकास पर किया गया व्यय ( इस व्यय में प्रशासन पर विकास के लिए किया गया व्यय सम्मिलित नहीं है) | १०,७०,६०८) रु० | १७,४७,९८२) रु० | १२,६९,२५७) रु० |

### ग्राम चांदोली तहसील अलवर में मिडिल स्कूल

३९०. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि ग्राम चांदोली, तहसील अलवर के लोगों ने अपने ग्राम के प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल बनवाने के लिए २,५००) रु० पंचयात समिति उमरेण में जमा कराया हुआ है ?

(२) क्या यह सही है कि यह रुपया इसी आधार पर जमा कराया गया था कि पंचायत समिति ने इस ग्राम के स्कूल को मिडिल स्कूल बनाने का आश्वासन दिया था ?

(३) क्या यह सही है कि ग्रामवासी स्कूल के लिए भवन बनाने के लिए ८,०००) रु० और भी खर्च करने को तैयार है ?

(४) इस ग्राम का रुपया पंचायत समिति, उमरेण में कब से जमा है और यहां का स्कूल, मिडिल स्कूल क्यों नहीं बनाया गया ।

(५) क्या इस नये वर्ष में इस ग्राम का स्कूल, मिडिल स्कूल बना दिया जावेगा ?

उप-मंत्री, शिक्षा ( श्री निरंजन नाथ आचार्य ) : (१) यह सत्य है कि ग्राम चांदोली के लोगों ने २,५००) रु० सेविंग्ज बैंक में चालान नं० १४०६ दिनांक १६-१०-६१ द्वारा जमा कराया हुआ है ।

(उप-मंत्री, शिक्षा)

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) ग्राम चांदोली को यह २,५००) रु० की धनराशि ३१-८-६१ तक जमा करा देनी चाहिए थी परन्तु यह रकम निर्धारित समय में जमा न कराने के कारण यहां के प्राथमिक स्कूल को माध्यमिक स्कूल में परिवर्तित न किया जा सका। १९६२-६३ में इकोनोमिक कट के अनुसार किसी भी प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में परिवर्तित नहीं किया गया।

(५) जी नहीं, क्यों कि १९६३-६४ के लिए जिला परिषद् ने इस स्कूल को माध्यमिक शाला में परिवर्तित करने की सिफारिश नहीं की जो कि आवश्यक है। दूसरे यह सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति नहीं करता।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़): ६१ में जिला परिषद् ने सिफारिश की थी क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पंचायत समिति ने की थी।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर): क्या यह सही है कि पंचायत समिति की ओर से इस स्कूल के लिये बाकायदा सिफारिश की गई थी जिला परिषद् को ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: वह मैं खुद निवेदन कर रहा था कि पंचायत समिति ने इस स्कूल के लिए सिफारिश की थी और यह रुपया भी जमा करवाया था। दो महीने के बाद, एकेडेमिक ईयर के बाद, इसलिये जो स्कूल खोलने थे वे बहुत पहले ही खुल गये थे।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी): जिला परिषद् ने भी सिफारिश की थी सन् ६१ में ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: सन् ६१ में की हो तो की हो, हमारा तो आधार है उसके अनुसार बाद में इसको खोलना चाहिए था नहीं खोल सके।

श्री जयकृष्ण शर्मा : २५००) जमा कराने का सर्क्यूलर क्यों किया गया था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: वह जमा होगा। सर्क्यूलर का सवाल ही नहीं।

श्री जयकृष्ण शर्मा: वह २१-१-६२ के बाद जमा हुए तो भी नहीं किया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : १६-१०-६१ को जमा हुए थे। मैंने चालान नम्बर बताया कि इस काम से जमा हुए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: प्रश्न यह है कि आप यह कहते हैं कि पैसा जो है, देर से जमा कराया। यह वे स्वयं कहते हैं कि पंचायत समिति ने सिफारिश की और यह भी तथ्य सम्मुख है कि जिलापरिषद् ने भी सिफारिश कर दी। तो प्रश्न एकदम उठता है कि पैसा देर से जमा कराया, पंचायत समिति ने सिफारिश कर दी जिसको उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, लेकिन म आप से कहूंगा कि पैसा सही टाइम पर जमा करवाया गया है, लेकिन स्कूल नहीं खोला गया इस तथ्य को दबाना चाहते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : दबाने का प्रश्न नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : नहीं खुला इसमें दबाने का क्या प्रश्न है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : क्यों नहीं खुला ?

श्री अध्यक्ष : यह कहां पूछ रहे हैं । आप तो भाषण दे रहे हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस तथ्य को मैं स्वयं स्वीकार करता हूं कि २,५००) रु० जमा कराया गया है ! मैं आपके इस तथ्य को भी स्वीकार करता हूं । लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि २ महीने के बाद जमा कराया गया । वह एकेडेमिक ईयर शुरू होने के बाद में जमा कराया गया । इसलिए नहीं खोल सकें । ६२-६३ में इकोनोमिक कट हो गया और इस वक्त में कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : इस प्रकार से २५००) जमा कराये और वहां के लोग कब तक उम्मीद करते हैं खोलने का ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: अब यह प्रश्न पैदा नहीं होता क्यों कि स्थिति बदल गई, ६१-६२ में खोलना चाह रहे थे और कई जगह खोले भी गये हैं । उस आधार पर खोलना था ।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : डेट एक्सपायर हो गई तो २५००) रु० जमा क्यों कराये ?

प्रश्न सं० ३६१

श्री अध्यक्ष: श्री रामकिशन ।

(अनुपस्थित)

### शिक्षा विभाग से पंचायत समितियों में आये कर्मचारियों को नई ग्रेड

३६२. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों में जो कर्मचारी शिक्षा विभाग से लिये गये हैं उनको ११०-२२५ की ग्रेड में लिखा जाना था ?

(२) यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनको यह ग्रेड अभी तक नहीं मिली है ? कृपया उदयपुर जिले की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(३) इनको आज दिन तक यह ग्रेड क्यो नहीं दी गई तथा कब तक यह ग्रेड दे दी जायगी ?

उप-मंत्री शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य):
(१) जी नहीं ।

(२) व (३) प्रश्न नहीं उठता ।

### राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के डिप्लोमा को मान्यता

३६३. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) जयपुर का राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स यूनिवर्सिटी से एफिलियेटेड है या नहीं ?

(२) दूसरे राज्यों में सरकारी नौकरियों में तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश इत्यादि के लिये इस स्कूल के डिप्लोमा को मान्यता दिलाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

(३) क्या यह सही है कि जब यह स्कूल जयपुर राज्य में था तब इसके डिप्लोमा को मान्यता प्राप्त थी, पर अब विभागीय परीक्षाएं होने पर भी डिप्लोमा को मान्यता प्राप्त नहीं है ?

श्री उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य): (१) नहीं है ।

(२) जब से उसका विभिन्न शाखाओं में विभाजन किया गया, उसके पश्चात् की जानकारी नहीं है कि दूसरे राज्यों में इसको मान्यता है या नहीं ?

(३) मान्यता प्राप्त पहले भी थी और अब भी है ।

## घासमारी की वसूली- ग्राम बरजन, तहसील नावां

३६४. श्री हनुमानसिह् चौधरी (नावां): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि ग्राम बरजन (नाका की ढाणी), तहसील नावां के किसानों से सन् २०१७ की घासमारी दो बार दो अलग अलग हल्का पटवारियों द्वारा वसूली की गई ?

(२) यदि हां, तो क्या यह कानून की दृष्टि से वाजिब था ? यदि नहीं, तो क्या सरकार संबंधित व्यक्तियों को रिफन्ड करने का आदेश देगी ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लडढा):

(१) जी नहीं ।

(२) जो वसूली की गई है वह कानून की दृष्टि से वाजिब थी। अतः वापस लौटाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री हनुमानसिह् चौधरी: कौनसे कानून की तहत वसूली की गई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: जो नियम है ।

श्री हनुमानसिंह् चौधरी : कौनसा नियम है जिससे दो बार वसूली की गई ?

श्री राम प्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि दो बार वसूली नही की गई । मुझे स्पेसिफिक इन्सटान्सेज माननीय सदस्य घासमारी ली हो उसके बतायेंगे तो जरूर कार्यवाही की जायगी । मेरी सूचना के अनुसार जो मारोठ में चले गये दूध नहीं देते थे इसलिए वहां ले गये उनकी गिनती वहां हुई और जो दूध देने वाले जानवर घर पर थे उनकी वहां पर हो गई । इसलिये जिनसे मारोठ में ली गई उनको आप शायद दुबारा लेना मानते हैं ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): घासमारी किस कानून के अंतर्गत वसूल की गई ?

श्री राम प्रसाद लड्ढा: यह अलग प्रश्न है ।

श्री भैरोंसिंह: यह अलग प्रश्न नहीं है । आप कहते हैं कि कानून के अनुसार ली गई तो मैं जानना चाहता हूं कि वह कौनसा कानून है जिससे ली गई ?

श्री राम प्रसाद लडढा : गवर्नमेन्ट का डिसीजन है सन् १९५७ का ।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट के डिसीजन से लगान वसूल नहीं हो सकता ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पैदावार की भूमि के अलावा जो भूमि रहती है उसको काम में लेते हैं ।

# Page No. 37



श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : क्या यह सही है कि चरागाह की अलावा जमीन नहीं है?

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनराज ।

श्री मोहनराज (बाली) : क्या यह सही है कि घासमारी टैक्स सिर्फ जोधपुर डिविजन के गांवों में ही वसूल होता है और डिविजनों में नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : घासमारी के सिलसिले में जो समस्या है वह भी सरकार के विचाराधीन है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : गांव के मवेशी की गिनती एक पर्टीकूलर गांव में हो गई तो दूसरे गांव में जाने पर फिर क्यों गिनती करके दुबारा घासमारी वसूल की जाती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस मामले में दो बार नहीं लिया गया। वहां अलग थे और दूसरी जगह अलग थे।

श्री भैरोंसिंह: घासमारी कब बंद हुई?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : काफी अरसे से।

श्री भैरोंसिंह: कब ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अरसा इस समय नहीं बता सकता ।

श्री भैरोंसिंह : जिस साल यह वसूली हुई उससे पहले बंद हुई थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जब निर्णय लिया गया उसके बाद वसूल नहीं हुई।

श्री भैरोंसिंह : जिस वर्ष के लिये प्रश्न पूछा गया क्या यह सही है कि उससे पहले लेना बंद हो गया था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं, यह डिसीजन होने के बाद की घासमारी नहीं ली जाय, वसूली नहीं की गई।

श्री भैरोंसिंह: क्या यह सही है कि घासमारी वसूली इसलिये बंद की गई थी कि यह कानून संगत नहीं थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: सन ६१ में गवर्नमेन्ट ने यह डिसीजन लिया है। इस डिसीजन लेने की तारीख से घासमारी लेना बंद कर दिया है। जो वाकयात माननीय सदस्य बता रहे हैं वे गवर्नमेन्ट डिसीजन के पहले के हैं ।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न सीधा सा है। क्या घासमारी लेना इसलिये बंद किया है यह कानून संगत नहीं था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सही नहीं है ।

श्री मोतीलाल चौधरी : क्या यह सही है कि मारवाड़ टिनेन्सी एक्ट हटने के बाद घासमारी लेना बंद कर दिया ?

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार।

## पंचायत समिति, निम्बाहेड़ा की जीप पर खर्चा

३६५. श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) पंचायत समिति, निम्बाहेड़ा की जीप अप्रेल, १९६२ से जनवरी, १९६३ तक कुल कितने मील चली और कितना पेट्रोल खर्च हुआ ?

# Page No. 38



( श्री अब्दुल जब्बार )

(२) उपरोक्त अवधि में जीप की कितनी बार कहां मरम्मत कराई गई और मरम्मत पर कितना धन खर्च हुआ? सूची सदन की मेज पर रक्खें।

उप-मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नंदवाना) : (१) कुल ७,५४७ मील। २,३३ लीटर पेट्रोल खर्च हुआ।

(२) दो बार, जुलाई सन् १९६२ में उदयपुर में व अक्टूबर १९६२ में भीलवाड़ा में मरम्मत कराई गई तथा छोटे पार्ट्स का परिवर्तन निम्बाहेड़ा में ही कराया गया। कुल ७९२.१६ नये पैसे खर्च हुए।

## बनेड़ा तहसील

३९६. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या सरकार ने तहसीलें कम करने के लिए किसी कमेटी का गठन किया था?

(२) क्या यह सही है कि तहसीलें कम करने में किसी सिद्धान्त का पालन नहीं किया गया?

(३) क्या यह सही है कि बनेड़ा तहसील ता. १५-९-६२ के पहले गांवों की संख्या भू-राजस्व, क्षेत्रफल व जन संख्या के हिसाब से हरड़ा तहसील से बड़ी थी?

(४) क्या यह सही है कि बनेड़ा बड़ी तहसील होने से ही उसके चार टुकड़े किए गये?

उप-मंत्री राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) जी हां।

(२) जी नहीं। तहसीलों का विघटन समिति की रिपोर्ट एवं प्रशासनिक दृष्टि दोनों का विचार रखते हुए किया गया था।

(३) जी हां।

(४) जी नहीं। बनेड़ा तहसील का निर्माण सन् १९४९ में हुआ। उस समय जिन जिन तहसीलों के जो गांव इसमें सम्मिलित किये गये वे सब गांव यह तहसील टूटने पर वापिस उन्हीं तहसीलों में जोड़ दिये गये और ऐसा करने में प्रशासनिक व्यवस्था का भी ध्यान रखा गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : क्या कमेटी ने प्रशासनिक नियमों का ध्यान रख कर रिपार्ट नहीं की?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उसके बाद भी सरकार को विचार करने का अधिकार है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उसके बाद आपने अलग विचार कैसे किया?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इतनी तह तक समिति नहीं गई।

## ( स्थगित प्रश्न )

२६-८-६३

## पंचायत समितियों में सिंचाई के कुओं के लिये ऋण एवं अनुदान ज़िला बांसवाड़ा

१९६. श्री नाथूराम (बागीडोरा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) बांसवाडा जिले की पंचायत समितियों में किस किस पंचायत समिति में

Page No. 39



( श्री नाथूराम )

कृषि के सिचाई के कुओं के लिये कितना कितना ऋण एवं अनुदान सन् १९६१-६२ व १९६२–६३ में कितने कितने कृषकों को दिया गया है ? इनमें से कितने कृषकों द्वारा कार्य पूर्ण किये गये हैं ? और कितने कार्य अधूरे हैं ?

(२) क्या यह सही है कि ऋण एवं अनुदान दिये जाने पर भी अधिकतर कुए पूर्ण नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(३) उक्त दो वर्षों में ऋण एवं अनुदान दिये जाने से सिंचित क्षेत्र कितना बढ़ा है ? अगर नहीं बढ़ा है तो क्यों ?

(४) क्या सरकार उपरोक्त विषयों की जांच करवाकर आवश्यक कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उप–मंत्री, पंचायत (श्री भवानी शंकर नंदवाना ) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) जिन कुओं का कार्य पूरा नहीं हुआ है उसका कारण भी सूची में अंकित है।

(३) अनुमानत : २,६५० एकड़ सिंचित क्षेत्र की वृद्धि हुई है ।

(४) जांच की आवश्यकता नहीं है ।

( कृपया परिशिष्ट ३ देखिये )

स्थगित प्रश्न

( २६–८–६३ )

तेल निकालने का स्पेलर

१८१. श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर) : क्या मंत्री, खादी ग्रामोद्योग यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि नागौर जिले के ग्राम बोरावड़ में तेल निकालने का स्पेलर लगाया जा रहा है ?

(२) क्या यह सही है कि तहसील तेली सभा के संयोजक ने उक्त स्पेलर नहीं लगाने के संबंध में जिलाधीश नागौर को प्रार्थना-पत्र भेजा है जिसमें अखिल भारतीय तिलहन पेराई समिति, हदराबाद का प्रस्ताव संख्या १३ की प्रतिलिपि भी पेश की है। जिसमें बताया गया है कि दश में जहां तेल निकालने का पहले से साधन उपलब्ध है वहां पर तेल मिल नहीं लगाई जाय ? क्या यह सच है कि उक्त प्रस्ताव को भारत सरकार ने माना है और उसकी सूचना राज्य सरकारों को भेजी गई है? यदि हां, तो फिर यह स्पेलर क्यों लगाया जा रहा है ।

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त स्पेलर को नहीं लगाने के लिये ग्राम पंचायत बोरावड़, जिला परिषद, नागौर ने भी सिफारिश की है ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चंदनमल वद) :

(१) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) जी नहीं ।

स्पेलर लगाने की स्वीकृति की जरूरत नहीं है ।

(४) जी हां ।

श्री जेठमल बरवड़ : क्या यह सही है कि स्पेलर के लग जाने से वहां के तेलियों को बड़ा नकसान होगा और सारे तहसील के तेलियों ने इसकी खिलाफत की है ?

श्री चन्दनमल वैद : तहसील के तेलियों ने अपना प्रार्थना-पत्र भेजा है ।

श्री जेठमल बरवड : क्या यह सही है कि वहां पर स्पेलर लग जाने से कम से कम हजारों तेलियों के परिवार बेकार हो जायेंगे ?

श्री चंदनमल वैद : यह संभव है कि वहां पर स्पेलर लग जाने से तेलियों को जितने तिल सीड्स मिलते थे उससे कम मिलें ।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : क्या यह सही है कि मूंडवा, बोरावड़ के तेलियों द्वारा १० साल तक बार बार कोशिश करने के बाद सरकार ने इसको रोक दिया था इसलिए कि स्पेलर लग जाने से तेलियों का धंधा बंद हो जायगा ?

श्री चंदनमल वैद : स्पेलर लगाने के लिये सरकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या सरकार तेल घाणी उद्योग को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहती है ?

श्री चंदनमल वैद : अध्यक्ष महोदय यह नीति और संरक्षण का प्रश्न है ।

(दो सदस्य एक साथ बोलने लगे )

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री मुरलीधर व्यास ।
(३·४६ म०प०)

## पलाना खान में काम बन्द हो जाने के कारण हुई उत्पन्न स्थिति सम्बन्धी ध्यान आकर्षित करना ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पलाना खान में काम बन्द करने से ५०० मजदूर रोजी से महरूम हो जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अंतर्गत मंत्री, राजकीय औद्योगिक व खनिज संस्थान (एन्टर प्राइजेज) का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री नाथूराम मिर्धा (मंत्री, राजकीय औद्योगिक व खनिज संस्थान ) : अध्यक्ष महोदय, जिस विषय की ओर बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने, इस सदन का ध्यान दिलाया उसके बारे में कुछ तथ्य आप के सामने निवेदन करना चाहता हूं। जैसा कि उन्होंने कहा और जो उन्होंने मुद्दा उठाया, उन्होंने दो बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया है, एक तो यह कि पलाना खान में जहां ५०० मजदूर काम करते हैं उनमें से बहुत से निकाले गये वे बेकार हो गये । दूसरा ध्यान उन्होंने खींचा है वह यह है कि वहां पिट्स लगाये जा रहे हैं उन में कुछ ईंटें कच्ची लगा दी गई है और उन में जो मजदूर काम करेंगे वहां कच्ची ईंटों के लगने से एक्सीडेन्ट होने का खतरा है, ये दो बातें उन्होंने प्रस्ताव में रखी हैं और इस ओर सदन का ध्यान खींचा है ।

मैं आपकी मार्फत सदन के माननीय सदस्यों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि पांच सौ मजदूर अभी पलाना खान पर कुल मिला कर काम भी नहीं करते हैं । जनवरी के अन्दर जब मैं वहां गया था और जब सदन में यह सवाल उठा था, उस समय मैंने सदन को जानकारी दी थी कि पहले की माइन्स जो १९५८ में बनी थी वह माइन्स करीब करीब सारी की सारी एग्जास्ट हो गई और उनमें कोयला न होने की वजह से और उन माइन्स की स्थिति डेंजरस बन जाने की वजह से काम बन्द कर दिया गया। कुल मिला कर पलाना में जो आठ सौ, नो सौ मजदूर काम करते थे उनमें से बहुत से मजदूरों को छुट्टी दे दी गई । उस समय यह कहा गया कि उनको

(श्री नाथूराम मिर्धा)

काम पर लगाने के लिए, या तो जो नाल एरोड्रोम का काम चलता था, वहां व्यवस्था की जाय या राजस्थान कैनाल की नहरों का जो काम चल रहा था, वहां भेज कर उन्हें काम देना चाहिए। उस वक्त ढाई सौ मजदूरों को माइन्स पर रखा था, वो नये पिट्स बनाने के सम्बन्ध में। उसके साथ साथ दो और पिट्स, जो ड्राफ्ट एअर को अन्दर भेजते हैं और खराब हवा को बाहर भेजते हैं, बनाने का काम हाथ में लिया। एक माइन का काम करने के लिए चार पिट्स बनाये जाते हैं। अब जो दो बन रहे थे वे गलत जगह पर बन रहे थे। उनकी चालीस पचास फीट खुदाई हो चुकी थी। वहां कोयले का सीम थिन था, आठ नौ फीट था। इसलिए वहां इन्जीनियर से बातचीत हुई कि इस साइट् को बदल कर दो नये बनाये जांय और इस काम को जल्दी से जल्दी करने की बात कही। दुर्भाग्य से बहुत जल्दी करने पर भी, वहां जो इन्जीनियर थे, मि. मदादा वे कालेज में चले गये। उनके स्थान पर दूसरे इंन्जीनियर, जिनके पास यह काम करने का लाइसेन्स हो और योग्य हों, अभी प्राप्त नहीं कर सके हैं। अभी हमने एक आदमी की तजवीज की है और उम्मीद है कि अगले महीने तक इस पोस्ट पर जोइन कर सकेंगे। इस वजह से जो ओपन कास्ट का काम कर रहे थे वह मैंने आपको बताया।

अब दो शाफ्ट्स पर काम चल रहा था, दो शाफ्ट्स और दो पिट्स पर कच्ची ईंटें लगाने की बात कही गई। मुझे जानकारी दी गई है, टेकनीकल आदमी की तरफ से, कि वह ठीक हैं। क्योंकि जो शाफ्ट बनाया जाता है, उसमें लगने वाली ईंटें कच्ची भी हों, तो एक तो वहां की भूमि ऐसी है और दूसरे उसमें न तो मजदूरों को अन्दर जाने का प्रश्न है और न बाहर आने का– इसलिए कोई नुकसान की बात नहीं है। शाफ्ट के अन्दर से एक शाफ्ट से तो हवा अन्दर जाती है और दूसरी तरफ से बाहर निकलती है। इसलिए उनके अन्दर आदमियों के अन्दर जाने या बाहर निकलने का प्रश्न पैदा नहीं होता। इसलिए कच्ची ईंटों की वजह से कोई खतरा महसूस हो सकता हो– वैसी स्थिति नहीं है। मैंने आपको निवेदन किया कि ढाई सौ मजदूर रखे थे, वे इसलिए रखे थे कि दो नये पिट्स बनाने का काम करें। और विन्ड ब्लो करने के शाफ्ट्स बनाने का काम करें। इस तरह ढाई सौ मजदूर रख छोड़े हैं– इनमें से न तो किसी को छुट्टी दी गई है और न किसी आदमी को बेकार किया गया है। जैसा आपने कहा वैसी बात नहीं है, जो जानकारी मुझे मिली है उसके आधार पर अभी यह जो सारा का सारा प्राजेक्ट है, यह दो पिट की खान है-इनसे ही कोयले का उत्पादन वहां किया जाता है। इस बात को भी हम इसलिए चालू रखना चाहते हैं कि जो आठ सौ, एक हजार आदमी को हमने एम्प्लायमेंट प्रोवाइड कर रखा था, उनको हम बेकार नहीं रखना चाहते। वरना इस प्राजेक्ट के दूसरे आस्पेक्ट में, जिसमें ओपन कास्ट माइन को चालू करना चाहते हैं, उसमें हेवी मशीन से ओपन कास्ट किया जाय और मशीन से काम ज्यादा होने की वजह से आदमियों को एम्प्लायमेंट देने की पोटेंशियलिटी कम होगी और उसमें ज्यादा से ज्यादा डेढ सौ, दो सौ आदमी काम करेंगे और पूरा प्रोजेक्ट जब पूरी स्वींग से काम करेगा उस वक्त ओपन कास्ट की वजह से लिगनाइट का उत्पादन कुल मिला कर पांच हजार टन डेली तक पहुंचेगा। उस वक्त आदमियों की

(श्री नाथूराम मिर्धा)

आवश्यकता नहीं होगी । इसलिए साइड में पिट्स के जरिये खान का काम चलाना चाहते हैं वह सिर्फ इसलिए कि जिन लोगों को हम वर्षों से एम्प्लायमेंट देते आये हैं, उनको बेकार नहीं करना चाहते। वे आदमी एम्प्लायमेंट में चलते रहें इसलिए इन पिट्स का काम भी ओपन कास्ट के साथ साथ चालू रखना चाहते हैं। जैसा मैंने निवेदन किया, एक अच्छे आदमी की, इन्जीनियर की उपलब्धि के अन्दर जो हमारे सामने दिक्कत है उस वजह से काम में दिक्कत आ रही है वरना हमारी इच्छा है कि यह काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए । जब मैं वहां गया था, उस मौके पर मजदूरों की हालत को देखते हुए जो इन्जीनियर इन्चार्ज हैं, टेक्नीकल आदमी हैं उनको मैंने कहा था कि जल्दी से जल्दी, चार छः महीने में अवश्य काम पूरा किया जाय ताकि पिट्स नये बना कर मजदूरों को माइन्स में एम्प्लायमेंट दे सकें और काम पूरा कर सकें। इसके लिए मैं अब भी ताकीद करता रहता हूं और जैसा मैंने निवेदन किया वह जितना जल्दी होना चाहिए था उतनी जल्दी नहीं कर पाये और उस काम को करने में थोड़ा समय और लग सकता है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि आठ सौ आदमी काम करते थे। जो आठ सौ आदमी काम करते थे उनमें से पांच सौ के करीब बेकारी की समस्या के अन्तर्गत हैं । जहां तक इस समस्या को हल करने का सवाल है, उसके लिए मंत्री महोदय ने कहा कि दो पिट्स तैयार किये हैं इस दृष्टिकोण से कि उनके अन्तर्गत उनको काम मिल सके । मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन इसके साथ ही बताना चाहता हूं कि पिट्स के अन्दर से हवा जाने और बाहर आने का ही सवाल नहीं है, बल्कि पिट्स का मजदूरों की जिन्दगी से सम्बन्ध है । यदि पिट्स में से एक भी गिर जाती है तो जो हवा उनके अन्दर से प्रवेश होती है वह बन्द हो जाती है । और अगर हवा जाना बन्द हो गयी तो अन्दर जो आदमी हैं उनका दम घुट जायगा । इस सम्बन्ध में कहा गया कि किसी मजदूर की जिन्दगी से खिलवाड़ करने का प्रश्न इसमें नहीं है । मैंने खुद जाकर इन ईंटों को देखा है। ये ईंटें बिल्कुल कच्ची हैं और इस ढंग से लगाई जा रही हैं कि किसी समय भी पिट गिर सकता है । मैं यह वैसे ही नहीं कहता, मैं ईंट इस सदन की मेज पर रखने के लिए लाया हूं । वैसे योजना के दृष्टिकोण से हम समझते हैं कि सोने की ईंट होती है, लेकिन अगर आज सोने की ईंट मौजूद नहीं है तो इन ईंटों का भी बहुत महत्व है....

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : अध्यक्ष महोदय, On a point of order......

श्री मुरलीधर व्यास: इस योजना के अन्तर्गत इन ईंटों का बहुत महत्व है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ये ईंटें इस सदन में कैसे आ सकी हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास: इन ईंटों पर सील लगी है, इन पर दस्तखत किये हुए हैं । इसके अन्दर कोई खामी हो जाय, जो ईंटें वहां लगाई हैं उनमें और इनमें कोई अन्तर रह जाय तो उसकी जांच की जा सकती है ...

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): अध्यक्ष महोदय, On a point of order, कोई माननीय सदस्य हाउस के अन्दर अपने

( श्री मोतीलाल चौधरी )
साथ ईंट, पत्थर, लाठी, चाकू, छुरा, बन्दूक या बम्ब ला सकता है ? यह माननीय सदस्य ईंट दिखा रहे हैं, यह माननीय सदस्य किस प्रकार से लाये हैं ? हाउस के रूल्स के अन्दर यह व्यवस्था हैं कि कोई माननीय सदस्य इस प्रकार की चीज नहीं लायेगा ।

श्री निरंजननाथ आचार्य: यह आश्चर्यजनक है कि ये ईंट लेकर कैसे आये ? अगर यह प्रकट में हुई होती तो नहीं ला सकते थे ।

श्री मुरलीधर व्यास : यही समझ कर, मैं बिल्कुल बांध कर सील लगवा कर लाया हूं। ये खुली नहीं हैं । इन पर कपडा लगा है, मोहर लगी हुई है । खुली नहीं हैं जिससे ऐतराज हो।

श्री अध्यक्ष : आप अच्छी तरह से छिपा कर लाये हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं सदन को....

श्री मोतीलाल चौधरी : आज ईंट लाये हैं, कल बम्ब ले आयें, इसमें क्या ऐतराज की बात नहीं हैं ? इसके साथ ही यह प्रोपर्टी किस की है ? ये चोरी करके लाये हैं या किस तरह लाये हैं ?

एक माननीय सदस्य : ले आये तो उससे क्या फर्क पड़ेगा ?

श्री मोतीलाल चौधरी : यह गम्भीर बात है । माननीय सदस्य सरकारी चीज की चोरी करके लाये या छिपा कर लाये ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : इस पर व्यवस्था होना जरूरी है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व बोलने वाले सरकारी बेंचेज के माननीय सदस्य और सदन को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सब भली-भांति जानते हैं कि प्रजा समाजवादी दल का अहिंसा में पूरा भरोसा हैं । इसलिए जो ईंट लाई गई है उससे कोई खतरा नहीं होना चाहिए । ये ईंट सिर्फ प्रदर्शन के लिए लाई गई हैं ।

श्री मोतीलाल चौधरी : सरकारी चीज की चोरी करके लाये हैं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा: जी नहीं ।

श्री मोतीलाल चौधरी : फिर कैसे लाये ? किसी से मांग कर लाये हैं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : जी हां । मांग कर लाये हैं इन्जीनियर से । मांग कर लायें हैं, कोई चोरी नहीं की । यह प्रदर्शन के लिए लाई गई हैं । सदन में बताने के लिए लाये हैं । अगर मंत्री महोदय चाहें तो उन्हें अभी सुपुर्द की जा सकती हैं ।

श्री अध्यक्ष : इससे आगे तो उपयोग नहीं होगा ?

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा इतना ही मकसद है कि इस हालत में मजदूरों की जिन्दगी के साथ में खिलवाड़ हो सकता है, अगर किसी समय भी पिट्स गिर जांय तो। अन्दर हजार आदमी रहते हैं, आप कहते हैं कि हजार आदमी नहीं हैं, अगर यह पिट्स गिर जांय तो वे दम घुट कर मर सकते हैं । यह ऐसा मसला है और ऐसे कई जगह वाकये हुए हैं । मैं इस सम्बंध में निवेदन करना चाहता हूं कि ये वे ईंटें हैं, जिनके लिए आप कह रहे हैं कि इन्जीनियर ने कह दिया है कि अच्छी हैं । मैं कहता हूं कि ईंट इस प्रकार की हैं, कि अच्छी ईंट और इनमें रात दिन का

( श्री मुरलीधर व्यास )

फर्क है । यह ईंट यहां मौजूद है आप वहां जाकर इन्जीनियर से जांच करा सकते हैं । अगर इस ईंट और उस ईंट में फर्क आता है तो आप मुझे कह सकते हैं कि सदन में गलत रिपोर्ट दी है ।

दूसरी बात यह है कि ईंटों का भाव तय हो जाता है, पक्की ईंट का भाव तय किया है, ४५ रुपये हजार का । उसी रेट पर, अच्छी ईंट की रेट पर रेत की ईंट बना कर लगाई जाय तो एक तरफ हमारे खजाने को नुकसान पहुंचाया जाता है और दूसरे योजना के आधार पर इस प्रकार की कार्यवाही होती है, वह भी ठीक नहीं है, इसलिए....

श्री मोतीलाल चौधरी : हाउस में रखें ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया इसको वापिस ले जांय ।

( ४.०० म.प. )

श्री मुरलीधर व्यास : अगर जांच कराना चाहें तो करवा सकते हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह मेरे टैक्नीकल आफिसर का कहना है ।

श्री मुरलीधर व्यास : अगर कोई कल दुर्घटना होती है तो जिम्मेदार ईंटें बनाने वाला हो सकता है । मंत्री महोदय भी हो सकते हैं । मैंने इसलिए ध्यान आकर्षित किया ताकि भविष्य में कोई खतरा न हो ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : इसे खोला जाय तो देखलें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है कि टैक्नीकल आदमी जो इस काम को कर रहे हैं वे बिल्कुल ठीक प्रकार से ईंटों का प्रयोग कर रहे हैं । वहां पर कोई ईंट अगर कच्ची भी हो तो खतरे की बात नहीं है । मैंने जानकारी करली है and in view of the technical officers' opinion the House should be satisfied कि वह काम बिल्कुल ठीक चल रहा है ।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (मांडल): यह आपके टैक्नोकल आफिसर कौन हैं ? आपके जो चीफ माइनिंग ऑफिसर हैं वे तो माइनिंग इन्जीनियरिंग भी पास नहीं हैं । उनकी योग्यता क्या है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मिस्टर घोष जो प्रोजेक्ट के इन्चार्ज हैं, उनसे अधिक क्वालिफाइड हिन्दुस्तान में कोई एक दो हैं ।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : मिस्टर घोष माइनिंग इंजीनियर नहीं हैं । खाली जिओलाजिस्ट हैं उनकी बराबर की शिक्षा के ५० आदमी राजस्थान माइनिंग विभाग में हैं । कभी आपने उनका सर्टीफिकेट भी देखा है क्या कि वे क्या पढे लिखे हैं ? उन्होंने बता दिया कि ईंटें चला सकते हों और आपने मान लिया । मैंने भी माइनिंग में वर्षों से काम किया है, तीस साल से भी ज्यादा हो गए । साफ्ट बांधने के लिए पक्की ईंटें होनी चाहिये । ईंटें पक्की होनी चाहिये । अगर थोड़ी सी भी कच्ची हो और साफ्ट गिर गई तो जो आदमी नीचे काम करते हैं वे दब कर मर जायेंगे । आप जांच करवा लीजिये । डाइरेक्टर आफ माइन्स से या सेन्ट्रल डाइरेक्टर आफ माइन्स ब्यूरो से ।

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

और मंत्री महोदय की जानकारी के लिए में बतादूं कि ये ईंटें बिना टेन्डर के बनवाली गईं। टेन्डर पक्की ईंटों के आये उनसे ईंटे नहीं बनवाई गई, और दूसरे बिना टेन्डर वालों से ईंटें बनवाई गईं और उन्हीं से बिना टेन्डर के ही १५० मकान भी पलाना खान पर बनाये जा रहे हैं जो गलत हैं। श्री घोष स्वयं माइनिंग इन्जीनियरिंग भी जानते हैं या नहीं आप कहते हैं कि हिन्दुस्तान में ऐसे दो तीन इन्जीनियर हैं परन्तु उन्होने कभी इन्जीनियरिंग नहीं पढ़ी, माइनिंग इंन्जीनियरी भी जानते हैं ? आप कहते हैं कि हिन्दुस्तान में ऐसे दो तीन इंजीनियर हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपके कहने से अपनी राय को बदलने वाला नहीं हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : सिद्धान्ततः कच्ची ईंटें काम में नहीं आनी चाहिए, चाहे कुछ भी टेक्नीकल ओपीनियन हो लेकिन कच्ची ईंटें और उनको गवर्नमेंट इस्तेमाल करे, यह मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। कच्ची ईंटों को काम में न लिया जाय।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : ४५ रुपये के हिसाब से सरकार कीमत दे रही है, फिर कच्ची ईंटें क्यों ली जा रही हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जिस टेक्नीकल आदमी ने लिखकर दिया है, उनके क्या वर्डस हैं, मैं पढ़कर सुनाता हूं·····

श्री अध्यक्ष : ( मंत्री महोदय से ) माननीय सदस्यों ने अपने विचारों द्वारा आपका ध्यान आकर्षित कर दिया है। अब आप जो उचित कार्यवाही समझें, करिए। यहां बहस लंबी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको तथ्य बताये गए हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : बिल्कुल ठीक।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं थोड़ा सा इस संबंध में···

श्री अध्यक्ष : वह संबंध तो खत्म हो गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : शाफ्ट सिंक करने के बारे में जो बयान मंत्री महोदय ने दिया वह कॉन्ट्रेडिक्टरी है···

## राजस्थान जन-सेवा आयोग के ११ वें-१२ वें प्रतिवेदनों पर विचार-विमर्श

श्री अध्यक्ष : राज्य जन-सेवा आयोग।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य जन-सेवा आयोग के ११ वें और १२ वें वार्षिक प्रतिवेदन, जो दिनांक ८ मार्च, १९६३ को सदन की मेज पर रखे गये थे, उन पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान जन-सेवा आयोग की ११वीं और १२वीं वार्षिक रिपोर्ट सदन में विचारार्थ प्रस्तुत की गई।

हम आज से पहले भी इस प्रकार के प्रतिवेदनों पर इस सदन में कई बार विचार कर चुके हैं। यह बात सही है कि इस प्रकार के विचार करने से हमारे संविधान की एक इच्छा की पूर्ति होती है। अब केवल यह विचार किया जाय कि संविधान के द्वारा जन-सेवा आयोग की एक रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की जाय उस पर

(श्री भैरोंसिंह)

विचार कर लिया जाय और सरकार ने कहां-कहां किस किस मुद्दे पर जन-सेवा आयोग की राय से असहमती प्रकट की है, उसके ऊपर सरकार की टिप्पणी पर विचार किया जाय तो जहां तक यह प्रश्न पैदा होता है। वहां तक हमें इस प्रतिवेदन पर इस दृष्टि से विचार करना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि सरकारी तंत्र में, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में जिसके ऊपर हमारे पूरे प्रशासन का ढांचा रहता है, उस मशीनरी में किसी भी प्रकार का डीमोरेलाइजेशन न हो, इसके लिए यह आवश्यक होता है कि सर्विसेज की नियुक्ति, उनकी पदोन्नति, ये सब नियमबद्ध हों। नियमों के विपरीत यदि कहीं किसी प्रकार का आचरण होता है तो उसका स्वभावतः सर्विसेज के मोरल पर असर होगा।

आज अक्सर यह देखा जाता है और सुना भी जाता है और यह आम चर्चा का विषय बन गया है कि राजस्थान की सेवाओं में यदि किसी व्यक्ति को अपनी नियुक्ति करानी है तो उसे या कोई मंत्री या उप-मंत्री, विधान सभा का सदस्य, लोक सभा का सदस्य या सरकार के बड़े बड़े अधिकारी, इनमें से किसी की सिफारिश निश्चित तौर से बतानी होगी। मैं यह नहीं कह सकता कि संपूर्ण नियुक्तियां इसी प्रकार की सिफारिश के आधार पर होती हैं। लेकिन यह एक आम चर्चा का विषय बन गया है कि आज किसी व्यक्ति को बिना सिफारिश से नहीं लिया जाता। यह इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि हमारे सर्विसेज के बारे में आज जनता की किस प्रकार की धारणाएं बनी हुई हैं। चाहे सिलेक्शन पी० एस० सी० द्वारा होता हो, चाहे किसी सिलेक्शन कमेटी के द्वारा होता हो चाहे किसी हैड ऑफ डिपार्टमेंट द्वारा होता हो। हमने अक्सर देखा है कि जो भी एप्लीकेन्ट्स होते हैं, वे एप्लीकेशन देने के बाद सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, वे इस बात की चेष्टा में होते हैं कि मुख्य अधिकारी जो कि सिलेक्शन करने वाला है, जो सिलेक्शन कमेटी का मेम्बर है, सिलेक्शन कमेटी का चैयरमैन है, वह किसका रिश्तेदार है और किसका मित्र है, उस पर किसका असर है। इस सारी जानकारी प्राप्त करने में ही एप्लीकेन्ट का सारा समय चला जाता है। नियुक्तियां किस प्रकार स होती हैं, नियुक्तियों के कारण लोगों में किस प्रकार की एक डीमोरेलाइजेशन की फीलिंग आती है, उसके रिजल्ट्स बाद में लोगों के ध्यान में आते हैं। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि यदि सरकार अपने नियुक्ति विभाग को, जिस नियुक्ति विभाग का मुख्य काम पी० एस० सी० करता है, उस सारे काम को जिम्मेदारी से निभाने की चेष्टा करे तो आज जो भावनाएं बन गई हैं, वे भावनाएं धीरे धीरे समाप्त हो सकती हैं।

जहां तक पी० एस० सी० के मेम्बर्स की नियुक्ति का प्रश्न है, इस प्रश्न का भी संबंध लोगों की जो एक धारणा है कि बिना सिफारिश के कोई काम नहीं करवाया जा सकता, उससे इसका संबंध आता है। राजस्थान जन-सेवा आयोग के जो भी सदस्य हैं, मैं उनके बारे में कोई राय व्यक्त नहीं करना चाहता, इसलिए कि एक मेम्बर के विरुद्ध, इसी राजस्थान विधान सभा में, मैंने कुछ सिलेक्शन की लिस्ट में इरेजर्स करने के आरोप लगाए थे और वह

Page No. 47



(श्री भैरोंसिंह)

फोटोस्टेट कापी भी सदन की मेज पर प्रस्तुत की थी। लेकिन मुझे खेद है इस बात से कि राज्य सरकार ने आज तक ऐसे गंभीर मसले पर भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की और कार्यवाही तो दरकिनार, मैंने जिस मसले की शिकायत की, उस संबंध में मुझे किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई कि उस इन्क्वायरी का रिजल्ट किस प्रकार रहा। बात गलत थी या सही।

आज मेरे पास एक इस प्रकार की लिस्ट आई है जिसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि कई व्यक्तियों के नाम उसमें लिये गये हैं जो किसी न किसी पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य के रिश्तेदार थे। मैं उस लिस्ट के आधार पर राजस्थान सरकार से पूछना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ऐसे मसलों पर एक्शन क्यों नहीं लेती है? मेरे पास जो आर्डर की प्रतिलिपि आई है ऐसी ही प्रतिलिपि चीफ मिनिस्टर और राज्यपाल महोदय को भी मिली होगी। अब उस लिस्ट को देखने के बाद मैं यह महसूस करके चलूं कि लोगों में राजस्थान में सर्विसेज बिना किसी न किसी की सिफारिश के नहीं मिलती, यह लोगों का कहना गलत नहीं है। क्योंकि धीरे धीरे इस प्रकार के कारण बनते जा रहे हैं जिसके आधार पर लोग ऐसा महसूस कर सकें।

पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो भी रिपोर्ट दी है, मुख्य मंत्री इस बात से सहमत होंगे कि कोई टेम्पोरेरी अपोइन्टमेंट नहीं किया जावे, इरेगुलर अपोइन्टमेंट न किये जावें और राजस्थान में जो भी प्रोमोशन्स हों वे राजस्थान पब्लिक सर्विस रूल के आधार पर और जो आदेश होते हैं उनके आधार पर हों व जो भी आदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के होते हैं उनकी तामील की जावे। लेकिन हर रिपोर्ट में जो यहां पेश होती है हम देखते हैं कि टम्पोरेरी अपोइन्टमेंट और प्रोमोशन आदि रूल्स के खिलाफ होते हैं और उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मैं आपसे पूछूंगा कि राजस्थान में तीन वर्षों में हमारी राजस्थान सरकार के आदेश के बावजूद भी जितने आपने टम्पोरेरी अपोइन्टमेंट किये हैं उनका क्या औचित्य हो सकता है? राजस्थान में किसी भी व्यक्ति को ६ महीनों से ज्यादा समय तक के लिये टेम्पोरेरी अपोइन्टमेंट नहीं दिया जावे, लेकिन इमर्जेन्सी में अगर किसी प्रकार की जरूरत हो जावे, कोई बीमार हो जावे और उसके कारण एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क सफर करता हो तो हमने अधिकारियों को पॉवर्स दिये हैं कि वे टेम्पोरेरी अपोइन्टमेंटस कर लें, लेकिन वे परमानेन्ट बिना डाइरेक्ट रीक्रूटमेंट की जो पद्धति है उसके बिना न करें ताकि सर्विसेज में डिससेटिसफेक्शन न हो।

आपने १९६० में ३,११८ टेम्पोरेरी अपोइन्टमेंट्स किये, १९६१ में ७,०१९ टेम्पोरेरी अपोइन्टमेंट्स किये और सन् ६२ में ४,७२६ टेम्पोरेरी अपोइन्टमेंट्स किये। अब प्रश्न सरकार के सामने पैदा होता है कि आपने टेम्पोरेरी अपोइन्टमेंट्स क्यों किये? आप रेशियो निकाल कर देखें कि टेम्पोरेरी अपोइन्टमेंट्स से परमानेन्ट में कितने लग आये। जो वसीलेदार या जरियेदार थे वे परमानेन्ट हो गये और जो बिना वसीले के थे उनकी सर्विसेज आपने टरमीनेट कर दी।

(श्री भैरोंसिंह)

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में जितने एडवर्टाइजमेंट निकलते हैं वे सरकारी विभागों की तरफ से दिये जाते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन कोई क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब नहीं करती, वह तो गवर्नमेंट ही प्रेस्काइब करती है और गवर्नमेंट जो क्वालिफिकेशन प्रेस्काइब करती है वह इस बात को ध्यान में रखते हुए ही करती है कि हमने जो टेम्पोरेरी अपोइन्टमेंट्स किये हैं उनको रेगुलराइज कराने के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन से कोन्‌करेन्स प्राप्त करने के लिये होती है और जिसके अन्दर सारे के सारे टेम्पोरेरी अपोइन्टमेंट्स किये गये होते हैं वे रेगुलराइज हो जावें। आप एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं उसमें देंगे कि किस व्यक्ति को नौकरी देंगे; उसमें एक साल तक किसी ऑफिस में काम का जिसको अनुभव होगा। अब आप देखें कि जिस व्यक्ति को वहां पर काम करते करते एक साल का समय हो गया है वही आ सकता है, नये आदमी को एक साल का अनुभव नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति डिग्री प्राप्त करके आता है उसको ऑफिस का एक साल का एक्सपीरियेन्स नहीं हो सकता। आप कहीं कहीं दो वर्ष का एक्सपीरियेन्स प्रेस्क्राइब करते हैं तो यह आधार क्या है? आपने इसके लिये कोई किसी प्रकार का स्टेन्डर्ड नहीं बना रखा है।

इसका नतीजा क्या होगा कि पी० एस० सी० में दूसरे व्यक्ति नहीं होंगे जिनको अनुभव होगा और जब दूसरे व्यक्ति नहीं होंगे तो जिन व्यक्तियों को आपने अपने रिश्तेदारों व नातेदारों को टेम्पोरेरी अपोइन्टमेंट कर रखा है उन्हीं को वहां पर मुस्तकिल कर दिया जावेगा। आज जितने भी प्रतिवेदन पेश हुए हैं उनमें वही स्थिति है। मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री से पूछता हूं कि सन् ५८ में आपने एक सरक्यूलर इस्यू किया था कि जितने टेम्पोरेरी अपोइन्टमेंट हों ६ महीनों के लिये, उसके लिये भी प्रोसीजर ले डाउन किया गया था। उसमें था कि ६ महीनों में जो टेम्पोरेरी एपोइन्टमेंट किये हुए हैं उसकी सूचना एपोइन्टमेंट डिपार्टमेंट को एक स्टेटमेंट के जरिये भेजते। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई स्टेटमेंट नहीं भेजा गया। मैंने पिछली बार सदन में प्रश्न भी पूछा था। मगर मैं यह कहूंगा कि सरकार के समय समय पर सरक्यूलर निकलते हैं उसका कहीं भी पालन नहीं होता, मैं आपको कई विभाग ऐसे बता सकता हूं जहां पर आपको नई नियुक्तियां मिलेंगी और सरप्लस को नहीं लेते।

सोशियल वेलफेअर विभाग है यह तो नेताओं का कल्याणकारी विभाग है जैसा मैंने पहले कहा था। इसमें इतनी इर्रेगुलेरिटीज करते हैं कि अगर पिछले पांच वर्षों में जो नियुक्तियां हुई हैं उसकी जांच की जावे तो आपको मालूम होगा कि वे कोई खुले हाथ नहीं हुई हैं। बिना सिफारिश के नहीं हुई हैं। क्वालिफिकेशन जिस ढंग से आपने चाहा ले लिया। कोई इसके लिये बान नहीं। अबकी बोर हो कर पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखना पड़ा है। इसी प्रकार कोओपरेटिव में होता है और इसी प्रकार ट्रांसपोर्ट में, इसी प्रकार इलेक्ट्रीकल बोर्ड में, इन सभी विभागों में नियुक्तियों का तांता इसी तरह से चलता है। एक तरफ तो आपने सर्विसेज

(श्री भैरोंसिह)

को सरप्लस डिक्लेअर किया है और दूसरी तरफ आप नई नियुक्तियां करते जा रहे हैं। आखिर हमें सोचना है कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर का इतना कन्ट्रोल कम क्यों हो गया है कि डिपार्टमेंट के जितने हैड हैं वे उनके सरक्युलर की कोई परवाह नहीं करते। अगर आज राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेशन तगड़ा होता तो आपके ५८ के सरक्यूलर की पाबन्दी होती। इसलिये मैं यह कहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन विप राजस्थान का उनके हाथों में नहीं रहा है। बल्कि ऐसे अधिकारियों के हाथों में चला गया है जो रूल्स की हत्या करना चाहते हैं और जो अपने लोगों को गलत प्रोटेक्शन देना चाहते हैं और इसलिये जितने भी ऑर्डर होते हैं वे उसकी परवाह नहीं करते। सन् ५८ के आदेश, १९६० के आदेश और पी० एस० सी० के आदेशों का पालन नहीं होता है। पी० एस० सी० कहती है कि हमारे पास जो प्रोफोर्मा बना दिया गया है उसके अनुसार सूचनाएं नहीं आती। मैं राजस्थान के चीफ मिनिस्टर से निवेदन करूंगा कि आखिर यह पी० एस० सी० की रिपोर्ट है और इसके रूल्स हम मंजूर करते हैं, इसके लिये हमारे यहां विधान सभा में दूसरा कोई चारा नहीं कि हम इस पर डिस्कशन करें। आश्वासन समिति की रिपोर्ट होती या पब्लिक अकाउन्ट कमेटी की रिपोर्ट होती तो उस पर कुछ कह सकते थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस तरह से पब्लिक अकाउन्ट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, फाइनेन्स का कन्ट्रोल रखने के लिये एस्टेबलिश है उसी तरह राजस्थान में पी० एस० सी० के लिये भी कमेटी नियुक्त होती तो उचित होता। जिससे राजस्थान में नियुक्तियों में अनियमितताएं कर रहे हैं उसके बारे में जांच की जा सकती। मैं यह कहूंगा कि जो रिपोर्ट पी० एस० सी० की हमारे सामने है उसको देखें तो मालूम होगा कि पी० एस० सी० और विभागों में मतभेद हैं। कितने ही केसेज में सरकार ने कानून की अवहेलना करके नियुक्तियां की हैं, कितने ही केसेज में पदोन्नति लोगों को की गई है यदि ये सब चीजें हमारे सामने पेश की जावें तो मालूम होगा कि किस तरह से अनियमिताएं की गई हैं। और आज जिस समय ( श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत सभानेत्री पदासीन ) ( ४.१९ म० प० ) हमारे चीफ मिनिस्टर अपना भाषण देंगे, वे अपने भाषण में स्वीकार करेंगे कि कइयों की नियुक्ति नियम और कानून के विरुद्ध हुई है और किस प्रकार से कानून की अवहेलना की गई है। लेकिन इतना होते हुए भी हमारे चीफ मिनिस्टर ने किसी को कोई सेन्सर की भी सजा दी है या किसी को वार्निंग की भी सजा दी है ? किसी को सजा नहीं दी। मामूली से अपराधों में सेन्सर की, वार्निंग की और डिमोशन की सजाएं होती हैं, पर इस तरह की इर्रेगुलर नियुक्तियां करने वालों को किसी भी प्रकार की सजा नहीं। तो क्या सरकार यह समझ कर चलती है कि नियुक्तियों के बारे में यह मामला है, इसको रोकने को, इसमें दखल देने की चेष्टा नहीं करनी चाहिये। एक दिन विधान सभा में डिस्कशन होगा, उसका उत्तर दे देंगे और फिर साल भर तक यही सब कुछ करते रहेंगे।

मैं तो केटेगरिकली मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस समय से पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पेश होने

(श्री भैरों सिंह)

लगी है तब से जिन जिन व्यक्तियों ने पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिफारिश की उनको नहीं माना, सरकार के आदेशों और नियमों का पालन नहीं किया है, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया है? मेरी जानकारी के अनुसार किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी रिपोर्ट में उल्लेख करता है और उसके बाद भी कोई एक्शन किसी के खिलाफ नहीं लिया जाता तो जो नियमों को तोड़ने वाले हैं, जो कानून की हत्या करने वाले हैं, वे यह समझते हैं कि हमतो अनियमित नियुक्तियां करते जांय, राजस्थान सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। अगर आपने कोई एक्शन लिया हो तो बतायें, पिछले वर्षों में जितनी नियुक्तियां इस तरह की की गईं ५८ से ६० के जो सरक्यूलर्स निकले हुए हैं, उनके खिलाफ किन किन ने नियुक्तियां कीं, और कौन कौन ऐसे हैं जिनके खिलाफ किस किस प्रकार की क्या क्या कार्यवाही की जा सकती है?

इस प्रकार का सभापति महोदय, एक प्रश्न पैदा होता है, इरेंगुलर अपोइन्टमेंट्स का। मैंने सुना है कि राजस्थान कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में ४७ असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार्स ऐसे हैं जो परमानेन्ट नहीं हैं। ६ महीनों से परमानेंट नहीं हों, ऐसी बात नहीं है, वर्षों से टेम्पोरेरी चलते आ रहे हैं। हर छठे महीने विभाग की ओर से अकाउन्टेन्ट जनरल को लिख दिया जाता है कि हमने ६ महीने की तनख्वाह दे दी है, दो तीन महीने आगे बढ़ गये हैं, सरकार को लिखा है, इसलिये हमें इनके लिये ६ महीने की तनख्वाह और देदी जाय। जिन १२ व्यक्तियों का सिलेक्शन हो कर आया पब्लिक सर्विस कमिशन से उनको सरकार ने नहीं लिया, और सरकार ने कारण यह बताया कि एक्सपीरियेन्स नहीं, उनमें से काफी लोगों को एक्सपीरियेन्स था। एक लेक्चरार था उसको एक्सपीरियेन्स नहीं, एक और व्यक्ति था उसको एक्सपीरियेन्स नहीं, पर कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनको एक्सपीरियेन्स है। इन्सपेक्टर्स थे तो इन्सपेक्टर्स को कोऑपरेटिव का एक्सपीरियेन्स था, उस आधार पर असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार की जगह सिलेक्ट किया, पर उनको सरकार ने नहीं लिया। अबकी सरकार की रिपोर्ट देखें उससे जाहिर होता है कि ४७ असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार्स टेम्पोरेरी चले आ रहे हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन ने जिनको सिलेक्ट कर के भेजा उनको राजस्थान सरकार एक्सपीरियेन्स नहीं होने के आधार पर रिजेक्ट कर दे तो इसमें कोई तालमेल नहीं बैठता, इसमें जरूर गड़बड़ है और वह मामूली नहीं, राजस्थान के उच्च अधिकारी और मंत्री हैं उनके रिश्तेदार असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार्स का काम आज कर रहे हैं, इन टेम्पोरेरी असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार्स में वे लोग काम कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है और दूसरे ही सिलेक्ट कर लिये गये, उन क्वालिफिकेशन्स के आधार पर जो कि ये व्यक्ति होल्ड नहीं करते, इसलिये सरकार उनको मानती नहीं। और ४७ व्यक्ति असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार की जगहों पर कई दिनों से पड़े हैं उनका कन्फर्मेशन नहीं होता। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि जिनका इन्सपेक्टर्स की पोस्ट पर भी कभी परमानेन्ट पोस्टिंग नहीं हुआ। कई डिप्टी रजिस्ट्रार्स ऐसे हैं जिनका असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार की पोस्ट पर सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं पूछना चाहूंगा सरकार से कि आखिर उसके सामने दिक्कत क्या है?

(श्री भैरोंसिंह)

ट्रांसपोर्ट की भी इसी तरह की हालत है। ५ आर० टी० ओज० का सिलेक्शन पब्लिक सर्विस कमीशन ने करके भेजा उनमें से तीन को कर दिया और दो को नहीं किया। उन तीन में से भी यह किया कि दो को रखा जाय और तीसरे को ड्रॉप किया जाय। तो मेरा प्रश्न है कि जिस समय पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्विजिशन भेजा जाता है तो सभी बातों को कन्सीडर करके, कितने लोगों को नियुक्ति करना है, इस बारे में निर्णय लेकर फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के पास रिक्विजिशन भेजते हैं। तो एक बार रिक्विजिशन का सवाल आया, सिलेक्शन हो गया तो फिर निश्चित रूप से नियुक्तियां होनी चाहियें। वे नहीं होतीं तो लोग सोचते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्ट हो कर आ गये, पर यदि मंत्री महोदय ने एडवर्स रिमार्क लिख दिया तो फिर विधान सभा और पब्लिक सर्विस कमीशन कुछ भी नहीं कर सकेंगे।

पब्लिक सर्विस कमीशन के लिये गये जो निर्णय हों उनको हम इस रूप में स्वीकार करें जिस रूप में कि हम यह समझ कर चलें कि यह एक आयोग का प्रतिवेदन है, इसलिये इसे स्वीकार करना चाहिये। यह नहीं होता है तो लोगों के अन्दर अविश्वास और असंतोष पैदा होता है।

हमारे यहां रीएम्प्लोयमेंट्स होते हैं, कुछ तो टेक्निकल जोब्स के लिये रीएम्प्लोयमेंट किया जाय तो मुझे इसमें आपत्ति नहीं। राजस्थान में हम डेवेलपमेंट की तरफ चल रहे हैं तो कुछ पद ऐसे हैं जिनमें स्पेशल क्वालिफिकेशन्स के आदमियों की जरुरत रहती है। पर उनकी आड में ऐसे व्यक्तियों का रीएम्प्लोयमेंट करदें जिनका उन जगहों से कोई तालमेल नहीं खाता, जो रीएम्प्लोयमेंट किये जाते हैं वे स्पेशल क्वालिफिकेशन्स के आधार पर न करके अन्य क्वालिफिकेशन्स के आधार पर किये जायं तो लोगों को जलन होती है।

आपने एक आई० ए० एस० ऑफिसर का रीएम्प्लोयमेंट किया। उनमें क्या क्वालिफिकेशन्स थीं जो बाकी के रिटायर्ड आई० ए० एस० ऑफिसर्स में नहीं थीं। इन वर्षों में जो आई० ए० एस० ऑफिसर रिटायर हुए उनमें वे क्वालिफिकेशन्स नहीं थीं और इनमें थीं जिनको कि रीएम्प्लोयमेंट दिया। किन्हीं स्पेशल क्वालिफिकेशन्स के आधार पर नियुक्ति न करके इस आधार पर नियुक्ति की जाती है कि वे उदयपुर के थे और मुख्य सचिव के एक रिश्तेदार थे, इसलिये उनकी नियुक्ति की गई, यह फेक्ट जब लोगों के सामने आता है तो लोग ईमानदारी से निष्पक्ष होकर काम नहीं करते। वे देखते हैं कि हमें हर हालत में इनको खुश करना पड़ेगा जो रीएम्प्लोयमेंट कर सकते हैं, लाभ पहुंचाने की व्यवस्था कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस नियुक्ति को मान्यता दे दी, पर एक आई० ए० एस० ऑफिसर को रीएम्प्लोय करने में पब्लिक सर्विस कमीशन को कोई दिक्कत नहीं हो सकती पर जितने भी आई० ए० एस० ऑफिसर्स उस वर्ष में रिटायर हुए उनमें से किसी दूसरे को नहीं किया तो फिर इन्हीं को किस आधार पर किया? आप कहेंगे कि उनमें स्पेशल क्वालिफिकेशन्स थीं। अगर स्पेशल क्वालिफिकेशन्स थीं तो राजस्थान केनाल का, भाखरा का कोलोनाइजेशन का काम चालू है, इसके लिये जिस व्यक्ति को पोस्ट किया था वह व्यक्ति चला जाता है तो

(श्री भैरोंसिंह)

राजस्थान कोलोनाइजेशन का काम साफ हो जाना चाहिये, पींदे बैठ जाना चाहिये, पर न वह काम साफ हुआ और न पींदे ही बैठा। तो इसमें कौन से कारण हैं कि उनको रीएम्प्लोयमेंट दिया गया ? इसमें घोटाले हुए हैं।

मैंने एक प्रश्न में जानकारी की है, उसके आने पर बताऊंगा कि क्या क्या घोटाले हुए हैं, सरकार को अनियमित कार्यवाहियां कर के कितनी हानि पहुंचाई है और उनके खिलाफ आप क्या एक्शन ले सकते हैं। एक्शन नहीं लिया जाता है तो वह आदमी जितना भी नुकसान पहुंचाना चाहे पहुंचा सकता है। वे चाहते तो और कुछ थे, दो साल का एक्स्टेन्शन हो जाय, पर लोगों की शिकायतें आई जिससे एक्स्टेन्शन नहीं हो सका। मैं कोई व्यक्तिगत तौर से, शिकायत के तौर पर नहीं कहता पर यह यह अवश्य कहूंगा कि इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन सर्विसेज में डीमोरेलाइजेशन लाता है। इन रीअपोइन्टमेंट्स के लिये कानून बनाने की आवश्यकता हो तो राजस्थान विधान सभा से कानून पास करके उसके अनुसार चलें। पर इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट करेंगे तो सर्विसेज में डिस्सेटिस्फेक्शन होगा, डीमोरेलाइजेशन होगा।

डिस्ट्रिक्ट जजेज़ भी रिटायर होते हैं। डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जजेज़ रिटायर होते हैं, उनको वापिस आप रीएम्प्लोय करते हैं। आज राजस्थान की यह हालत है कि एक तरफ तो बेकारी बढ़ रही है, एक तरफ हमारे प्रमोशन्स होने चाहिये जो नहीं होते, आज प्रमोशन्स इतने स्टेग्नेन्ट हो गये हैं कि उनको प्रमोशन्स नहीं मिलते। ऊपर से वेकेन्सी क्रियेट नहीं होती है और दूसरी तरफ इस तरह के लोग हैं जिनकी नियुक्ति होती है, जिनको वापिस रिएम्प्लोय किया जाता है जिनका काम कुछ नहीं। आपने आर० एच० जे० एस० ऑफिसर की नियुक्ति की। उसको सेक्रेटेरियेट में बिठाने के लिए आपने नियुक्ति की, ट्रान्स्पोर्ट में कम्पन्सेशन देने के लिए, इन्क्वायरी कन्डक्ट करने के लिए नियुक्ति की। उनके काम का आउट पुट देखा है ? कितने केसेज़ में ट्रान्स्पोर्ट का कम्पेन्सेशन निर्धारित किया, और कितनी इन्क्वायरीज डिस्पोज ओफ की ? ट्रान्स्पोर्ट के कम्पेन्सेशन के मामले में मैं कह सकता हूं कि उन्होंने एक केस भी डिसाइड नहीं किया। इसका एक नेचुरल असर होता है हमारी सर्विसेज पर, बाकी के जितने अधिकारी हैं उसका असर उनके ऊपर होता है। हम भी किसी मंत्री को खुश रखें, हम भी किसी बड़े अधिकारी को खुश रखें तो हमारी भी, इस प्रकार से वापिस नियुक्ति हो सकती है, हम भी सरकार से दो साल के लिए तनख्वाह ले सकते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति जो है वह सर्विसेज में डिमोरेलाइजेशन लायेगी। इतना ही नहीं, यदि जुडिशियल सर्विसेज़ को आपने इस प्रकार से प्रभावित करने की कोशिश की तो इसका बड़ा बुरा असर होगा हमारी सर्विसेज़ पर और हमारी न्याय प्रणाली पर। ज्योंही रिटायरमेन्ट का समय आवेगा वे मंत्री महोदय की खुशामद करेंगे या वे उनकी खुशामद करेंगे जो उनको रीएम्प्लोय कर सकते हैं, उनकी खुशामद करेंगे। इसलिए जिस प्रकार से राजस्थान में आज रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट सेशन्स जजेज़ को रीएम्प्लोय किया जा रहा है, मैं मुख्य मंत्री श्री सुखाड़ियाजी, आपसे कर-बद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि आज पब्लिक का किसी

( श्री भैरोंसिंह )
प्रकार से आपके इस एडमिनिस्ट्रेशन पर विश्वास नहीं रहा है और अगर उसका कहीं विश्वास रहा है तो वह केवल ज्युडिशियल सर्विसेज पर रहा है । जिस प्रकार से उस ज्युडिशियल सर्विसेज को आज तक पवित्र बना रखा था उसको आज आप अपवित्र करने की कोशिश कर रहे हैं । आप आज इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेट ट्रीटमेन्ट कर रहे हैं । इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेट ट्रीटमेन्ट अगर ज्युडिशियल सर्विसेज में होना प्रारम्भ हो जायगा तो चाहे आप भाखरा की बातें बतायें, कितने बच्चों को आपने स्कूल में भेजा है यह बतायें, अथवा पर के-पिटा के आंकड़े बतायें। मैं कहूंगा कि राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेशन कोलेप्स हो जायगा और एक दिन वह स्थिति पैदा हो जायगी कि लोग यह महसूस करेंगे और कहने लगेंगे कि हम जायें तो कहां जायें, कहां न्याय पड़ा है जो हमको न्याय मिलेगा । क्या आज आपको ज्युडिशियल आफिसर के अलावा ऐसा कोई और अन्य व्यक्ति नहीं मिलता जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर सके, लॉ कालेज का प्रोफेसर बन सके । ये सब चीजें चलती हैं । इससे सर्विसेज में एक प्रकार का डिमोरेलाईजेशन आता है । सर्विसेज में जो इन्डिपेन्डेन्स होनी चाहिये वह इन्डिपेन्डेन्स नहीं है, वह धीरे धीरे खत्म हो रही है । आज से लगभग एक अधिकारी का गत आठ-दस साल से री एम्प्लायमेंट चल रहा है । स्पेशल आफिसर के पद पर रीएम्प्लायमेंट चल रहा है । राजस्थान के राजस्व मंत्री आप हैं, राजस्थान राजस्व मंत्री दामोदरलालजी थे, राजस्थान के राजस्व उप-मंत्री श्री रामप्रसादजी लड्ढा हैं, और मैं यह समझ कर चलता हूं कि रेवेन्यू मेटर्स का जहां तक सवाल है ये तीनों ही व्यक्ति एक्सपीरियेन्स्ड हैं । रेवेन्यू के कानून की इनको जानकारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी है और जो सरकारी नीतियां हैं उनकी भी इन को जानकारी है । लेकिन आज भी एक स्पेशल ओफिसर लेकर चल रहे हैं । मैं यह नहीं कहता कि कोई क्वालिफिकेशन उसमें नहीं है । इसलिए भी शिकायत नहीं करता कि वे किसी के कृपा पात्र हैं । मेरी शिकायत एक है । इसका इम्पेक्ट बाकी की सर्विसेज पर क्या पड़ा ? लगभग दस वर्ष से उनका रीएम्प्लोयमेंन्ट चल रहा है । वह रिएम्प्लोयमेंन्ट भी ऐसा कि फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट हर साल रोड़े अटकाता है । वह नहीं चाहता कि इनका रीएम्प्लोयमेन्ट किया जाय । गृह मंत्रीजी ने इसी सदन में कहा था कि जितने भी रिएम्प्लोयड हैं उनको रिटायर कर दिया जायगा । जो प्रभावशाली थे वे टिक गये, जिनका कोई बैकिंग नहीं था वे रिटायर हो गये । गृह मंत्रीजी आ गये हैं, मैं उनको याद दिलाऊंगा कि उन्होंने पिछली दफा विधान सभा में जोश में आकर कहा था कि जितने भी रीएम्प्लायड हैं अफसर उनको हटा दिया जायगा । आज क्यों बैठे हैं ? किस लिए बैठे हैं । आप कहिये कि उनकी चली नहीं । राजस्थान के मुख्य मंत्री ने उनका कहना नहीं माना अथवा उन्होंने कहा नहीं । आखिर आप उनके ज्युनियर हैं । जैसा मुख्य मंत्रीजी कहेंगे करना पड़ेगा । आपने एप्रोच किया कि उनको हटा दिया जाय, फाइनेन्स डिपार्टमेंन्ट ने लिख दिया कि उनके बिना भी काम चल सकता है, लेकिन सरकार ने एक्शन नहीं लिया ।

सभापति महोदया, टीचर्स का अपोइन्टमेन्ट हो, इन्सपेक्टर्स का अपोइन्टमेन्ट हो, कोई भी अपोइन्टमेन्ट हो, उसमें किसी तरह की ऐसी बात नहीं है जिसमें कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता महसूस की गई हो । कई लोग तो ऐसे हैं, कई लोगों

( श्री भैरोंसिंह )

के पास काम की कोई स्पेशिलिटी नहीं, किसी प्रकार का कोई काम नहीं। टीचर्स को रीएम्प्लोय करते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। टीचर्स की एक क्लास है। उसको प्रोटेक्शन देना है। लेकिन अमुक टीचर्स को रीएम्पलोय किया जाय, और अमुक को रिटायर किया जाय, यह क्यों? इसमें कोई तालमेल समझ में नहीं आता। एक को रिटायर किया जाय और दूसरे को नहीं किया जाय, उसको रीएम्प्लोय किया जाय, यह क्यों? अगर रीएम्पलोय ही करना है तो दोनों को किया जाय, और यदि रिटायर ही करना है तो दोनों को ही रिटायर किया जाय। लेकिन यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जाय? सर्विस बुक दोनों की अच्छी, एन्ट्री दोनों की अच्छी, किसी के खिलाफ कोई बेड एन्ट्री नहीं। मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहूंगा कि आपने रीएम्प्लोय किया, किस बेसिस पर किया? सिलेक्शन का क्या आधार था? सर्विस बुक से किया? रीएम्प्लोय किया तो एडवर्स रिमार्क नहीं थे इसलिए किया? लेकिन न तो दोनों के सर्विस बुक में कोई बेड एन्ट्री है, न कोई एडवर्स रिमार्क है, फिर आपने यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया? जिस व्यक्ति को रीएम्प्लोय करना था कर लिया। सरकार को इन बातों की कोई चिन्ता नहीं। इररेगुलर अपोइन्टमेन्ट्स इतने चल गये हैं, ट्रान्सपोर्ट विभाग में यू० डी० सी० का इन्सपेक्टर बना, एल० डी० सी० को० सब-इन्सपेक्टर बना दिया। आखिर ये क्यों हुए? पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने यह मामला गया। पब्लिक सर्विस कमीशन ने कह दिया कि यह इररेगूलर है। लेकिन सरकार कन्टेस्ट करती रही कि रेगूलर है। पी० एस० सी० ने दूसरी रिपोर्ट में उसका उल्लेख किया। सरकार ने कहा कि वाकई इररेगलर अपोइन्टमेन्टस हैं और सरकार इसलिए ऑर्डस इश्यू करती है कि सारे अपोइन्टमेन्ट्स हुए हैं उनको रिवर्स कर दिया जाय। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि जिस समय इस प्रकार से नियुक्ति की गई उसको तीन साल हो गये, सरकार पहले कन्टेस्ट करती रही और उसने उसको स्वीकार नहीं किया लेकिन ६२ में जाकर सरकार ने इसको स्वीकार किया कि नियुक्ति की गई वह इररेगलर थी। सरकार ने पी० एस० सी० की सिफारिश को माना। लेकिन जिस अधिकारी ने इस प्रकार की नियुक्ति की, सरकार उसको बराबर कन्टेस्ट करती रही, उस व्यक्ति के खिलाफ, उस अधिकारी के खिलाफ, सरकार ने आज तक क्या कार्यवाही की है? जब तक सरकार के द्वारा इस अधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो मैं यही मान कर चलता हूं कि सरकार के मंत्रियों के द्वारा ही इस प्रकार की नियुक्तियां होती हैं। एक मंत्री एक छोटी सी गलती करता है, उसको एम्प्लोफाई करें, एक मैंने नियुक्ति करदी उस नियुक्ति पत्र के साथ तीन नियुक्तियां होंगी। वे कहते हैं कि एक तो आप कहते हैं इसलिये जायज़ हैं और तीन कानून के अनुसार जायज हैं। इस तरह से एक के साथ तीन चार नियुक्तियां हो जाती हैं तो इस तरह से जहां आप एक के लिये गलत कार्यवाही करते हैं वहां आपको तीन पर और मोहर लगानी पड़ती है। यह इस प्रकार का डेवलपमेन्ट हो रहा है इस डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेटिक ढांचे द्वारा। ब्यूरोक्रेटिक ढांचा किसी न किसी सूरत में एक्सप्लोइट किये बिना नहीं रहता। एक्सप्लोइटेशन का जब कभी मौका आता हैं ये ब्यूरोक्रेटिक अधिकारी कभी भी नहीं चूकते हैं।

(श्री भैरोंसिंह)

राजस्थान का कौनसा ऐसा विभाग है, आप मुझे बतलाइये, जहां पर इरेंगुलर अपोइन्टमेन्ट नहीं चलता हो। आज के दिन की बात ले लीजिये जब कि बान लगा हुआ है नियुक्तियों पर। कोई भी एडवरटिजमेन्ट नहीं होता, अपोइन्टमेन्ट्स धडल्ले से होते जा रहे हैं। उधर कन्सोलिडेशन डिपार्टमेन्ट के आदमी जो इन्स्पेक्टर आदि थे उनको एबजोर्ब किया जाता है सीनियर स्केल में जो अच्छी पोस्ट्स उसमें होल्ड करते थे उनको जुनियर पोस्ट्स पर एबजोर्ब किया जाता है। और जो सीनियर लोग हैं उनको कहा जाता है तुम अमीन की जगह पर काम करो, अमीन की जगह इन्स्पेक्टर काम करे। और इन्स्पेक्टर्स की पोस्ट्स को भर दिया जाता है गलत प्रोमोशन से और जो बच रहते हैं उनको सरप्लस डिक्लेअर कर वापिस कर देते हैं सरकार इन कार्यवाहियों को नहीं रोक पाती।

सभापति महोदया, मैं कहना चाहता हूं सरकार केवल जन सेवा आयोग की रिपोर्ट सदन के सामने रख देती है उस पर बहस हो जाती है, उससे सदन सन्तोष न करे। लेकिन जो गलत कार्यवाहियां हो जाती हैं, उनको सरकार मान्यता दे देती है वह समाप्त होनी चाहियें उसके बिना केवल रिपोर्ट पर विचार करने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा।

आज सरकार कई बार कहती है कि यहां रेड टेपिज्म बहुत चल रहा है, एफीशियेन्सी खत्म हो रही है उसका भी एक कारण है, जो काम करने वाले हैं, जिनका काम का आउट पुट अच्छा है, एफीसियेन्टली जो वर्क कर रहे हैं, इन्ट्रीग्रिटी से काम करते हैं, उनको जब लिफ्ट नहीं मिलता है, तो वे यह सोचते हैं कि काम करने की जरूरत नहीं है। वे भी यही सोच लेते हैं केवल समय व्यतीत करना है, काम में एफीसियेन्सी लाने की क्या जरूरत है ? आज तो जो अपने ऊपर वाले अधिकारी हैं, उनको खुश रखते हैं, जो उनकी चापलूसी करता रहे एडमिनिस्ट्रेटिव एफीशियेंसी का सवाल नहीं, तो मौका होगा तो चान्स मिल जायगा। अगर आप शासन में एफीशियेन्सी और इन्ट्रीग्रिटी को लाना चाहते हैं, करप्शन समाप्त करना चाहते हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं अपोइन्टमेन्ट्स, ट्रान्सफर्स, प्रोमोशन्स के मामलों में इतने रिट्रक्ट हो जांय कि चाहे अपने किसी रिश्तेदार का भी क्यों न करना हो गलत प्रोमोशन न करे तो यह एफीशियेन्सी आ सकती है। आप यदि इस प्रकार का एक्जाम्पल सेट करेंगे तो बाकी के अफसर आपको फोलो करेंगे और इसका असर राजस्थान सर्विसेज पर बहुत अच्छा पड़ेगा।

आपने प्रोमोशन का जो क्राइटेरिया कर रखा है उसमें सीनियोरिटी-कम-मेरिट का हिसाब रखा है। इससे भी अपने अपने आदमियों को चान्स देने का कारण बन गया है। मैं मानता हूं कि केवल सीनियोरिटी के आधार पर ही प्रोमोशन्स दिये जायं तो कई लोग ऐसे आजायेंगे जो उस जगह के काबिल नहीं होंगे। इसलिये सिनियोरिटी के साथ मेरिट्स का जो आधार रखा है, वह ठीक है। लेकिन जब प्रोमोशन का मौका आता है तो उसके लिये सिलेक्शन कमेटी बैठती है, उस समय उन अधिकारियों की कोनफीडेन्श्यल फाइल देखी जाती है। कोन्फीडेन्श्यल फाइल में अगर कोई एडवर्स रिमार्क आदि हो तो उसको प्रोमोशन नहीं मिलता है।

# Page No. 56



(श्री भैरोंसिंह)

राजस्थान के मेडिकल विभाग को ले लीजिये, एस० पी० के कार्यलाय को ले लीजिये, कलेक्टर के कार्यालय को देख लीजिये जहां कहीं भी एडवर्स रिमार्क होते हैं वह उनको कनवे नहीं किये जाते हैं। लेकिन जब सिलेक्शन कमेटी के सामने सर्विस शीट जाती है केवल उसी आधार पर निर्णय देते हों, यह बात नहीं। कॉनफीडेंशियल रेकार्ड में यदि उसके खिलाफ एडवर्स रिमार्क होते हैं तो वह प्रोमोशन में बाधक बन जाते हैं। एक बात निश्चत है कि आज जो इस प्रकार के एडवर्स रिमार्क्स होते हैं उनको कनवे नहीं किया जाता है जो कि उनको कनवे करना चाहिये ताकि उनको कन्टेस्ट करने का मौका मिल सके। कनटेस्ट करने के बाद गवर्नमेन्ट का डिसीजन हो कि अमुक व्यक्ति का काम अच्छा नहीं है, इंट्रीग्रिटी अच्छी नहीं है, एफीसियेन्ट नहीं है, हार्ड वर्क करने वाला नहीं है, इसके लिये बेड एन्ट्री की गई है। लेकिन जब आप कनवे नहीं करते और प्रोमोशन के समय उसको देखते हैं तो उसका नतीजा यह होता है कि जिस व्यक्ति को प्रोमोशन दिलाना चाहते हैं उसको उसकी सर्विस शीट को ठीक करने लग जाते हैं और जिसको प्रोमोशन नहीं देना होता है उसकी सर्विस शीट को डेलीबरेटली खराब कर दिया जाता है। अमुक अधिकारी को आइ० ए० एस० में लेना उसके ऊपर इतने अधिकारी हैं उनके सर्विस शीट खराब करना शुरु कर दिया जाता है और उसकी सर्विस शीट में यह लिखना शुरु कर देते हैं कि इनका काम खराब है। He is not hard working. He is not deligent. He is not efficient. ये सब लिख दिये जाते हैं, किन्तु उनको कनवे नहीं किया जाता है। तो इसका नतीजा यह होता है कि उसको चान्स नहीं मिलता। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि जिनका काम अच्छा नहीं है, जिनकी इन्टीग्रिटी डाउटफुल है तो वह केवल उनके कान्फिडेन्शल फाइल में दर्ज होने की चीज नहीं है उसके लिये पेनल्टी मिलनी चाहिये। अगर वह एफीशियेन्ट नहीं है तो निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिये, लेकिन ये सब चीजें आप उसको कनवे नहीं करते हैं और केवल प्रोमोशन इस बिना पर रोक देते हैं, तो यह उस अधिकारी के साथ जबरदस्त अन्याय है।

आर० ए०एस० से जितने आइ०ए०एस० में प्रोमोशन किये गये, उसमें से आप एक भी एग्जाम्पल बता दें जिस आर०ए०एस०ऑफिसर को उसके एडवर्स रिमार्क कनवे किये गये हों। कभी नहीं किया गया। यह आप कह सकते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से एक मेम्बर आते हैं वे चेयरमेन बनते हैं लेकिन उनके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी बैठते हैं, कमिश्नर डिवीजन का होता है वह बैठता है। ये सब बैठकर सिलेक्शन करते हैं। लेकिन मेरा यह निवेदन है कि आप इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी कराकर देखिये कि पिछले तीन सालों में जितने आर०ए०एस० अधिकारियों के सर्विस रेकार्ड को जानबूझ कर खराब किया गया है। नहीं तो क्या के० एल० बराया जैसे व्यक्ति कभी आई० ए० एस० में आ सकते हैं। क्या आप समझते हैं कि क्या इनके मुकाबले आई० ए० एस० के लिये कोई अधिकारी एफिशियेन्ट नहीं मिल सकता था ? आपको यह चिन्ता नहीं कि यह आई० ए०एस० में आ सकता है या नहीं ? आप यह भी कह सकते हैं कि हमने इन्टरव्यू भी इसमें रखा है लेकिन इस बात के भी प्रमाण हैं कि कई व्यक्तियों को इन्टरव्यू में भी नहीं बुलाया गया क्योंकि वे नोन मट्रिकुलेट्स थे। आई० ए० एस० में कैसे आ सकते थे। राजस्थान ऐसा प्रदेश है जिसमें लिटरेसी कम है, शिक्षा की कमी है, बैकवर्ड

# Page No. 57



(श्री भैरों सिंह)

प्रोवीन्स था इस कारण यहां नोन-मैट्रिकुलेट्स भी आई० ए० एस० में लिये गये । इसलिये सिलेक्शन कमेटी के सामने उन लोगों को जाना मना कर दिया । आप किसी को डिबार कर देते हैं डिबार इसलिये कि अगर वे सिलेक्शन कमेटी के सामने आये तो सिलेक्शन कमेटी उनको अंग्रेजी में सवाल पूछेगी और वे जवाब नहीं दे पायेंगे और इस तरह से वे प्रोमोशन में नहीं आ सकेंगे ।

आज आप एडमिनिस्ट्रेशन की हालत देख लीजिये। प्रोमोशन कोटे के मुकाबले कुछ व्यक्तियों को छोड़कर जो डाइरेक्ट रिक्रूटमेन्ट से आये हैं वे ज्यादा काबिल हैं। मुख्य मंत्री यह छाती पर हाथ रखकर कहें कि जितने प्रोमोशन में आई० ए० एस० अधिकारी बने हैं और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आये हैं किनके खिलाफ जनता, जन प्रतिनिधियों की शिकायतें हैं । आप देखेंगे कि जो प्रोमोशन से आई० ए० एस० में आये हैं उन लोगों की ज्यादा शिकायतें हैं आज उनकी बहुत शिकायतें हैं उनका पब्लिक के साथ व्यवहार ठीक नहीं है। मैं आपको झुंझुनू के कलेक्टर का ही उदाहरण दे दूं, जिनके बारे में केवल रिश्वतें लेने की शिकायत नहीं कोई खाने का मामला नहीं,लेकिन उनके खिलाफ ऐसे ऐसे मामले हैं जिनका जिक्र मैं यहां नहीं कर सकता। जिसके लिये लगातार वहां की जनता मीटिंग कर रही है ।

आप केवल एक ही व्यवस्था कर दीजिये कि जिन अधिकारियों के खिलाफ एडवर्स रिमार्कस हों उनके प्रोमोशन का इन्तजार न करें उनको उसके लिये पनिशमेन्ट दें अगर उनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल हो तो उसको पहले से चेतावनी दे दें ताकि ये सब रिमार्कस फरदर प्रोमोशन के लिये बाधक न हों। अगर वे उस समय बताये जाते हैं तो यह एक प्रकार से इन सर्विसेज के खिलाफ अन्याय है । जिस अन्याय को गोपनीय रखने की व्यवस्था है ।

तो मैं निवेदन करूंगा सभापति महोदया, कि राजस्थान का स्टेन्डर्ड किस प्रकार से गिरा । मुख्य मंत्रीजी ने आज के चार दिन पहले इसी सदन में कहा था कि मैंने इतनी स्कूलें खोलीं, इतने आदमी पढ़ने लग गये । इतनी स्कूलें खोल दो, इतने कालेज खोल दिये और इस प्रकार शिक्षा का स्तर बढ़ा दिया; मुझे तो इसका अहसास तब हुआ जब मैंने पी०एस०सी० की रिपोर्ट पढ़ी । मैं शिक्षा का उल्लेख नहीं करना चाहता, पर जो जवाब दिये हैं इन स्कूलों से पढ़कर निकले लड़कों ने उनका मैं थोड़ा उल्लेख कर देता हूं ताकि मालूम हो सके कि कितना स्तर बढ़ा है और कैसा स्तर बढ़ा है हमारी शिक्षा का ।

"D. V. C. is in Punjab.

Hirakund is in Punjab.

Chambal is in U. P. and Kosi in Andhra".

आसाम की राजधानी पटना या कलकत्ता, पंजाब की अमृतसर, आन्ध्र की कालीकट, रगून इत्यादि और केरल की राजधानी मद्रास।

उड़ीसा की कोयम्बटूर, बनारस, रांची इत्यादि ।

यह है शिक्षा का स्तर हमारी राजस्थान की स्टेट का। इसके अलावा और भी बातें हैं:

"Mahatma Gandhi founded Shantiniketan.

Shantiniketan is situated in Hardwar,

(श्री भैरोंसिंह)

Tansen wrote Bandematram.

None could name the Indian Girl Swimmer who crossed the English Channel. One however, named her as Sarojini Naidu"

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): इसका एजुकेशन से कैसे रिश्ता करते हैं ? हिन्दुस्तान भर से वहां लड़के आते हैं। तो राजस्थान की एजुकेशन से इसे कैसे कनेक्ट करते हैं ?

श्री भैरोंसिंह: थोड़ी सी बुद्धि का सवाल है यह। आप में वह कम है। आप नहीं समझ सकते इसे ।

मैं यह निवेदन कर रहा था सभापति महोदया, . . . . .

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : 'कम बुद्धि' ऐसी बात करते हैं ।

श्री भैरोंसिंह: पर आपने अपनी बुद्धि का परिचय दे दिया । मुझे बोलने दीजिये।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा: माफ किया तुम्हें।

श्री भैरोंसिंह: मैं निवेदन कर रहा था कि मैं इसके लिये सरकार को दोषी नहीं ठहराता। सरकार ने स्कूलें नहीं खोली, ऐसी बात नहीं, खर्चा नहीं किया हो, ऐसी भी बात नहीं। यह सब तो उसने किया, पर मैं केवल एक अपील करना चाहूंगा कि सरकार इस स्तर को सुधारने की भी चेष्टा करे। आज कोई किसी प्रकार का स्कूल हो, एक इन्डस्ट्री की शिफ्ट की तरह चलती है। यह सही है कि आप यह कहदें कि इससे लोगों का कॉमन सेन्स डवलप होगा, लोग लिटरेट कहे जावेंगे । यह सब कुछ ठीक है। पर साथ ही यह भी आप व्यवस्था करें कि शिक्षा का स्तर ऊंचा हो। अगर शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं हुआ, गिरता गया तो सारे जीवन के सेक्टरों में चाहे वह सरकारी नौकरी का हो, प्राइवेट नौकरी का हो, व्यापार हो, घरेलू काम काज हो, कोई भी क्षेत्र हो कोई भी सेक्टर हो हर सेक्टर में रिफ्लेक्ट करेगा।

इसलिये शिक्षा में बृद्धि हो, नहीं हो रही है इसकी शिकायत नहीं कर रहा, पर अपील करता हूं सरकार से कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का स्तर ऊंचा हो इस बात की भी चेष्टा करनी चाहिये, सरकार को शिक्षा के प्रसार के साथ साथ। और इस तरह से चेष्टा करते गये तो विश्वास है कि धीरे धीरे कुछ दिनों में राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में अगुआ बनकर शिक्षा के क्षेत्र में काफी कुछ कर सकेगा । और बाकी के प्रान्तों के सामने अपना उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकेगा।

एक बात सभापति महोदया, मैं और निवेदन करना चाहूंगा। वह भी बहुत गम्भीर है और इसलिये गम्भीर है कि राजस्थान में हर विभाग में सर्विस रूल्स बने हुए हैं। उसमें प्रोमोशन किया जावे तो कैसे किया जावे, ट्रांसफर कैसे किया जावे, किसका किस पर अंकुश रहे, यह सारी व्यवस्था है। पिछले सदन में सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि कई विभागों के सर्विस रूल्स अभी नहीं बने और जहां उनके अपने अलग सर्विस रूल्स नहीं बने हैं उन विभागों में जब तक नहीं बने

(श्री भैंरोंसिंह)

तब तक वहां जनरल रूल्स लागू होंगे। अब जिन विभागों ने अपने यहां रूल्स लागू नहीं किये, अभी तक नहीं किये, और जब वे नहीं करते हैं तो पी० एस० सी० ऐतराज करती है और ऐतराज भी उस स्थिति में करती है, कि वहां जो नियुक्तियां की गईं वे जनरल रूल्स के अनुसार भी नहीं की गईं। आज नियुक्ति कर दी और दो वर्ष के बाद में कहेंगे कि इसको रेगुलराइज कर दिया जावे। यह क्या व्यवस्था है ?

राजस्थान जब से बना, उसे आज १२–१३ वर्ष हो गये। पूछते हैं तो उत्तर देते हैं कि तब से आज तक कोई नया विभाग हमने नहीं बनाया। सब विभाग पहले से चालू थे। राजस्थान की सरकार अपने आपको बड़ी एफीशियेन्ट कहती है और यह बात बार बार कहती है। मैं पूछूंगा कि आप या तो यह कह दीजिये कि हम रूल्स बनाना नहीं चाहते, या यह कह दीजिये कि रूल्स हम बनाना तो चाहते हैं पर हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट्स नहीं बनाते या यह कह दीजिये कि हम एफीशियेन्ट नहीं हैं।

अब मैं पूछूंगा कि आपकी इच्छा थी कि रूल्स बने और हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट्स नहीं बनाते, तो मैं पूछता हूं कि ये हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट्स आपसे ताकतवर कैसे बन गये ? आपकी उनके सामने क्यों नहीं चलती ? आपके चाहने और आपके ऑर्डर देने के बाद भी उन्होंने रूल्स बनाये क्यों नहीं ? उनको रूल्स बनाना था, बनाते, व पी० एस० सी० को भेजते और फिर अमेन्डमेंट्स सजेस्ट करती। सरकार को और विभाग को किसी को उस सजेशन की चिन्ता नहीं और आप अपने रूल्स के अनुसार प्रोमोशन और अपोइन्टमेंट दे दो तो उसका भी असर पड़े बिना नहीं रह सकता। इसलिये निवेदन करूंगा कि जिन विभागों में सर्विस रूल्स नहीं बने, अभी तो आप यह स्पष्ट कर दीजिये कि अभी तक जो हुआ सो तो हुआ; पर अगले वर्ष तक के लिये हम वादा करते हैं कि कोई विभाग ऐसा नहीं रहेगा जिसके सर्विस रूल्स, प्रोमोशन रूल्स, अपोइन्टमेन्ट्स रूल्स न बने। आप इतना ही कह देंगे तो हम समझेंगे कि आपकी इच्छा तो है और आप उसे कार्यान्वित भी करना चाहते हैं। आप स्पष्ट कर दीजिये कि बिना रूल्स बने कोई टेम्पोरेरी अपोइन्टमेन्ट भी नहीं दिया जावेगा।

अब जो अपोइन्टमेन्ट्स अभी तक किये हैं इन रूल्स की खिलाफवर्जी करते हुए, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया ? अगर उनको लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से कहूंगा कि पी० एस० सी० में आस्था रख कर नौकरी प्राप्त करने वाले जो योग्य व्यक्ति हैं वे आगे आवेंगे और उनके साथ न्याय होगा और उन सबकी पूर्ति करने के लिये अपना वही सुझाव मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं कि आप सदन की एक कमेटी बनाएं जो पी० एस० सी० के द्वारा की गई नियुक्तियों, प्रोमोशन्स, सजा, री-एम्पलोयमेंट आदि के संबंध में उनके द्वारा सुझाये गये सुझावों के संबंध में विभागों की लापरवाही आदि के संबंध में सरकार के दृष्टिकोण की जांच करे और फिर इन सब पर अपनी रिपोर्ट सदन के सामने पेश करे। जो टेम्पोरेरी अपोइन्टमेन्ट्स किये गये, प्रोमोशन्स दिये गये गलत थे वे या तो जायज़ थे या नाजायज़ थे

(श्री भैरोंसिंह)

वाजिब थे या नावाजिब थे, उन सब पर अपनी रिपोर्ट सदन में पेश कर दी जावे, तो मैं विश्वास दिला सकता हूं कि जो सदन राजस्थान की दो करोड़ जनता के प्रति रेस्पोन्सिबिल है उसके द्वारा हम जनता में यह विश्वास अवश्य पैदा कर देंगे कि सर्विस की नियुक्ति के बारे में, प्रोमोशन आदि के बारे में किसी प्रकार की सिफारिश नहीं चलती बल्कि रूल्स की कम्पलायेन्स होती है। योग्य व्यक्ति अपनी योग्यता और गुणों के आधार पर आगे आ सकता है और अपनी योग्यता का लाभ सरकार को दे सकता है।

इतना भी विश्वास अगर आप पैदा कर देंगे तो एफीशियेन्सी और इन्ट्रीग्रीटी के रिसोर्सेज जो हैं वे डवलप हो जावेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन सुधर जावेगा राजस्थान का।

इन शब्दों के साथ में अपना वक्तव्य समाप्त करके अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर): सभापति महोदया, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की ग्यारहवीं और बारहवीं रिपोर्ट आज सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत है।

सभापति महोदया, मैं बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि जहां तक रिपोर्ट को केवल विचार-विमर्श के लिये यहां लाने का सवाल है अच्छा है, पर विचार विमर्श के बाद जो निष्कर्ष निकले उसको अपनाया न जावे तो केवल विचार करने मात्र से पी० एस० सी० की स्थापना के उद्देश्यों को, उसके लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता और न जनता के हृदयों में किसी प्रकार का कान्फीडेन्स ही इसके प्रति पैदा किया जा सकता है। पी० एस० सी० का निर्माण किस भावना को लेकर किया गया था वह आप हम सब जानते हैं।

मैं निवेदन करूं कि पी० एस० सी० का आइडिया आज से नहीं बहुत पहले से देश में चला आ रहा है। जो ब्रिटिश हुकूमत यहां थी, कम से कम यह आइडिया उसके दिमाग में भी था। लोगों के दिलों में विश्वास पैदा करने के लिये कि जहां तक नौकरी का, पदोन्नति का और इससे सम्बन्धित अन्य मामलों का सवाल है एक निष्पक्ष कमीशन काम करे, जिसमें निष्पक्ष लोग हों, जो यह देखेंगे कि हुकूमत का बड़े से बड़ा आदमी अपनी शक्ति हाथ में लेकर किसी अधिकारी या नौकर का दमन तो नहीं कर रहा है। तो इन भावनाओं के साथ इस संस्था का जन्म हुआ था।

सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट में इस तरह के कमीशन के निर्माण के बाद इस परिपाटी को सभी स्टेटों में और राज्यों में भी लागू किया गया। तब से इस कमीशन की परम्परा चली आ रही है।

मैं निवेदन करूंगा कि जयपुर स्टेट में भी काफी अर्से से इस तरह का कमीशन काम करता आ रहा था और प्रोमोशन, पदोन्नति, अपोइन्टमेन्ट आदि सब इस कमीशन के द्वारा ही तय किये जाते थे।

लेकिन आज हम देखते हैं कि इस भावना का लोप होता जा रहा है। इस कमीशन की पहले की रिपोर्ट, दसवां प्रतिवेदन भी इस सदन में आया था उस पर भी

(श्रीदुर्गालाल बाढ़दार)

विचार किया था हमने। उन सबको देखकर तीन महत्वपूर्ण बातें उत्पन्न होती हैं। एक तो यह देखते हैं कि कमीशन आज जो निर्णय लेता है क्या उस पर भी कोई अपना प्रभाव बाहर से डालकर उनको सही निर्णय लेने से रोकता है? जहां तक इस प्रकार के मसले हमारे सामने आये हैं उनसे हम यह नतीजा निकालते हैं कि कमीशन द्वारा भी जो अपोइन्टमेंट्स किये गये हैं उनके बारे में भी आज यह नहीं कहा जा सकता कि ये निष्पक्ष रूप से हुए हैं और इनके बारे में कमीशन क स्वयं के कुछ निहित स्वार्थ सदस्यों के द्वारा या बाहर के ऐसे तत्वों के द्वारा वे प्रभावित न हुए हों।

(५·०० म० प०)

एक प्रश्न हमारे सामने यह आता है और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह आता है कि राज्य सरकार के जो उच्च अधिकारी होते हैं वे यहां तक करते हैं कि कमीशन के सदस्यों पर प्रभाव डालते हैं और अपने ही पक्ष के आदमियों को या अपने परिचित आदमियों को एम्पलोयमेंट दिलाने की चेष्टा करते हैं। उनके द्वारा ट्रान्सफर्स के मामलों में भी बहुत दखलन्दाजी की जाती है।

तीसरा सवाल आता है वह यह आता है कि इस इन्टरफियरेन्स के बावजूद भी एक तरफ कमीशन अपने सुझाव राज्य सरकार के सामने रखता है लेकिन राज्य सरकार उन सुझावों के ऊपर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं करती है। कमीशन जैसा भी हो, जिस प्रकार के भी अपाइन्ट-मेन्ट्स करता हो, जैसे भी ट्रान्सफर्स के मामलों के बारे में निर्णय देता हो लेकिन कोई नियम हैं और नियमों के अन्तर्गत इस प्रकार के विचार कमीशन के द्वारा व्यक्त किये जाते हैं। लेकिन कमीशन की शिकायत रही है और यह शिकायत इसी रिपोर्ट में नहीं बल्कि पहले की जो दो रिपोर्ट्स हैं उनमें भी इस प्रकार की शिकायत रही है। मैं सदन के सामने निवेदन करना चाहूंगा कि आप विचार करके देख लें कि जो डिसीज़न या सुझाव राज्य सरकार को दिये गये हैं राज्य सरकार ने उन सुझावों को कभी कार्यान्वित करने की चेष्टा नहीं की। बल्कि मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि बहुत सी इर्रेगुलेरिटीज़ और ऐसी बातें जिसमें राज्य सरकार की नोटिस में कमीशन की रिपोर्ट लाये और कार्यान्वित करने के बाद जिन उच्चाधिकारियों के विपरीत स्टेप्स राज्य सरकार को लेने चाहिये थे वे स्टेप्स नहीं लिये गये। ये तीनों बातें इस प्रकार की हैं कि आज राज्य सरकार के प्रति हमें कॉन्फीडेन्स जो मिलना चाहिए वह शेटर होता चला जा रहा है। मैं कहूंगा कि यह इस प्रकार का कॉन्फीडेन्स एडमिनिस्ट्रेशन में, कर्मचारियों में और कार्य करने वाले लोगों में उत्पन्न होगा तो यही सबसे बड़ा कारण है यदि किसी व्यक्ति की आत्मा प्रबल नहीं रहती तो समझ लीजिए कि करप्शन का यही मूल कारण होता है। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि इस करप्शन को पैदा करने वाले कौन हैं? इसके लिए और कोई उत्तरदायी नहीं, बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाले, हमारे केबीनेट के बहुत ऊंचे ऊंचे मिनिस्टर्स इसको जन्म देते हैं। किसी भी कारण से समझ लो, मैं यह नहीं कहता कि यह सब बातें उनके स्वभाव से उत्पन्न हुई हैं, बल्कि कोई

(श्री दुर्गालाल बादृदार)

परिस्थिति ऐसी हो सकती है, कोई दबाव इस प्रकार का आ सकता है कि मजबूरियों में पड़कर नियमों की अवहेलना करते हुए उनको इस प्रकार के कार्य करने पड़ते हों और उन कार्यों को करने के लिए यह समझ लें कि केबीनेट का मिनिस्टर यदि किसी परिचित व्यक्ति को, अपने किसी रिश्तेदार को कहीं अपोइन्ट कराना चाहता है तो आई० ए० एस० ऑफिसर्स या सेक्रेटरी केडर के बहुत ऊंचे आदमी जिनको कि एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ऊंचा अनुभव है और किसी प्रकार कम नहीं हैं, इन्होंने कच्ची गोलियां नहीं खाई हैं यदि कोई मिनिस्टर एक आदमी को अपोइन्ट करायेगा तो उसी लाइन पर चार, पांच और छ अपाइन्टमेंट्स ये ऑफिसर्स करायेंगे। यह आप समझ लें। एक छोटी सी कहावत है, स्वयंसिद्ध बात है कि चोर के पांव लम्बे नहीं होते। जो स्वयं जानते हैं कि मैंने एक इर्रेग्युलेरिटी कमिट की है उसके सामने लाजिमी हर हालत में झुकना पड़ेगा और कोई इर्रेग्युलेरिटी होती है तो सब चीजों पर उसको हस्तक्षेप करना पड़ेगा। यदि केबीनेट के ऊंचे तबके के मिनिस्टर्स अपने हृदयों में इस प्रकार की धारणा बना लें कि जो नियम बने हैं, कानून के अन्तर्गत कार्य करते हुए चलना चाहिये, उसके प्रतिकूल हमें कोई कार्य नहीं करना है, अगर इस प्रकार की धारणा बना लें तो यह समझ लें कि "यथा राजा तथा प्रजा" वाली कहावत जो चली आ रही है यह चरितार्थ हो जाये और करप्शन की स्टेज ऊंचे लोगों में से हट जायेगी तो नीचे के लोगों में रहने का कोई सवाल नहीं होगा।

अपने मौरल स्टेन्डर्ड को ऊंचा बनाने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा और मिनिस्टर्स को यह सोचना पड़ेगा कि मैं जानता हूं, मैं बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गया लेकिन इतना होने के बाद भी मुझको नियमों की अवहेलना नहीं करनी है, न्याय का पालन करना है और वह नियम जो राज्य सरकार की बहबूदी के लिए बनाये गये हैं उनका पालन करना है। लेकिन इस पर कोई विचार नहीं किया जाता है। नियमों की अवहेलना की जाती है और उसका परिणाम यह होता है कि करप्शन लोगों में फैलता जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि कॉन्फीडेन्स सबसे बड़ी चीज है। एडमिनिस्ट्रेशन राज्य सरकार को चलाने के लिये, राज्य सरकार को सुव्यवस्थित रखने के लिए बहुत ही ऊंची चीज है और जहां एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले लोगों के करेक्टर के ऊपर कोई कमजोरी आ जायेगी और उनके लिए मैं यह कहना उचित समझता हूं कि उनका करेक्टर बिगड़ जायेगा। बल्कि मैं यह कहूंगा और इतना ही कह देना उचित समझता हूं कि जो आत्मबल है, जो आत्म चरित्र है उसमें किसी प्रकार का विकार आ जायगा तो उसका परिणाम यह होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में गड़बड़ियां होगी और उन गड़बड़ियों का नतीजा यह होगा कि ऊपर से गड़बड़ियां चलती है व ऊंचे लोगों से नीचे के तबके में फैलती है और नतीजा यह होता है कि छूत के रोग के कीटाणु जिस प्रकार से फैलते हैं, उसी प्रकार से यह गड़बड़ियां फैल जायेगी और राज्य सरकार इन पर किसी भी प्रकार से नियंत्रण नहीं कर सकेगी और सारा एडमिनिस्ट्रेशन शटर आउट हो जायगा। यही कारण

( श्री दुर्गालाल बाढ़दार )

है कि १५ वर्षों की आजादी के बाद जहां हमने हृदय के अन्दर यह धारणा कायम की थी हमारे देश में एक व्यक्ति जो किसी भी ऊंचे स्थान को प्राप्त करने का अधिकारी है उसको उसके मैरिट्स के मुताबिक अधिकार दिया जायेगा। लेकिन इस आजादी के बाद में निवेदन करूंगा और सब लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, हमने यह अखबारों में पढ़ा है कि हमारे देश में ऐसे भी वाकये हुए हैं कि क्वालीफाइड आदमियों को, बहुत कुछ पढने के बाद यहां तक कि जीवन यापन के लिए नौकरी नहीं मिली और इसके कारण उनको आत्म हत्यायें करनी पड़ी। इन्जीनियर्स आत्म हत्यायें करके मरते हैं डाक्टरर्स आत्म हत्यायें करके मरते हैं। क्या उनके बारे में कभी सरकार ने तहकीकात की है कि इस आदमी ने नौकरी के लिए चेष्टा की और उसको नौकरी क्यों नहीं मिली ? इसका क्या कारण हो सकता था, यह जानने की कभी सरकार ने कोशिश की? इसका कारण यह भी हो सकता है कि हो सकता है उसके पास कोई जरिया नहीं हो और बिना जरिये इस राज्य सरकार में नौकरी पाना या कोई और चीज प्राप्त करना मुमकिन नहीं हो सकता। यही कारण है कि पढ़े लिखे आदमियों को एक तरफ आत्म हत्या करनी पड़ती है और दूसरी तरफ यह भी देखा गया है कि जो आदमी किसी प्रकार की योग्यता नहीं रखते, ऐसे केसेज भी देखने में आये हैं कि आपके उच्च अधिकारियों में एक नहीं अनेक गिनती बता सकता हूं जिनमें कोई कॉमन इन्टेलीजेन्स नहीं होते हुए भी वह किसी न किसी प्रभाव के कारण कुर्सियों पर बैठे हैं और जो योग्य व्यक्ति हैं उनको कोई स्थान नहीं दिया जाता है।

तो मेरा निवेदन करना यह था कि जहां पब्लिक सर्विस कमीशन का उद्देश्य यह है कि जहां कहीं भी मैरिट्स का प्रश्न आयेगा उसके लायक उसको डिसाइड करते हुए चले जायेंगे और जो योग्य व्यक्ति होंगे उनको पूर्ण रूप से अधिकार मिलेगा, जो नहीं हो रहा है।

एक चीज यह आती है कि डिपार्टमेन्ट्स में जहां तक अपाइन्टमेन्ट्स का सवाल आता है, तरक्की करने का सवाल आता है और दूसरी तरह के टेम्पोरेरी अपाइन्टमेन्ट्स का सवाल आता है उसमें राज्य सरकार की ओर से अब तक पूर्ण अव्यवस्था बरती गयी है और उसका परिणाम यह हुआ है कि जहां हम अब तक इस नौकरी के स्तर को बहुत ऊंचे तरक्की की स्टेज पर पहुंचाना चाहते थे वह स्टेज नहीं आ सकी बल्कि इसके अन्दर उल्टे और विकार आया है। यह उसका दूसरा कारण हो सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि जहां हम कोई निर्धारित योग्यता नियमित रूप से कायम कर देते हैं और उसके बारे में जैसे मेरे पूर्व सदस्य ने बताया आपके सामने कि वह योग्यता के निर्धारण का प्रश्न आता है तो डिपार्टमेन्ट अपने विभाग से कोई इस प्रकार की क्वालीफिकेशन कायम कर देता है, कुछ वान्टस निकाल देता है और उसके लिए आवेदन-पत्र आते हैं, उनका जहां तक प्रश्न आता है यह चीज पहले से होती है कि अधिकारियों को इतनी पावर्स होती है कि कुछ अर्से के लिए वह टेम्पोरेरी अपोइन्टमेन्ट्स कर लेते हैं। उसके लिए न तो उनको किसी कमीशन की इजाजत की जरूरत पड़ती है और न किसी और

( श्री दुर्गालाल बाढ़दार )

की। जिसको चाहते हैं, जिसका अपोइन्ट-मेन्ट करना चाहते हैं या मिनिस्टर्स कराना चाहते हैं उसका अपोइन्टमेन्ट कर दिया जाता है। उसके पश्चात जब योग्यता का प्रश्न आता है तो उस योग्यता के प्रश्न की चीज सामने आती है। मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां तक एक्सपीरियेन्स का सवाल है तो मां के पेट से कोई सीखकर नहीं आता। संसार के अन्दर मनुष्य जन्म लेता है और योग्यता प्राप्त करता है। आप एक तरफ किसी को मौका नहीं देते, दूसरी तरफ यह योग्यता का प्रतिबंध लगाते हैं और यह योग्यता का प्रतिबंध इसलिए नहीं लगाते कि यह आवश्यक है बल्कि इसलिये लगाते हैं कि उस योग्यता क निश्चित गिने गिनाये उतने ही आदमियों को आप पहले से तैयार रखते हैं और जब तक आप उनके अपोइन्टमेन्ट्स नहीं दे देते तब तक दूसरों के अपोइन्टमेन्ट का सवाल पैदा नहीं होता....

श्री निरंजननाथ आचार्य ( उप-मंत्री शिक्षा ) : कविता में भी अपनी भावना व्यक्त करें।

श्री दुर्गालाल बाढदार : मैं वही व्यक्त कर रहा हूं। जो पब्लिक सर्विस कमीशन आपके प्रति दुख के साथ व्यक्त करती है....

श्री निरंजननाथ आचार्य: यह काव्य में दें....

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : है मेरे पास। ४ बातें हैं वे जरूर सुनाऊंगा।

तो मेरा यह विनम्रता से निवेदन करना है कि इस प्रकार की जो बात आई है उनमें एक तरफ इस भावना को लेकर जाते हैं कि हमारे देश का जो यंग ब्लड है उस यंग ब्लड को जितनी ज्यादा तरक्की देना चाहेंगे उतनी आगे तरक्की देने की चेष्टा करेंगे। हम एक ही आधार पर करते हुए चले जा रहे हैं, रिटायर्ड आदमी के लिये कोई इस प्रकार के नियम बने हुए हैं। मान लो कि ५०० आदमी रिटायर्ड किये हैं, तो किस रूटीन के आधार पर, उनको किस नियम के आधार पर एक के बाद दूसरे का अपाइन्टमेंट करेंगे, यह पहला प्रश्न पैदा होता है, लेकिन उनमें से आप रिएम्प्लायमेंट भी उसी आदमी का करेंगे जिसने वफादारी के साथ राज्य सरकार की सेवा की हो या नहीं, कानून की पाबन्दी को हो या नहीं, लेकिन उसने किसी न किसी मंत्री विशेष की वफादारी से सेवा जरूर की होगी, किसी न किसी मंत्री विशेष का कृपा पात्र अवश्य रहा होगा। रीएम्पलायमेंट ऐसे ही व्यक्ति को देने की चेष्टा करेंगे, और देने के पहले हो सकता है कि कुछ अनुभवी आदमी ऐसे भी हों जिनका सब्स्टीट्यूट आपको नहीं मिलता हो, लेकिन आखिर कोई नियम होना चाहिए, क्योंकि रिटायर्ड एक आदमी नहीं होता है, सैंकडों आदमी रिटायर्ड होते हैं। उन सकडों आदमियों में से एक दो ही ऐसे विशेष व्यक्ति हैं, उनमें एसी कौनसी विशेष योग्यता है कि जिसके कारण आप रीएम्प्लायमेंट उसी एक व्यक्ति को दें। यह स्वयं सिद्ध बात है। एडमिनिस्ट्रेशन में यह बात आयेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत से अपाइन्टमेंन्टस ऐसे हम करते हैं जिनको कि क्वासी जुडिशियल डिसीजन करना पड़ता है। बहुत से ऐसे नियम हैं जिनके अन्तर्गत हमको कई कार्य करने पडते हैं। तो उन नियमों की अवहेलना करने के लिए यह एक ऐसी चीज है जो लालच उनको प्रभावित करता रहता है

( श्री दुर्गालाल बादकर )

और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बैठने वाले ऊंचे से ऊंचे आदमी को प्रभावित करने की आप में ऐसी शक्ति है। वह शक्ति यह है कि रिटायर्ड होने के लिए जो फेसिलिटीज एक कर्मचारी की हैसीयत से मिलती है, वे फेसिलिटीज फिर भी मिलती रहें, यह लोभ, यह लालच इस प्रकार के जो राज्य कर्मचारी हैं, ऊंचे तबके के लोग हैं उनको आपकी ओर से दिया जाता है। यह इस बात का मूल कारण है। उस कारण के द्वारा आप जो चाहते हैं वह एडमिनिस्ट्रेशन में बैठने वाले से कराते हैं, जा या बेजा कार्यवाही कराते रहते हैं। इसका उत्तरदायित्व मैं उन लोगों को नहीं देता हूं, बल्कि इसका उत्तरदायित्व मैं उन लोगों को देता हूं जो इस प्रकार से प्रभाव डालने की चेष्टा करते हैं। यह प्रभाव ऊंचे से नीचे तक होता है। एक व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है। इसका परिणाम बहुत लोगों पर होता है। प्रभावित होने वाला व्यक्ति और उसके परिणाम स्वरूप जिन लोगों को सम्पत्ति और जिन लोगों को अधिकार प्राप्त होते हैं वे लोग इस तरह से प्रभावित होते हैं। यह विचार धारा जनता में फैली हुई है। उससे जनता में असन्तोष फैलता है। जनता में असन्तोष फैलने के कारण लोगों के हृदय में जो सद्भावना आप लोगों के प्रति है वह जाती रहती है और यह नतीजा होता है कि केबीनेट के विरुद्ध ही नहीं, अपितु सारे एडमिनिस्ट्रेशन के विरुद्ध अविश्वास लोगों के हृदय में उत्पन्न होता है। उसका कारण यह होता है। आप लोगों के प्रति जनसाधारण में यह भावना है।

कोई ऐसा नहीं है जो यह नहीं जानता हो कि इम्तिहान में आर० एच० जे० एस० और आर० ए० एस० में अच्छे नम्बर से पास होते हैं, लेकिन जब कमीशन के सामने उनके जुबानी इम्तिहान के लिए जाते हैं तो किसी की नाक देखते हैं, किसी की आंख देखते हैं और कोई किसी प्रकार का सवाल पूछता है। रिटन टेस्ट के अन्दर एक आदमी १०० में से ८० या ७० नम्बर पाता है, उसको आप जीरो नम्बर दे देते हैं, उसको आप फेल कर देते हैं। इसका कोई क्राइटेरिया होना चाहिये। मैं निवेदन करता हूं कि हो सकता है कि आप बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको कि आप देखें, लेकिन दुनिया में कई जगह ऐसे नियम हैं या बना लिये जाते हैं, पहले उनसे विचार-विमर्श करने के लिए। एक क्षण में जब कि वह इन्टरव्यू के लिए आता है व्यक्ति विशेष उसकी योग्यता के बारे में पूर्ण रूप से निष्कर्ष निकाल लें, निश्चय ही यह असम्भव बात है। एक केन्डीडेट के साथ में इन्टरव्यू होता है तो हार्डली १-२ मिनट का होता है या ५ मिनट उससे बात होती है, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें भी इस प्रकार के प्रश्न नहीं लिये जाते हैं। ऐसे सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देना, यह क्राइटेरिया हो कि नहीं देने के कारण आप इस स्थिति पर पहुंच जांय कि अमुक आदमी बिल्कुल मूर्ख है, अमुख आदमी इस पोस्ट के लिए उपयुक्त नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगा कि यह कोई क्राइटेरिया नहीं है। जहां तक क्वेश्चन पूछने का सवाल है तो आर० जे० एस० से आप वह प्रश्न पूछते हैं जो ज्योग्राफी से सम्बन्ध रखता है। आर० एच० जे० एस० में बैठने वाले से आप मैथेमेटिक्स के बारे में सवाल पूछते हैं, तो हो सकता है कि उस वक्त उस सवाल का जवाब नहीं दे, लेकिन इन लोगों से यदि सवाल कानून से सम्बन्ध रखने वाले विषय में ही पूछें। खेती करने वाले आदमी से आप उसके विषय में पूछें। उस विषय के बारे में प्रश्न पूछें तो हो सकता है कि उनका उत्तर

(श्री बुगलाल बाढ़दार)

नहीं देने पर उसको लायक न समझें। आपने जनरल नोलेज का ऐसा हौवा बना रखा है, मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति विशेष को जनरल नोलेज नहीं होनी चाहिये, वह योग्यता के साथ प्रधानता रखती है। जनरल नोलेज के बिना तो मैं यह कहूंगा कि वास्तव में वह समाज में पढा लिखा आदमी नहीं कहला सकता, लेकिन जिस तरीके से आप जनरल नोलेज का टेस्ट करते हैं और जिस तरीके से उसको आधार भूत मानकर आप लोग इन्टरव्यू में उसको रिजेक्ट करते हैं तो यह रिजेक्ट करने का एक बहाना मात्र है, बल्कि यहां तक लोग-बाग कहते हैं और उसमें कहां तक सत्यता है, यह बात आप स्वयं जानते हैं, आप हृदय से जानते हैं कि जिन लोगों का एपोइन्टमेंट करना होता है उनकी लिस्ट पहले ही बनी हुई होती है और उस लिस्ट के आधार पर लोगों को आप पास कर देते हैं। उनमें से कोई आपका रिश्तेदार होता है, कोई प्रभाव-वाला आदमी होता है, कोई ऐसा होता है और उस आधार पर आप एपोइन्टमेंट कर देते हैं।

तो मेरा निवेदन यह करना था, सभापति महोदया, कि पब्लिक सर्विस कमीशन की कार्यवाही में हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह तो एक ऐसा विषय था कि कान्फिडेन्स जनता का पब्लिक सर्विस कमीशन में ही नहीं, बल्कि सारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर से रोज गिरता जा रहा है। उसका दूसरा कारण यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी तक अपनी सारी रिपोर्टों में बहुत से सुझाव राज्य सरकार के सामने दिये और राज्य सरकार ने उन सुझावों में से किसी भी सुझाव को अभी तक क्रियान्वित करने की चेष्टा नहीं की, बल्कि ऐसे ऐसे विभागों का दृष्टान्त दिया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है, जिसके अन्दर पब्लिक सर्विस कमीशन यह कहता है कि इर्रेगुलेरिटिज़ के साथ में आपने एपोइन्टमेंट किया उस एपोइन्टमेंट को हम रेग्यूलेराइज़ करने को तैयार नहीं हैं। डिपार्टमेंट के अधिकारी उस सुझाव को नहीं मानते हैं। इसके बावजूद इर्रेगुलर एपोइन्टमेंट्स बराबर करते हुए चले जा रहे हैं, उन सारी बातों को कन्टीन्यू करते हैं। यह आज से नहीं होता चला जा रहा है बल्कि काफी अर्से से होता चला जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि जब आपने कमीशन एपोइन्ट किया है तो जो कुछ सुझाव इस कमीशन की ओर से सर्विसेज़ के बारे में आते हैं तो उस कमीशन के सुझाव को हमें मानना चाहिए। कौनसा ऐसा कारण है, कौन सी ऐसी वजह है जिसके कारण जो सुझाव कमीशन के आपके सामने आते हैं उन सुझावों के ऊपर आप अपने विचार व्यक्त नहीं करते हैं, बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो उच्च अधिकारी हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर या हुकूमत करने वाले ऑफिसर हैं वे इस प्रकार की इर्रेग्युलेरिटिज़ करते हैं, क्या कारण है कि उनके खिलाफ कोई स्टेप लेने की जरूरत नहीं होती। मैं यह कहूंगा कि स्टेप लेने की ताकत नहीं है। अगर स्टेप लेने की ताकत नहीं है तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन करने का अधिकार नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए आपको थोडा सख्त होना पड़ेगा नियम के अन्तर्गत। मैं यह कहूंगा कि जो इर्रेग्यूलेरिटिज़ और इल्लिगेलिटिज़ कमिट की जाती हैं उनको रेगयुलराइज़ करना सबसे बड़ा अपराध है। इस अपराध को प्रश्रय देने वाले आप लोग हैं कि इस प्रकार की इर्रेग्युलेरिटिज और इल्लीगेलिटिज को रेग्युलेराइज़ करते जांय। ऐसा करने से फिर नतीजा क्या होगा? One irregularity commits another irregularity और यह एक इस प्रकार का प्रोसेस है जो

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

लम्बा होता जायगा। इसको आप मिनिमाइज नहीं करेंगे। जस्टिस के लिये आपको नियमों का पालन करना जरूरी होता है। यह जरूरी नहीं कि इन्साफ किया जाता है लेकिन इन्साफ या निर्णय किया जाता है उसके लिये आवश्यक हो जाता है that Justice must seem to have been done.

इस प्रिन्सिपल को, इस सिद्धान्त को मानने के लिये आप कौन सा नियम पालन करते हैं, यह सब आपके लिये विचार करने का प्रश्न है। माननीय सभानेत्रीजी, इस रिपोर्ट से यदि विशेष नहीं तो थोड़ासा यह बताना चाहता हूं कि पेज नं० ५ रिपोर्ट ११ में आप यह विचार करेंगे :

"The Commission have been repeatedly mentioning a very large number of cases in their Reports since the year 1953-54 which the appointing authorities had not offered appointments to candidates recommended by the Commission. Ordinarily such offer should be made promptly and in any case, within a period of six months since the date of receipt of the commission's recommendation. A list of such cases which remained pending up to the close of the year under report is given in Appendix VIII."

आप विचार कीजिये, आज सन् ६३ है और सन् ५३-५४ से कमीशन के सुझाव आपके पास आते हैं, १० साल बराबर बीत गये, लम्बी-चौड़ी लिस्ट कमीशन देता है। क्या कारण है कि आपने उन पर अमल नहीं किया ? या तो यह माना जाय कि राज्य सरकार ने जिस सद्भावना से इस कमीशन को अपोइन्ट किया है उसमें कान्फीडेन्स राज्य सरकार का नहीं है या जो सुझाव कमीशन की ओर से दिये जाते हैं उनको कार्यान्वित करने को सरकार तैयार नहीं है। आखिर यह दुविधा क्यों है ? यदि कमीशन कोई सुझाव देता है तो राज्य सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि उसका उनको पालन करना चाहिये। लेकिन क्या कारण है कि उनका पालन करने की आवश्यकता राज्य सरकार ने १० साल से नहीं समझी जैसी कि रिपोर्ट मौजूद है कोई कार्यवाही नहीं करते। इतना ही नहीं, पेज ६ पर लाइन ३ का ओबजर्वेशन जो है वह भी पढ़ देता हूं :

"In the year 1959 a requisition for five posts of Supervisors of Schools was received from the Director of the Social Welfare Department and the posts were advertised by the Commission. Thereafter the Director informed in July, 1960 that the posts were abolished in the revised set up of the Department and as a result the requisition had to be treated as cancelled. The Department could have scrutinised the matter before sending a requisition for the posts and thus avoided the waste of time, energy and money involved."

कमीशन तो केवल इतना ही कह कर रह गया, लेकिन मैं अवश्य कहूंगा कि इस तथ्य के पीछे बहुत बड़ा राज होता है। किसी एक पोस्ट के लिये उच्चाधिकारी इसलिये पी० एस० सी० को रेफर करते हैं कि उनको योग्य आदमियों को अपोइन्ट करने की जरूरत होती है। निश्चित तौर पर आप इन्क्वायरी करके देखिये, जुडिशियल इन्क्वायरी करवा लीजिये।

(श्री दुर्गालाल बादवार)

उनको आदमी नहीं मिलता, वांछित योग्यता वाला तो वे यहां तक कर सकते हैं, उसको कैंसिल कर सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं। इसके लिये ताकत रखते हैं कि जब सूटेबल आदमी एवेलेबल होगा तब फिल-अप करेंगे। पर इस प्रकार की चीज को लेकर राज्य सरकार चलती है तो बड़े दुःख और खेद का विषय हो जाता है। कहां तो एक तरफ निष्पक्ष कमीशन की बात को मानना चाहिये और कहां दूसरी तरफ हम इस प्रकार का कार्य करते हैं। तो आपके प्रति विश्वास नहीं होता, बल्कि अविश्वास हो जाता है। मैं और निवेदन करूंगा कि कमीशन ने पेज ८ पर बड़े दुःख के साथ कहा है, मैं यहां तक कहूंगा कि किसी भी प्रजातंत्र को चलाने वाली राज्य सरकार के लिये उसका खुद का कमीशन इस प्रकार का ओब्जर्वेशन करे तो बड़े दुःख की बात होती है, बड़े क्षोभ की बात होती है :

"The Government did not accept the advice of the Commission and stated that the change in the criterion was made in accordance with the decision taken by the Govt. to apply uniformly the criterion of seniority-cum-merit in all the services where the posts were to be filled either solely by promotion from the next below cadre within the service or partly by promotion and partly by direct recruitment."

ऊपर से राज्य सरकार का यह कहना है कि हम केवल मेरिट को लेकर चलें तो नतीजा यह होगा कि एक आदमी जिसने २० साल का अनुभव एक विभाग में प्राप्त कर लिया है उसको कभी तरक्की का मौका नहीं मिलेगा लेकिन केवल सीनियोरिटी-कम-मेरिट का ही लक्ष्य बने, यह उचित नहीं प्रतीत होता, मेरिट-कम-सीनियोरिटी पर भी विचार करना चाहिये। कुछ लाइन्स ऐसी हो सकती हैं जिनमें केवल सीनियोरिटी के आधार पर निर्णय करना ठीक नहीं होता। बहुत से ऐसे केसेज़ हैं जिनमें योग्यता ही केवल मात्र आधार हो सकता है और उसके ऊपर ही आप कोई निर्णय कर सकते हैं और उससे सेटिसफेक्शन किसी स्टेज पर हो सकता है। उसमें बहुत से उच्चतम योग्यता प्राप्त करने वाले व्यक्ति आते हैं तो वे मातहत के रूप में रहते हैं और एक आदमी उतनी क्वालिफिकेशन नहीं रखता लेकिन मैं मानता हूं कि एक्सपीरियेन्स उसको जरूर होता है; लेकिन जिस आदमी ने किसी खास विषय में डिग्री हासिल की है या उच्चतम योग्यता हासिल की है वह यदि कम क्वालिफाइड आदमी के अंडर में रहता है तो अच्छा असर नहीं पड़ता। इसलिये केवल सीनियोरिटी को आधार रखा जाय, मेरिट पर विचार नहीं किया जाय तो बुरा होगा। लेकिन मेरिट-कम-सीनियोरिटी हो तो बहुत से सवाल हो सकते हैं; जैसे सिमिलर क्वालिफाइड आदमी उपलब्ध हों तो उस मामले में आप सीनियोरिटी का विचार करिये और सीनियर आदमी को पहले चान्स दीजिये अर्थात् उसी योग्यता का दूसरा सीनियर आदमी मिल जाता है तो सीनियर को चान्स अवश्य देना चाहिये। इसका नतीजा यह होगा कि सीनियर आदमी को सीनियरिटी के हिसाब से प्रोमोशन मिल जायगा और मेरिट पर भी कोई आघात नहीं पहुंचेगा। परिणाम यह होगा कि जो आदमी ऑलरेडी आपके डिपार्टमेन्ट में काम करता है या बरसों से जो आदमी उस विभाग में काम करते चले आ रहे हैं वे भी इससे प्रसन्न रहेंगे और दूसरे आदमी जो मेरिट लेकर आते हैं और कोई चीज प्राप्त

( श्री दुर्गालाल बाढ़दार )

करना चाहते हैं तो स्वभावतः उनको भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन मैं तो नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि हमारी राज्य सरकार, स्वयं जहां तक पी०एस०सी० का ताल्लुक है उसके इन्टर्नल मैटर्स में, वहां अपोइन्टमेन्ट्स करने के मामले में हस्तक्षेप करते हैं; यह तो बड़े खेद की बात है ही लेकिन दूसरा ऐतराज यह है कि यदि पी० एस०सी० कोई सुझाव राज्य सरकार को देती है तो उसको मानने को तैयार नहीं होते। मैं कहूंगा कि आज क्या बात हो रही है। जैसा आचार्य जी ने कहा था कोई ऐसी चीज होनी चाहिये जिसके द्वारा मैं निवेदन करूं। मेरी स्वयं की रचना तो नहीं है लेकिन एक उर्दू शायर की रचना है जो इस प्रकार है :–

जब अलविदा हो हिन्द से,
इन्साफ जन्नत को गये।
मखलूक की इमदाद करने,
तीन बेटे रह गये।
सबसे बड़े रिश्वत अली,
मंझले सिफारिश खान हैं।
छोटे खुशामद बेग हैं,
इनकी निराली शान है।
कत्ल के भी जुर्म में,
रिश्वत अली की जीत है।
सख्त हाकिम मोम हो,
गाता उसी के गीत है।
गर नौकरी मिलना कठिन,
जा मिल सिफारिश खान से।
पर योग्यता कुछ भी नहीं,
तू कर हुकूमत शान से।
मुन्ना खुशामद बेग को,
तू पास ले कुछ कार कर।
जी हजूरी सीख ले,
फिर चाहे जो व्योपार कर।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुकर्ररा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मुकर्ररा इसी में है कि आप भी विचार कीजिये और सोचिये कि कविता करने वालों के हृदय में इस तरह के विचार आपके प्रशासन को देखकर, राज्य सरकार की कार्यवाही १५ वर्षों से देखकर, अपने हृदय में इस प्रकार के विचार लाते हैं। उसमें परिवर्तन लाने का श्रेय आपके लिये हो सकता है। यह मैं अपने हित के लिये नहीं बल्कि राजस्थान के हित के लिये कहता हूं। राजस्थान की जनता के हित के लिये और आपके स्वयं के हित के लिये कहता हूं। यदि आप जनता की सद्भावना प्राप्त करना चाहते हैं, जनता का सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं तो लोगों में कान्फीडेन्स क्रिएट कीजिये, विशेष धारणा उत्पन्न करने की चेष्टा कीजिये कि राज्य में जो कार्यवाही होती है वह निष्पक्ष होती है, योग्य व्यक्ति चाहे कैसा भी गरीब व्यक्ति अपनी योग्यता के सहारे उचित स्थान पाता है तो उचित आधार मिलेगा। यदि योग्य व्यक्ति को उचित अधिकार नहीं मिलता है तो लोग इस रूप में अपने विचार व्यक्त करते हैं। यदि आप इन सब बातों से बचना चाहते हैं तो एक बात मैं यह निवेदन करूंगा कि आपको अपनी आदत में सुधार करना होगा, उसके लिये व्यक्तिगत स्वार्थों का त्याग करना होगा; तभी सच्ची सरकार के रूप में जनता के सामने आ सकेंगे, यही मेरा निवेदन है।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : सभापति महोदया, आज हमारे सामने पब्लिक सर्विस कमीशन की दो रिपोर्ट्स हैं। मुझे यह कहने का मौका मिला कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान को पिछले दस-बारह साल में अच्छे लैंन्ड रिफार्म्स दिये, बारह साल में कुछ विकास की तरफ हम आगे बढ़े, और

Page No. 70



( श्री केदारनाथ )

राजस्थान को पंचायत राज दिया । इसके साथ साथ हमें कुछ सहकारिता की तरफ आगे ले जाया गया । लेकिन मुझे बड़े सख्त लफ्जों में यह कहना पड़ता है कि राजस्थान सरकार हमें क्लीन और ओनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे सकी । जब राजस्थान का इन्टीग्रेशन हुआ, हम जानते थे कि राजस्थान की सर्विसेज़ कैसी थीं ? क्या क्या प्रेजुडिसेज़ लेकर आये थे ? कौन कौन सी मन्शायें थीं ? कैसी कैसी मेन्टेलिटी थी ? क्योंकि ये फ्यूडल ऑर्डर में से निकल कर आये थे । इन सारी लिमिटेशन्स, स्लयनेश के बावजूद दस-बारह साल के अन्दर राजस्थान को पॉवरफुल बनाया, आपने प्रोग्रेस की; लेकिन आपने इस तरफ ध्यान नहीं दिया । मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, क्या कारण है कि हमें स्लथ दिखती है, क्या कारण है कि हमें निराशा दिखती है, क्या कारण है कि हमें इनएफीसियेन्शी दिखती है, क्या कारण है कि हम इन्डोलेन्स देखते हैं ? मैं यहां तक कहूंगा कि क्या कारण है कि हम करप्शन देखते हैं ? इनकी वजूहात मैं यहां मान्यवर महोदया, पेश करता हूं । जो टेन्डेन्सी हमने पैदा की है सर्विसेज़ में अपने आदमियों को पेट्रोनाइज़ करके, हमने उसूलों से समझौता किया है, हमने अपने उद्देश्यों को छोड़ा है और राजस्थान को जिस लक्ष्य तक हम ले जाना चाहते थे हम उसे भूल गये हैं महज एक वोट्स को प्रोटेक्शन देने के वास्ते, ऐसे अपाइन्टमेंट्स दिये गये हैं, गलत प्रोमोशन्स दिये गये हैं और आदमियों को पेट्रोनाइज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में गलत टेन्डेन्सीज़ पैदा करदी हैं और उसने आज बड़ा भयंकर रूप, एक डिमेन्शन अख्तियार कर ली है कि हमारी बहुत कोशिश हो, और डाइनेमिक ड्राइव के साथ दूर करना चाहेंगे तो दूर कर सकेंगे नहीं तो नहीं कर सकेंगे । मैं कहना चाहता हूं कि नाडार के महायज्ञ के बाद आपने हिन्दुस्तान की पोलिटिकल लाइफ को इस थिंकिंग पर ला दिया है, तो मैं यह सोचूंगा कि इस यज्ञ के पास से निकल कर हमारे चीफ मिनिस्टर लाजमी तौर पर इस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उतनी बारीकी से सोचेंगे ।

सभापति महोदय, यह बारहवीं रिपोर्ट सदन के सामने है और तेरहवीं रिपोर्ट कुछ दिनों में आने वाली है । इसको पढ़ने के बाद ऐसा मालूम पड़ता है कि २५ परसेन्ट बात मानी गई है और ७५ परसेन्ट बात पब्लिक सर्विस कमीशन की नहीं मानी गई है । केबीनेट के फैसले होते हैं उनमें हेड ऑफ दी डिपार्टमेंन्ट की बात मानी जाती है, गलत प्रोमोशन्स को प्रोटेक्शन दिया गया है । इस तरह प्रोटेक्ट किया गया है कि मैं कहता हूं, यही वक्त है, दस बारह साल के बाद इस पर लाजमी सीरिअस थिंकिंग करें, आपसे डाइनेमिक ड्राइव हम चाहते हैं। आप इस एडमिनिस्ट्रेशन को गिअर अप करें । इमरजेन्सी के दिनों में हम ख्याल करते थे कि अब एडमिनिस्ट्रेशन टोन अप होगा, अब गिअर अप होगा लेकिन वह नहीं हो सका । वह नहीं हो सका, मुझे यह सख्त लफ्जों में कहना पड़ेगा । इसलिए मैं कुछ लफ्ज, जो रिपोर्ट में रिकमन्डेशन हैं, उनके बारे में बयान करना चाहता हूं ।

आज हम यह विचार करते थे कि सर्विसेज़ इस तरह चलानी हैं कि राजस्थान को जिस नक्शे पर ले जाना चाहते हैं उस पर ले जा सकें । जो पैटर्न आप अपने दिमाग में लाये हैं, जो आपका मकसद है, आपकी मन्शा है – उनमें शंका नहीं । मैं ख्याल करता हूं, आप समाजवादी लाइन पर चल रहे हैं । पर क्या उसका इम्पेक्ट आप इस

( श्री केदारनाथ )

मशीन के जरिये कायम कर सके हैं ? जो क्वान्टम, क्वान्टिटि और क्वालिटि में तबदीली करना चाहते थे ट्रान्सफर और प्रोमोशन के जरिये, वह क्या कर सके हैं ? उसका रिजल्ट मिलेगा। जितना आपका इरादा था, जो आपका ख्याल था, जिस तरह जहां तक पहुंचना चाहते थे वहां तक नहीं पहुंच सके हैं। इसलिए आप अपने आपको टटोलिये। यह वक्त है इन्ट्रोस्पेक्शन करने का, सेल्फ एनेलेसिस करने का यही वक्त है – किस व्यक्ति ने, किस मिनिस्टर ने, किस एग्जीक्यूटिव हैड ने, इन्डीविजूवल को ज्यादा एम्पलॉयमेंट, प्रोमोशन और प्रोटेक्शन करके उसूलों की हत्या की है, उसूलों से समझौता किया है, गलत ट्रेडीशन्स पैदा की हैं। इसमें से एक लफ्ज आपके सामने पढ देता हूं :–

"It was mentioned in the Report for the year 1960-61 that the Commission had been reporting every year since the year 1955-56, a very large number of cases in which the appointing authorities had delayed offer of appointments to candidates recommended by the Commission."

यह पहली बात है।

ट्रान्सफर और प्रोमोशन के केसेज के बारे में एक लाइन है। यह महसूस करते हैं कि हमने केस डिले किये हैं, वहां नेग्लीजेन्स हमारी है।

Such cases as remained pending at the end of the year for want of information from the Government or the Departments concerned are given in Appendix XI.

बहुत से केस इसलिए फाइनल नहीं कर सके हैं कि प्रोमोशन और ट्रान्सफर के केसेज इसलिए फाइनल नहीं कर सके क्योंकि हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट से कुछ इन्फोर्मेशन मांगी, उनको जो परफोर्म दिये, उनके ऊपर स्टेटमेन्ट नहीं आये – इसलिए फोर वान्ट ऑफ इन्फार्मेशन केसेज को फाइनल नहीं कर सके।

महोदया, एक लाइन अर्ज कर दूं इसमें से "Re-empolyment of retired persons" उसको तो आप रीएम्प्लॉय कर सकते हैं, मगर जब जजेज का सवाल आता है तो मेरे दिमाग में, मेरे ही दिमाग में नहीं और सब लोगों के दिमाग में एक सस्पीशयन पैदा होता है कि जजेज के रिटायर होने के बाद रीएम्प्लॉय करने की बात से, एक लफ्ज मुझे याद आता है, जुडिशियरी को आप जो इमपार्शियल बनाना चाहते हैं, वह चीज हमेशा के लिए गायब हो जायेगी। "Cesers wife must be chased" यह एक मुहावरा है जिसमें कुछ लफ्ज और जोड़ता हूं "Ceser's wife must not only be chased but beyond suspecion." अगर जजेज को यह मालूम है कि जज के रिटायर होने के बाद फलां मिनिस्टर के होने पर, फलां चीफ मिनिस्टर के होने पर मुझे रीएम्प्लॉयमेंट मिल जायगा तो लाजिमी सर्विस के ड्यूरेशन में पक्षपात करना शुरू कर देगा। यह जुडिशियरी के बारे में, जजेज के बारे में पढ़े लिखे लोगों की आम धारणा हो गई है– यह मैं ही नहीं कहता लेकिन मैं सोचता हूं कि राजस्थान स्टेट में सही मायने में डेमोक्रेसी होगी तभी इसे ठीक कर सकेंगे।

इस तरीके से है "Recruitment without advertisement" इसके बारे में एक लफ्ज आपके सामने पेश करना चाहता हूं :

"But the experience shows that the state of affairs has not materially imporved and still the Commission have to make a back reference in a

( श्री केदारनाथ )

majority of the cases. Needless to say that it causes avoidable hardship to the incumbents appointed temporarily as concurrence to extension cannot be conveyed till there is complete information before the commission."

आगे इस तरह के शब्द शुरू होते हैं ।

मेरा अर्ज करना यह है कि यह सारी रिपोर्ट बनने के बाद, जो कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में धांधली, गडबड़ी हुई, सीनियोरिटी के बारे में, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के अपाइन्टमेंट के बारे में वह मेरे से पहले एक माननीय सदस्य कह चुके हैं । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, पब्लिक सर्विस कमीशन ने अधिकारियों की राय से जब सीनियोरिटी लिस्ट तय कर दी तो क्यों उसको डिस्टर्ब किया, क्यों उस रिकार्ड को टेम्पर किया, कहां फेक्ट्स को कन्सील किया गया । उसके फेक्ट्स मालूम होते हैं, फैसला होने के बाद उनको चेंज किया गया । मेरी दरख्वास्त है कि जो रिकमन्डेशन्स हैं वे आपके मकसद के खिलाफ जांय, आपके उसूल के खिलाफ पड़े तब आप उनको चेंज करते हैं, उनको नहीं मानते हैं तो मैं आपकी बात मानता हूं । लेकिन एक रिकमन्डेशन थी हरिजन, शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के प्रोमोशन के लिए आपने क्राइटेरिया बना लिया कि यह एक्सपीरियेन्स लाजिमी है, यह एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियेन्स लाजिमी है । आपने उस क्लास के लोगों को एग्जेम्ट कर दिया। मैं मानता हूं कि आप उनको एन्करेज करना चाहते हैं कि साढ़े बारह परसेन्ट के रूप में उनको अपोइन्टमेंट मिले, उनके प्रोमोशन हों यह ठीक किया है । मैं यह मानता हूं लेकिन सारी की सारी रिकमन्डेशन न मानें यह उचित नहीं। मैं अर्ज करता हूं कि जो रिकमन्डेशन आपके मकसद के खिलाफ पड़ती है, आपके उसूल के खिलाफ पड़ती है--उसको चेंज करते हैं तो आप उसकी खिलाफत कीजिये। एक नोट दीजिये ताकि आगे वह नहीं हो। लेकिन जो रिकमन्डेशन किसी इन्डीविजूअल के खिलाफ है, वह आपका कोई भी हो- उसको पूरा कीजिये। जैसे इसमें एक असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार का सवाल है, तीन डिप्टी रजिस्ट्रार बने उसके बाद एक जोइन्ट रजिस्ट्रार बना। इस तरह की बहुत सी बातें सीनियोरिटी के बारे में हैं जिन्हें मैं अर्ज नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ यही अर्ज करूंगा कि राजस्थान की जनता आपके सामने देख रही है, आपके लिए यही वक्त है कि आप सीरियस थिंकिंग के बाद सोचें कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे क्लीन हो, कैसे ओनेस्ट हो। हम चाहते हैं कि जो कॉम्प्रीहेन्शन पैदा हैं, जो स्लथनेश है, जो इन्डोलेन्स है इनके एडमिनिस्ट्रेशन में होने के क्या कारण हैं? क्यों इसका सुधार नहीं हो सकता है? क्यों आप अच्छे रिजल्टस एचीव नहीं कर सकते? क्यों आप क्वालिटी पैदा नहीं कर सकते ? क्यों आप सोश्यल ट्रान्सफोर्मेशन पैदा नहीं कर सकते? इन सब चीजों पर आप सोचेंगे। इन शब्दों के साथ में अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सभानेत्री जी, अभी पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट्स पर बहस चल रही है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): सभानेत्री महोदया....

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : आप हुक्म फर्मा दें।

श्री मुरलीधर व्यास : पहले मैं खड़ा हो गया हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपका आदेश हो जाय।

श्री अब्दुल जब्बार : सभापति महोदया, जैसा कि आज सदन में....

श्री मुरलीधर व्यास : जन-सेवा आयोग की रिपार्ट्स पर....

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सभापति महोदया....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपको आदेश देना होगा। दोनों में से कौन बोलेगा?

श्री अब्दुल जब्बार : मेरा बोलने का इरादा है।

श्री सभापति: आप कुछ मिनटों के लिए बोलेंगे अगर आप पहले बोलना चाहेंगे।

श्री अब्दुल जब्बार : पांच मिनट के लिये बोलूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सभापति महोदया, हम जन-सेवा आयोग की रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं। संविधान की धारा के अनुसार चाहिये तो यह था कि आज हम १३वीं रिपोर्ट पर बहस करते क्योंकि संविधान की धारा के अनुसार प्रति वर्ष इसकी रिपोर्ट सदन की मज पर आनी चाहिये थी।

मुझे इस बात की तो खुशी है कि पहले जो रिपोर्ट देर से आया करती थी, उनमें अब जल्दी जरूर हुई है। अबकी रिपोर्ट पहली वाली से जल्दी मिली है। पर अगर इसमें और जल्दी होती और १२वीं रिपोर्ट के स्थान पर तेरहवीं आती तो संविधान की धारा की मंशा पूरी हो जाती।

जिन दो रिपोर्टों पर विचार कर रहे हैं उनको पढ़ने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि साधारण आदमी के दिल और दिमाग पर एक भावना फैली हुई है कि किसी भी नौकरी के लिये सिफारिश और पक्षपात की बात के बिना सफल होना सम्भव नहीं है, यह जन-साधारण की भावना सही है। चाहे बड़ी से बड़ी जगह हो या छोटी से छोटी, चाहे वह पी० एस० सी० के मार्फत हो या डाइरेक्टली पी० एस० सी० का इन्टरव्यू हो या एग्जामिनेशन। मैं यह देखता हूं कि इस प्रकार की कोशिश होती है कि किस प्रकार से वहां तक पहुंचा जावे और बहुत से लोग बड़े सतर्क होकर वहां पहुंच जाते हैं और इसका नतीजा भी देखते हैं कि कई अच्छे से अच्छे योग्य डिज़र्विंग व्यक्ति नाकामयाब हो जाते हैं, लगातार हो जाते हैं और कमजोर पर अच्छे सोर्स वाले कामयाब हो जाते हैं। अब ये किस तरह से सफल हो जाते हैं, मैं इस के इतिहास में इस समय जाना चाहता नहीं।

इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस लोकतन्त्र में जन-सेवा आयोग से यह आशा की जाती है कि सर्विसेज़ में, नियुक्तियों में, पदोन्नतियों में और ऐसे ही अन्य मामलों में किसी प्रकार का पक्षपात न हो। हर आदमी को चाहे अमीर हो या गरीब हो न्याय मिलना चाहिये। यदि न्याय तक उसकी या किसी की पहुंच नहीं होती है और हर तरह से डिज़र्विंग व्यक्ति को भी बिना सिफारिश के उचित

( श्री मुरलीधर व्यास )

स्थान नहीं मिलता है तो मैं समझता हूं कि इस जन-सेवा आयोग का कोई मतलब नहीं है।

इस रिपोर्ट में मैं देखता हूं कि इसका खर्चा बराबर बढ़ता जारहा है। अगर इसके साथ काम भी अच्छा होता जाता तो खर्चा दुखने वाला नहीं था। ज्यादा से ज्यादा लोगों की यह धारणा अगर बनती कि कमीशन निष्पक्ष काम कर रहा है, ठीक तरह से प्रोमोशन वगैरह करता है, योग्य व्यक्ति को ठीक मौका मिलता है तो ज्यादा खर्चा भी होना कोई बुरी बात नहीं है। पर अगर खर्चा भी ज्यादा होता जावे और उसकी साख भी कम होती जावे तो यह अच्छा नहीं समझा जावेगा। सन् ६२ की रिपोर्ट में खर्चा है ३,२१,८२२) जो कि पहले साल में था। इस साल यह ४ लाख १ हजार ६५३ हो गया। प्राप्तियां भी होती हैं इसमें। प्राप्तियों में बताया गया है १,६१,६२४) जो गत वर्ष था और इस वर्ष हुई १,५४,७०८) यह पहले से कम हुई। परीक्षाओं के संबंध में भी पहल १,२२३ परीक्षार्थी बैठे और अब के ३,८८१ बैठे। इन्टरव्यू में ३,७६५ पोस्टें एडवर्टाइज होती हैं उनमें से ५,६३२ ने एप्लीकेशनें दीं और रिक्विजीशन मिला २,२७३ को और उसमें से ८६७ व्यक्तियों के लिये सिफारिशें हुई। इसमें रिक्वीजीशन हुई २,२७३ और जगहें मिली ८६७ इसका कारण जो बताया गया है कि विज्ञापन करने में देरी हुई, मैं समझता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

सरकार को चाहिये कि इसकी छान बीन करे और इसके लिये जो दोषी पाये जावें उनके खिलाफ एक्शन ले। सरकार को चाहिये कि वह वक्त पर पी० एस० सी० को रिपोर्ट करे ताकि ठीक समय पर विज्ञापन किया जा सके और आज जो बेकार लोग हैं उनको एम्प्लोयमेन्ट मिलने में इस तरह से उपेक्षा न की जा सके। ऐसे मौके पर जब कि बेकारी की समस्या और भी भयंकर रूप से हमारे सामने खड़ी है।

यह तो साधारण स्थिति के बारे में मैंने कुछ बातें रखी।

अब मैं कुछ असाधारण बातों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आज सरकार की तरफ से अस्थायी रूप से जो नियुक्तियां होती हैं और जिनको रोकने के लिये पी० एस० सी० बार बार अपनी रिपोर्ट में लिखती है, उनकी संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, बजाय घटने के। यह एक अत्यन्त शोचनीय स्थिति है, एक असाधारण स्थिति है। पहले दो हजार की रिपोर्ट थी कि जिनको अस्थायी तौर से नियुक्त किया गया वहां आज उनकी संख्या ५ हजार है। अस्थायी तौर से छः महीने के काम से ये नियुक्तियां होती हैं और छः महीने के बाद यह होना चाहिये कि उनकी नियुक्तियों को पी० एस० सी० से एप्रूव कराया जाय। अब यह छः महीने के लिये की अवधि भी इसलिये रखी गई थी कि इमर्जेन्सी के लिये अगर जरूरत हो और पी० एस० सी० को पूछने में देर जो लगा करती है वह भी वांछनीय नहीं हो तो इतनी छूट दी गई कि छः महीने के बाद तो उसकी नियुक्ति पी० एस० सी० से एप्रूव करा ली जाय। अब इनको एप्रूव नहीं कराया जाना एक प्रकार की प्रशासनिक अयोग्यता

# Page No. 75



( श्री मुरलीधर व्यास )

ही है। इससे जाहिर है कि या तो प्रशासन में ऐसा भ्रष्टाचार, है खामी है कि जिसकी वजह से ये गलतियां बढ़ रही हैं घटन के बजाय। फिर एक बात और है, संख्या ही नहीं बढ़ रही है पर इनको छः महीने के बाद भी पी० एस० सी० से एप्रूव भी नहीं कराया जाता। छः छः साल तक नहीं कराया जाता। ऐसे अनेकों केसेज हैं। फिर भी आज भी हम छः महीने की बात की आड़ लेकर नियुक्तियां लगातार करते जा रहे हैं, बावजूद इसके कि पी० एस० सी० लगातार कह रही है कि यह बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा नियमों का भंग है। मैं इस तरह की परम्परा को एक शर्म की बात समझता हूं। आज अगर प्रशासन ठीक ढंग से चलाना हो और संविधान की तहत जिस जन-सेवा आयोग की नियुक्ति हुई है और जिसके माध्यम से हमें सब सर्विसेज़ के अन्दर सबको समान रूप से न्याय देना हो और उसके अन्दर व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करना हो तो मैं यह समझता हूं कि प्रशासन इस पी० एस० सी० की रिपोर्टों पर हमेशा ठीक तरह से ध्यान देता रहे और प्रति वर्ष कठोरता से उसकी सिफारिशों पर अमल करता रहे।

परन्तु आज तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि आज जो बड़े बड़े पदों पर बैठे प्रशासनिक अधिकारी हैं, मैं तो यहां तक समझता हूं कि मंत्री-मंडल तक के सदस्य, अगर मैं उनके लिये भी कछ ऐसे शब्द कहदूं तो गलत नहीं होंगे कि वे प्रशासनिक अधिकारी और मंत्री-मंडल के सदस्य तक इस बारे में सतर्क नहीं रहते। अगर वे सतर्क रहें तो ये सब अनियमितताएं हों ही नहीं, और अगर हो भी जाएं तो सुधरने में कोई समय नहीं लगे। पर वे सतर्क नहीं हैं, इसका भी कारण है। उनके अन्दर भी कई प्रकार से ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो स्वयं कई मामलों में आगे होकर गड़बड़ियां करते हैं। मैं उनके नाम लेकर कुछ नहीं कहना चाहूंगा इस समय। पर इतना कहना चाहता हूं कि विशेष व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली गड़बड़ियों को हर हालत में रोकना चाहिये और मुख्य मंत्रीजी को आवश्यक हो तो आश्वासन देना चाहिये कि एक साल में इन गड़बड़ियों को रोक देंगे, अगले साल इस तरह के मामले फिर नहीं आवेंगे। ये बातें हमेशा के लिये समाप्त हो जावेंगी। अगर यह समाधान नहीं होता है तो मानना पड़ेगा कि प्रशासन में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं और इसके कारण ही ये बुराइयां दूर नहीं होतीं।

इसी प्रकार प्रोमोशन के बारे में इसके पेज ११ में बताया गया है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट के २०-२५ मामले हैं। इसमें बताये हुए २५ मामले हैं जो एपेन्डिक्स ११ में दिये हुए हैं:

"List of Transfer and Promotion cases that remained pending at the close of the year for want of information".

इसमें बताया गया है कि फोर वान्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, इनफोर्मेशन नहीं मिलने की वजह से पेन्डिंग रहे। इन २५ मामलों में से १५ मामले तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ही हैं। मैं नहीं समझता कि ये क्यों हैं। मैं नहीं कह सकता कि इनको इतने दिनों तक रोकने में क्या राज है। अगर कोई ६ महीनों का पड़ा हुआ केस हो तो अलग बात है, लेकिन ये तो ५६, ५८,

( श्री मुरलीधर व्यास )

५८, ६०, ५६ और ५८ इस प्रकार से सन् ५८ से पड़े हुए हैं और आज भी वे केसेज् उसी प्रकार से पड़े हुए है। आज ५८ से सन् ६३ आ गया है। इन केसेज के बारे में पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है और अभी तक उनका फैसला नहीं हुआ। अगर छोटे मोटे प्रोमोशन्स क्लर्कस के होते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ऐसी सर्विसेज् जिनका संबंध लोगों की जिन्दगी के साथ है, जैसे मेडिकल और एज्युकेशन अगर इनमें भी वर्षों तक टेम्पोरेरी एपोइन्टमेंट हुए हैं और आवश्यकता लोगों की होते हुए भी वह पूरी नहीं की जाए और ६-६ साल तक टेम्पोरेरी एपोइन्टमेंट्स ही चलते रहें तो मैं कहूंगा कि यह वाजिब बात नहीं है। विकास के कार्य के लिये हमको टेकनिकल हेन्ड्स चाहियें और अगर उसमें कोई टेकनिकल हेड नहीं है तो उस विकास के कार्य में आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत आती है और विकास का काम रुका हुआ रह जाता है। जब आप टेम्पोरेरी एपोइन्टमेंट्स को आगे बढ़ाते जावेंगे तो आप ही बतावें कि विकास का काम कैसे आगे बढ सकता है?

इसी प्रकार आयुर्वेद में भी टेक्निकल हेड की जरूरत है। मगर आपने वहां पर भी ऐसे आदमी को लगा रखा है जो उस कार्य को नहीं जानता। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं। एक भट्ट साहब करके हैं। वे मेट्रीकुलेट हैं और मामली बम्बई का डिप्लोमा उनके पास है, जिसके आधार पर वे कहीं भी ८० रु० का एपोइन्टमेंट पा सकते हैं। परन्तु उनको आपने एक स्पेशलिस्ट की जगह पर और वह भी किस चीज का विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिये, 'पोलियो' जैसी बीमारी है उसके लिये, आपने उनकी नियुक्ति की है। अगर आपने ऐसा किया है तो मैं कहूंगा कि यह बड़े शर्म की बात है। आपने उनको रीसर्च में लगा दिया। जहां मेडिकल और एज्युकेशन में आपको बी० एससी० चाहिये वहां पर अगर आप बी०ए० को लगाते हैं तो काम कैसे चल सकता है। मैंने ऐसे बहुत से केसेज् देखे हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट में जहां दूसरी इर्रेगुलेरिटीज को बताया है वहां पर कई नाम आए जिसमें बताया गया है कि टेक्निकल पोस्ट पर वे स्टनोग्राफर और मार्केटिंग इन्टेलिजेन्स ऑफिसर की नियुक्तियां करनी चाही और कर दी। पी० एस० सी० बार बार उनके लिये कहती है कि यह नहीं हो सकता और ये लोग नहीं रहने चाहिये, लेकिन फिर भी आप उनको रखने के लिये बराबर प्रेस करते जा रहे हैं और वे बराबर कहते जा रहे हैं कि ये इन पोस्टों के लिये फिट नहीं हैं। ऐसे कई केसेज् सामने आये हैं और उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मैं यह कहूंगा कि यह पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ खिलवाड़ क्यों होता है? टेक्निकल पोस्टों में प्रोमोशन और एपोइन्टमेंट में किसी तरह का पक्षपात नहीं करना चाहिये।

( समय-समाप्ति-सूचक घंटी )

एक मिनिट में समाप्त करता हूं।

कुछ लोगों को जो टेक्निकल हेड्स हैं उनके मामलों में गवर्नमेंट ने यह तय किया है कि उनकी एज लिमिट में कुछ रिलेक्सेशन कर सकते हैं। मैंने देखा है,

( श्री मुरलीधर व्यास )

एक ड्राफ्ट्समेन की उम्र ६ महीने ज्यादा हो गई और पी० एस० सी० में उसकी दरख्वास्त गई। पी० एस० सी० ने उसकी दरख्वास्त इस वजह से रिजेक्ट कर दी कि वह उम्र में ६ महीने प्रेसक्राइब्ड उम्र से ज्यादा था और उसका नतीजा यह हुआ कि उससे कम क्वालिफिकेशन वाले को उसके स्थान पर पब्लिक सर्विस कमीशन ने बुलाया। इसलिये मैं यह कहूंगा कि टेक्निकल हेंड्स के लिये अगर एज रिलेक्स करने की जरूरत हो तो करनी चाहिये। उस व्यक्ति का यहां पर नम्बर नहीं आया और जब उसने दूसरी जगह दरख्वास्त दी तो आपने उसको आगे भेजने से इनकार कर दिया कि टेक्निकल हेंड्स की जरूरत है। टेक्निकल हेंड्स को नहीं भेज सकते। मैं यह कहूंगा कि एक तरफ तो आप उस टेक्निकल हेंड की एज को रिलेक्स नहीं करते और दूसरी तरफ जब कहीं पर दूसरी अच्छी जगह उसको मिलती है तो उसको जाने नहीं देते। इसलिये मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं।

इसके अलावा दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि टेक्निकल हेंड को ट्रेनिंग में भेजा जाता है और यह कहा जाता है कि राजप्रमुख ने जो ऑर्डर निकाला था उसके द्वारा हमको उन्हें ट्रेनिंग में भेजने का अधिकार है। यह ऑर्डर सन् ५१ में निकाला गया था और उसके अनुसार सरकार को ट्रेनिंग में भेजने का अधिकार है, आप जिसको भेजना चाहें भेज सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मगर मैं कहूंगा कि आप किसी को भी भेजना चाहें तो पहले पब्लिक सर्विस कमीशन से एप्रूव करा कर भेजें, क्योंकि जो एप्रूव्ड नहीं होगा तो दूसरे लोगों का इससे राइट मर जाता है। राज्यपाल के आदेश हैं और अधिकार है लेकिन फिर भी जो ट्रेनिंग में भेजे जावें वे पब्लिक सर्विस कमीशन से एप्रूव्ड होने चाहिये। टेम्पोरेरी आदमी को ट्रेनिंग में भेजने का मौका देना बुरी चीज है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): सभापति महोदया, पब्लिक सर्विस कमीशन की ग्यारहवीं और १२वीं रिपोर्ट सदन में बहस हेतु प्रस्तुत है। वैसे तो अभी १३ वीं रिपोर्ट प्रस्तुत होनी चाहिये थी लेकिन नहीं हुई है, अतः इसके सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं रहता कि ११वीं और १२वीं रिपोर्ट से ही संतोष प्राप्त कर लें। लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा और टेम्पोरेरी एपाइन्टमेंट्स को और इर्रेगुलेरिटीज को देखा तो मैंने यह मुनासिब समझा कि पहले की रिपोर्ट्स हैं उनको भी देख लूं। मैंने पहली रिपोर्ट से १२वीं रिपोर्ट तक देखी और उसमें भी जो टेम्पोरेरी एपोइन्ट-मेन्ट्स के आंकड़े थे उनको भी देखा। मैं इस बात को मुनासिब समझता हूं कि पहली ६ रिपोर्ट को छोड़ कर ७वीं रिपोर्ट से ११वीं रिपोर्ट तक के आंकड़े सदन के सामने प्रस्तुत करूं। आप जरा इन पर गौर फरमावें। ७वीं रिपोर्ट सन् ५७ की रिपोर्ट में १४६३ ऐसे केसेज टेम्पोरेरी एपोइन्ट-मेंट्स के थे और अब जिन के एक्स्टेन्शन के लिये पी० एस० सी० को कहा गया है।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ८वीं रिपोर्ट | सन् ५७ | २१६७ | केसेज |
| ९वीं रिपोर्ट | ,, | २९८४ | ,, |
| १०वीं रिपोर्ट | ,, | ३११८ | ,, |
| ११वीं रिपोर्ट | ,, | ५०१६ | पर पहुंच गये। |

# Page No. 78



(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

सभापति महोदया, बार बार अगर में इन शब्दों को सदन के सामने पढ़ कर सुनाऊं तो ७वीं रिपोर्ट से, पब्लिक सर्विस कमीशन से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि उनके एक्सटेन्शन को रेगुलेराइज कर दिया जावे। लेकिन बार बार यह तथ्य सरकार के सामने लाने के बावजूद भी यह संख्या बढ़ती जाती हैं और हर बार लोगों की तनख्वाहें रोकनी पड़ती हैं। कइयों को १०-११ महीनों तक तनख्वाह नहीं मिलती। आखिर में जाकर ११ वीं रिपोर्ट में पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ सख्ती कर दी। हालांकि इस बात को पब्लिक सर्विस कमीशन ने स्वीकार किया कि सन् ५८ में सरकार की तरफ से सर्क्यूलर जारी किया गया था, मगर साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया है कि सर्क्यूलर होने के बावजूद भी इसी तरह से इर्रेगुलेरिटीज़ स्वेल होती रही, और हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट्स ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और आखिर ११वीं रिपोर्ट में पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक प्रोफार्मा इसके लिये तय किया और सभी एपोइन्टिंग ऑथोरिटीज को भेजा जिसमें उन्होंने ८ आइटम्स रखे और उसके एन्ड में यह भी लिख दिया कि इस प्रोफोर्मा को पूरा करके भेज दिया जावे। मगर इसके बावजूद भी पी० एस० सी० ने १२वीं रिपोर्ट में कहा है कि इस प्रोफोर्मा की भी पूर्ति नहीं की। जहां एज मांगी थी वहां एज नहीं दी। जिस कोलम में डिपार्टमेंटों को यस और नो में जवाब देना था वहां डश म जबाब दिया। क्वालिफिकेशन में जहां डिविज़न की बात थी वहां डिविज़न नहीं बताया जाता है।

इन सारे तथ्यों को देखते हुए निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि पहली से १०वीं रिपोर्ट तक यही तथ्य चलते आ रहे हैं और इससे यह नतीजा निकाला जा सकता है कि इन अपोइन्टमेंट्स के अन्दर जिनको टेम्पोरेरी अपोइन्टमेंट्स कहते हैं, निश्चित रूप से गड़बड़ी है, जिनकी जांच की जानी चाहिये। जो तथ्य सामने आते हैं उनसे पता चलता है कि टेम्पोरेरी अपोइन्टमेंट्स भाई-भतीजावाद के आधार पर, खुश करने की प्रवृत्ति के आधार पर किये जाते हैं। वे इर्रेग्यूलर होते हैं इसीलिये अपोइन्टिंग आथोरिटीज रिक्वायर्ड रिपोर्ट प्रोपर प्रोफोर्मा में देने से भी हिचकिचाती हैं, जो प्रोफोर्माज़ निश्चित किये गये वे प्रोफोर्माज़ नहीं दिये गये। इसके साथ ही साथ कर्मचारीगण में असंतोष पैदा होता है वह तो है ही।

दूसरा असंतोष जो यह रिपोर्ट सामने लाती है इर्रेग्यूलर अपोइन्टमेंट्स का वह वास्तव में लज्जा की बात है, राजस्थान के मुख्य मंत्री को नहीं आती हो वह अलग बात है, मुझे तो आती है। सातवीं से बारहवीं रिपोर्ट तक देखें, वे कन्टीन्यू कर रहे हैं। नायब तहसीलदारों का केस है वह ५७ से चला आ रहा है जिसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा रहा है। कुछ कस तहसीलदारों के फर्स्ट रिपोर्ट से कन्टीन्यू कर रहे हैं बारहवीं रिपोर्ट तक और मेरा ख्याल है कि इस राज्य की टुवन्टियथ रिपोर्ट आयेगी तब भी वे कन्टीन्यू रहेंगे।

इसके साथ ही दूसरे भी केसेज हैं, जिनके सम्बन्ध में पब्लिक सर्विस कमीशन की बात को नहीं माना गया। जहां तक सीनियोरिटी से प्रोमोशन, अपोइन्टमेंट्स

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

देने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में इस रिपोर्ट ने एक तथ्य सामने रखा है। जहां मेरिट्स के आधार पर पब्लिक सर्विस कमीशन देता था उनको सरकार की सिफारिश पर सीनियोरिटी के आधार पर देना शुरू कर दिया। इस प्रकार का नाटक सरकार की तरफ से कई बार खेला गया है, सीनियोरिटी-कम-मेरिट्स के आधार पर कहीं प्रोमोशन दिये हैं, कहीं सीनियोरिटी को न मान कर मेरिट्स पर दिये हैं, अब मेरिट्स को न मान कर सीनियोरिटी को आधार माना है। पब्लिक सर्विस कमीशन ने एज्यूकेशन डिपार्टमेंट के लिये कहा है कि इस पर तो यह मेरिट्स को न मान कर सीनियोरिटी को मानने का आधार मत लागू कीजिये। एक नौजवान विदेश से डॉक्टरेट करके आता है, पी० एचडी० करके आता है, वह अपनी नोलेज को हाइली क्वालिफाई करता है, उसके एवज में जिनको २५ साल एड़ो रगड़ते रगड़ते हो गये उन लेक्चरार्स और प्रोफेसर्स को चान्स देते हैं यह ठीक नहीं।

जिस प्रकार आज साइन्स का डेवलपमेंट हो रहा है, हाइड्रोजन और एटम के इस युग में जब कि न्युक्लियर साइन्स का एडवान्स हो रहा है, वे नौजवान उन लेटेस्ट थ्योरीज से स्पेशलाइज्ड हो कर आते हैं तो क्या कारण है कि उनके मुकाबले में जो लोग २५ साल से एड़ियां रगड़ते आ रहे हैं, उनको प्रिफरेंस देते हैं। अधिक से अधिक उन्नति करना, २० वीं सदी के विज्ञान के विकास के अनुसार इनका कदम उठाना आप पसन्द नहीं करते? नोलेज की दृष्टि से जो डेवलपमेंट हो रहा है उससे बेताब हो कर जो नौजवान तरक्की कर रहे हैं, इस डिसीजन से क्या आप उन्हें डिस्करेज नहीं करते, फ्रस्टरेट नहीं करते, डीमोरेलाइज नहीं करते? सिर्फ सीनियोरिटी के आधार पर प्रोमोशन देते हैं तो निश्चित रूप से विज्ञान की नोलेज में आगे बढ़ते हुए चरणों पर आप कुठाराघात पहुंचाते हैं। इस चीज को इस रिपोर्ट में रखा है।

प्रोमोशन के मामलों पर जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सारे तथ्यों के साथ यह तथ्य रखा कि प्रोमोशन देते हैं तो कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट को आधार देते हैं। हर डिपार्टमेंट का एक आदमी पब्लिक सर्विस कमीशन में होता है जो कॉन्फि-डेन्शियल रिपोर्ट के आधार पर और दूसरी सब चीजों को पी० एस० सी० में रखता है और उस आधार पर प्रोमोशन देते हैं, यह कहा जाता है; पर कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट में जो एडवर्स रिमार्क्स होते हैं उनके आधार पर लोगों को सुपरसीड किया जाता है। इससे उन्होंने यह नतीजा निकाला कि पुराने लोगों को जिनको सरकार लगाना चाहती है उनको लगाती है। नतीजा निकालने की बात मैं मानता हूं पर सरकार की इस बात को नहीं मानता कि पुराने आई० ए० एस० बहुत बुरे हैं या बहुत-अच्छे हैं, या नये अच्छे हैं। नये जो क्रोप अप हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनमें ह्यूमेनिटेरियन ग्राउन्डस तो बिल्कुल खत्म हो गये हैं। मुझे बीकानेर के एक पुराने बुजुर्ग कलेक्टर का तजुर्बा है जो अलोटमेंट करते समय अपने पैरोकार से पूछते थे कि क्या तुम ऐसी बात बता सकते हो कि जिससे मैं इस शख्स को यह अलोटमेंट कर सकूं और मुझे एक नये कलेक्टर साहब का भी तजुर्बा है कि जब

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

टिनेन्ट्स अपने अपने प्लॉट्स पसंद करके आते हैं तो वे अपने पैरोकार से यह पूछते हैं कि क्या तुम मुझे ऐसी कोई बात बता सकते हो कि मैं इस शख्स को इस जमीन का अलोटमेंट रोक सकूं। जब वे अलोटमेंट कर रहे हों उस समय सरपंच, पंच या एम० एल० ए० कोर्ट में आकर बैठ जांय तो वे कहते हैं मेरे कोर्ट का डेकोरम खत्म हो रहा है। वे पचास साठ माइल पर भी अलोटमेंट करने गये हों तो ६ घंटा, ७ घंटा अलोटमेंट करते हैं और फिर वापिस घर आते हैं, जो लोग दूर दूर से अलोटमेंट के लिये आते हैं वे परेशान होते रहते हैं। इसके विपरीत मुझे बीकानेर के एक बुजुर्ग कलेक्टर का तजुर्बा है कि ह्यूमेनिटेरियन ग्राउन्ड्स पर वे रात के तीन तीन चार चार बजे तक अलोटमेंट करते थे वे लोगों की तकलीफों को, डिफिकल्टीज को महसूस करते थे कि इतने दूर दूर से अलोटमेंट के लिये आये हुए लोग परेशान हो रहे हैं। इन कलेक्टर साहब ने अकाल के बारे में अपनी यह रिपोर्ट दी कि अनूपगढ़ एरिया में अकाल नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने अनूपगढ़ क्षेत्र का दौरा किया है तो उन्होंने कहा कि दौरा नहीं किया। तो मैंने कहा कि किस आधार पर कहते–हैं कि अनूपगढ़ क्षेत्र में अकाल नहीं है। केवल कूंपली में ही १२००० भेड़ें मर गई, हजारों की तादाद में इन क्षेत्रों में पशु मर गये।

मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि हिन्दुस्तान के पशुओं का एक्सोड्स पाकिस्तान में हो रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी रिपोर्ट तहसीलदार साहब की रिपोर्ट पर आधारित है, तहसीलदार साहब ने यह रिपोर्ट भेजी है, तो मैंने कहा कि तहसीलदार साहब तो दो महीनों से छुट्टी पर हैं तो क्या उन्होंने छुट्टी पर रहते हुए भी रिपोर्ट भेजी है ? तो इस नतीजे पर पहुंचे कि नायब तहसीलदार ने रिपोर्ट भेजी है। मैंने उनसे कहा कि आपको अनूपगढ़ का कलेक्टर हुए १० महीने हो गये क्या, आप अनूपगढ़ के पांच गांवों के नाम ले सकते हैं, तो वे ५ गांवों के नाम नहीं बता सके। साठ साठ, अस्सी-अस्सी मील पर भी ये कलेक्टर साहब अलोटमेन्ट करने जाते हैं तो शाम को ५ बजे उन्हें अपने घर लौटना पड़ता है। तो सर्विसेज में हम इसको मेजरिंग रोड बनायें कि पुराने ही अच्छे हैं, या नये ही अच्छे हैं तो यह कोई मेजरिंग रोड नहीं और केवल पोलिटिकल रीजन्स के लिये ही हमारी केबीनेट, हमारी सरकार इसका प्रयोग करना चाहती है और उसका उपयोग करना चाहते हैं।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य जिस नतीजे पर आये हैं, कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट लिखने का सवाल होता है, जिस आदमी के खिलाफ कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट रखी जाय, जिस व्यक्ति के लिए यह कहा जाय कि यह स्लो वर्कर है, नेग्लीजेन्ट है, यह अपनी ड्यूटीज पर पाबन्द नहीं है, यह हार्ड वर्कर नहीं है, इन्टेली-जेन्ट नहीं है, एफिशियेन्ट नहीं है, तो कम से कम उसको एक्स्प्लेन करने का मौका देना चाहिये। यह जरूर ऐसी मुहर है जिससे सर्विसेज का रूलिंग पार्टी चाहे जैसे उपयोग कर सकती है। मैं आपको बताता हूं कि गंगानगर के

( ६.११ म०प० )

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कलेक्टर हैं, उनको बार के सामने यह कहते हुए पाया गया है कि मुझे सरकार की ओर से ऐसे सीक्रेट इन्स्ट्रक्शन्स हैं कि कांग्रेस के विरोध

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

में जो ये छः एम०एल०एज० चुन कर आये हैं उनको ज्यादा सप्रेस किया जाय। कोर्ट में चैलेन्ज करके कहते हैं कि यह प्रश्न पूछते हैं, किसानों के हिमायती बन कर आते हैं, अगर मैं इनके रिप्रेजेन्टेशन को मान लेता हूं तो इनको कोई पोलिटिकल गेन तो नहीं होगा। ३० जून को हजारों किसानों की बेदखलियां की। मैं हाजिर हुआ, मैंने कहा कि इन लोगों की क्रोप्स खड़ी हैं, तो वे बार के लोगों से पूछते हैं कि मैं यदि बेदखलियां बन्द कर दूं तो माननीय सदस्य को कोई पोलिटिकल गेन तो नहीं होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस चीज को जरूर कहूंगा कि आज रूलिंग पार्टी सर्विसेज को उनकी कान्फिडिन्शियल रिपोर्ट्स के आधार पर जरूर पोलिटिकल रीजन्स यूज करने के काम में लेती है और इसीलिए भाग दौड़ रहती है कि कौन सा कलेक्टर कहां लगे, किसका ट्रान्सफर कहां हो।

उपाध्यक्ष महोदय, पी० एस० सी० द्वारा प्रकट किये हुए एक और तथ्य की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा और वह यह है कि सर्विसेज के रूल्स बनाने का और उसमें अमेन्ड-मेन्ट खुद करने का और उसके सम्बन्ध में पब्लिक सर्विस कमीशन की कॉन्करेन्स प्राप्त करना। जहां तक सर्विस रूल्स बनाने का प्रश्न है मैं पब्लिक सर्विस कमीशन की इलेवन्थ रिपोर्ट को ही लेता हूं कि १४ डिपार्ट-मन्ट्स के ड्राफ्ट रूल्स, सर्विस रूल्स को पब्लिक सर्विस कमीशन के पास भेजा गया और ७ ड्राफ्ट रूल्स को कुछ अमेन्डमेन्ट्स के साथ पब्लिक सर्विस कमीशन के पास भेजा गया। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। इन सारी चीजों के लिए यदि सेवन्थ रिपोर्ट से इलेवन्थ रिपोर्ट निकालें तो मैं पब्लिक सर्विस कमीशन की तारीफ करूंगा। जहां तक पब्लिक सर्विस कमीशन से रूल्स आने बाकी हैं पब्लिक सर्विस कमीशन ने यह माना है कि केवल एक डिपार्टमेन्ट के रूल्स नहीं भेज सके, लेकिन १३ डिपार्टमेन्ट्स के सर्विस रूल्स को वापिस अपनी ओपिनियन के साथ भेज दिया गया है, और अमेन्डमेन्ट्स मांगे ७ डिपार्टमेन्ट्स के सर्विस रूल्स के उनको भी इन टाइम रिटर्न कर दिया गया है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, आप देखें सरकार की ओर, सारे विभागों की ओर देखें तो विदित होगा कि ऐसे ऐसे इम्पोर्टेन्ट विभाग हैं जिनके अन्दर अभी तक सर्विस रूल्स ही नहीं हैं। सरकारी डिपार्टमेन्ट्स में, सर्विस रूल्स बनाने का जहां तक सवाल है सरकार की शिथिलता काबिले गौर है और मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बहुत से ऐसे डिपार्टमेन्ट्स हैं जिनमें सर्विस रूल्स को आज तक निर्मित नहीं किया है।

पुलिस विभाग को ही ले लीजिये। जिस प्रकार की कैंची पुलिस विभाग में चली है वह बेमिसाल है। जयपुर और अजमेर में ६३ थानेदारों का सी० आई० डी० में अपोइन्टमेन्ट किया, मोप्रोशन्स को बालाये ताक रख दिया, सात सर्किल इन्सपेक्टर्स का विक्टीमाईजेशन किया जो काबिले गौर है और जिसका कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। मि० यादव हैं धौलपुर में, सर्किल इन्सपेक्टर रहे उनको इसलिए सस्पेंड किया कि एक मर्डर हुआ, वहां के एस० डी० ओ० के बाप ने किया और खुद एस० डी० ओ० की माता का मर्डर किया था और जिसको डी वाई० एस० पी० दबाना चाहते थे, जिसको एस० पी० दबाना चाहते हैं और जिसको राजस्थान के आई० जी० पी० दबाना चाहते थे। उस ऑफिसर ने ऐन मौके पर लगातार वायरलेस इश्यू किये, तार इश्यू किये, यहां तक

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

कि गवर्नर को किये, होम मिनिस्टर को किये, सारे भारतवर्ष में जो भी सम्बंधित अधिकारी थे उन सब को लगातार उसने सूचित किया और लगातार इस ओर उनका ध्यान आकर्षित किया कि कत्ल का केस खत्म किया जा रहा है, इम्पोर्टेन्ट डाक्यूमेन्ट्स को खत्म किया जा रहा है और यह डिमान्ड किया कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट चूंकि इन्ट्रेस्टेड पार्टी है, डी वाई० एस० पी० इन्ट्रेस्टेड पार्टी है उनका ट्रान्सफर कर दिया जाय । बजाय इसके कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को ट्रान्सफर किया जाता, डी वाई० एस० पी० को ट्रान्सफर किया जाता उस इन्सपेक्टर का ट्रान्सफर कर दिया गया। १५ दिन के अन्दर उसको जाना पड़ा और उसने यह वायरलेस दिया कि उसको १३ महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, उसके चार बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन उसका मिड सीज़न में ट्रान्सफर करते हैं । उसको जयपुर आना पड़ा नतीजा यह हुआ कि उसके चारों बच्चे फेल हो गये। और उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि इस साल की घटना के एक साल बाद सस्पेन्ड किया गया उस सर्कल इन्स्पेक्टर को। उसको करप्शन के चार्ज में सस्पेन्ड नहीं किया, उसको मोरल टर्पीट्यूड में सस्पेन्ड नहीं किया, उसको किसी सीरियस चार्ज में सस्पेन्ड नहीं किया, उसको इस चार्ज में सस्पेन्ड किया कि उसने टेलीग्राम किये, वायरलेस किये, डी वाई० एस० पी० की पोजिशन के खिलाफ किया। मैं चैलेन्ज करता हूं और चैलेन्ज के साथ मुख्य मंत्री से कह सकता हूं कि सर्कल इन्स्पेक्टर मि० यादव के केस की जांच करें, नकली चित्र मिलेंगे, आपके राजस्थान के आई० जी० पी०, डी वाई० एस० पी० नारायणसिंह–यदि समय हुआ तो उस सम्बन्ध में बड़े गम्भीर तथ्य सदन के समक्ष प्रस्तुत करूंगा, बड़े कटु सत्य इस सदन के सामने, यदि जिन्दगी रही, बड़े भयंकर और नृशंस कारनामे हैं, जल्दी ही पेश करूंगा। इस सर्कल इन्स्पेक्टर, मि० यादव के केस की जांच की जाय। आपको पता चलेगा कि किस प्रकार सर्विसेज़ को कुचला जाता है, किस प्रकार दबा कर रखा जाता है, कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट का भय दिखा कर किस प्रकार उनसे निकृष्ट काम कराये जाते हैं, उनको पोलिटिकल एन्ड के लिए यूज किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने कुछ और तथ्य लाना चाहूंगा। वह तथ्य स्कोलरशिप इश्यू करने के सम्बन्ध में हैं। जब इस आइटम पर पहुंचते हैं, जहां पर कि स्कोलरशिप इश्यू करने का सम्बन्ध है तो सरकार की अपनी शिथिलता पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है और इस तरह से पहुंच जाती है कि सन् १९५१ के अन्दर कुछ लोगों ने स्कोलरशिप चाही थी और इसके लिए एप्लाई किया था सरकार द्वारा, आज १२ वर्ष गुजर रहे हैं, १२ वर्ष के बावजूद भी स्कोलरशिप दिये जाने के सम्बन्ध के अन्दर पूरी नौलेज सप्लाई नहीं की गई। उपाध्यक्ष महोदय, इर्रेगुलेरिटीज़ के केसेज़ हैं, सारे केसेज को लीजिये, उनके अन्दर भी इरगुरेलेरीटीज़ के गम्भीर केसेज़ हैं और पिछले सात-आठ साल से वे केसेज़ एड़ियां रगड़ते हुए आ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, उन केसेज़ के अन्दर अधिकतर सरकार द्वारा इनफोर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई। कई जगह इर्रेगुलेरिटीज के संबन्ध के अन्दर यह भी हुआ है कि सरकार ने काफी समय तक चार–चार, पांच–पांच रिमाइन्डर्स के बावजूद भी इन्फोर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई। अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन की नंबर १ से लेकर १३ रिपोर्ट्स देख लें, उन

( श्री योगेन्द्रनाथ हांडा )

सब में इर्रेगुलर अपोइन्टमेन्ट्स के संबन्ध में, उनके क्लेम्स् को ले लीजिये उन सारे केसेज् का केडर एक सा ही है। वह इस संबन्ध में सारा चित्र उपस्थित कर देता है। जहां तक इर्रेगुलर अपोइन्टमेन्ट्स का सवाल है, १२ असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार्स के अपोइन्टमेन्ट्स के संबन्ध में पब्लिक सर्विस कमीशन से कान्करेन्स मांगी गई, उनमें से दस केसेज् को रिकमन्ड कर दिया गया । मैं इस केस को इसलिये रेफर करता हूं, विशेष तथ्य इस केस से संबन्धित हैं, वे सदन के सामने लाये जांय; सरकार द्वारा बारह केसेज् सिलेक्ट करके भेजे, जिनमें से पब्लिक सर्विस कमीशन ने १० को लेने से इन्कार कर दिया और वह इस आधार पर कर दिया कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक्सपीरियन्स की डेफीनिशन रखी है वह एक्सपीरियन्स मानने का सही तरीका नहीं है । पब्लिक सर्विस कमीशन का कन्टेन्शन यह था कि दस केन्डीडेट्स में से ६ केन्डीडेट ऐसे थे जो पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने आये वे कोऑपरेटिव इन्सपेक्टर रह चुके हैं, दो वर्ष तक रह चुके हैं । सर्विस कमीशन का कहना यह था कि कोआपरेटिव इन्स्पेक्टर की जो जोब है वह एक सबोर्डिनेट जोब है, उसका अनुभव इसमें काउन्ट नहीं किया जा सकता क्यों कि असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार की पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है । उनके लिये इस प्रकार से इन्कार कर दिया । डिपार्टमेन्ट की जो रिलेवेन्ट जोब है उसको एक्सपीरियन्स के रूप में नहीं ले सकते। जहां तक किसी क्लर्क का संबन्ध है वह अगर किसी दफ्तर में दो वर्ष काम करता है बेशक चाहे वह सबोर्डिनेट सर्विसेज् में काम करे डेफीनेटली वह एक्सपीरियन्स्ड माना जायगा । एक्सपीरियन्स का जहां तक ताल्लुक है उसको कहने के लिये मैं सदन का समय नष्ट नहीं करता। किसी भी डिपार्टमेन्ट को ले लीजिये चाहे एज्युकेशन डिपार्टमेन्ट हो, चाहे फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट हो, चाहे कोआॅपरेटिव डिपार्टमेन्ट हो, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट हो, माइन्स डिपार्टमेन्ट हो, पी० डब्लू० डी० हो, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेन्ट हो–जब हम एक्सपीरियन्स को तोलते हैं या कोई दूसरी चीज को लेते हैं, विशेष कर इन आइटम्स को लेते हैं तो हर डिपार्टमेन्ट के अन्दर अपने अपने रूप में वेराइ करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, देश के अन्दर सर्विसेज् का महान् महत्व है । मैं तो यह कहूंगा जब किसी को रीअपोइन्टमेन्ट देते हैं या रीअपोइन्टमेन्ट का जब प्रश्न हमारे सामने आता है तो सबसे पहले ११वीं रिपोर्ट के अन्दर इस पब्लिक सर्विस कमीशन के एक मेम्बर, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके थे, श्री एल० एल० जोशी का रीअपोइन्टमेन्ट किया जाता है डाईरेक्टर ऑफ सैकन्डरी एज्यूकेशन । गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जजेज् का जहां तक पुनर्नियुक्ति का सवाल हो या पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर या चेयरमैन की नियुक्ति का सवाल हो तो निश्चित रूप में हम इनका अपोइन्टमेन्ट करके करप्शन का जन्म देते हैं। जो आज डाइरेक्टर ऑफ सेकेन्डरी एज्यूकेशन बन चुके हैं, मैं पूछता हूं तो क्या सरकार जो इस प्रकार रीअपोइन्टमेन्ट कर देती है तो क्या सरकार उनसे यह उनको अटेम्पट नहीं करेगी कि वे सरकारी कर्मचारियों को प्लीज्ड रखें । जजेज् का रीअपोइन्टमेन्ट करते हैं क्या यह टेम्पटेशन नहीं है । जजेज् जो न्याय का लेख लिख रहा हो उसको यह टेम्पटेशन नहीं रहेगा ? मैं तो इस वक्त यहां तक कहूंगा कि जजेज् को रिटायरमेन्ट के बाद प्रेक्टिस करने

# Page No. 84



(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

की भी इजाजत नहीं होनी चाहिये क्योंकि ऐसा करने से जो जज बनता है वह उससे दबा हुआ जरूर रहता है तो वह एक प्रकार से करप्शन को प्रोत्साहन देने के समान हो गया। एक तरफ पब्लिक सर्विस कमीशन के रिटायर्ड चेयरमैन को आप सेकन्डरी एज्यूकेशन बोर्ड का डायरेक्टर बनाते हैं। यह तो मैंने जिस समय हायर सेकन्डरी बोर्ड का बिल डिस्कस हो रहा था उसी समय घोषणा कर दी थी कि श्री एल० एल० जोशी को डायरेक्टर बनाया जायगा। मैं मानता हूं कि रीअपोइन्टमेन्ट करने का अधिकार सरकार को है, रूल्स के अन्दर पर्टिक्युलर डिपार्टमेन्ट कर सकता है। दूसरे डिपार्टमेन्ट्स के अधिकारियों का रीअपोइन्टमेन्ट किया जाये तो मुझे ऐतराज नहीं है, लेकिन विशेष करके जहां तक जजेज़ का ताल्लुक है, कमीशन के मेम्बरों का प्रश्न है सरकार को निश्चित रूप से कानून बनाना चाहिये। एक पालिसी ले डाउन करनी चाहिये कि इन लोगों को रीएपोइन्टमेन्ट किया जाता है जो नहीं किया जाना चाहिये।

अन्त में यह, चीज जरूर कहूंगा, आज हमारे देश की उन्नति, देश का विकास सर्विसेज़ पर बहुत डिपेन्ड करता है। जहां तक निम्नस्तर के कर्मचारियों से संबन्ध है सारी सर्विसेज़ में घोर असन्तोष ने जन्म ले लिया है। ऊपर के स्तर के कर्मचारियों को पोलिटिकल यूज़ के लिये, व्यक्तिगत यूज़ के लिये काम में लिया जा रहा है। ये सारे प्रश्न गंभीर प्रश्न हैं, जैसा कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। इन सब की जांच के लिये एक कमेटी का अपोइन्टमेन्ट किया जाय। मैं इस बात का समर्थन करता हूं। इस संबन्ध में जो भी वह रिपोर्ट देगा वह सदन का बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेन्ट होगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): उपाध्यक्ष महोदय, इस जन-सेवा आयोग की रिपोर्ट पर विरोधी दल के कई माननीय सदस्यों ने विचार रखे हैं। इस विषय में मुझसे पूर्व वक्ता ने जो कुछ बीकानेर की सर्विसेज़ के बारे में कहा था उसके बारे में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो बीकानेर देशी राज्य की तारीफ की है वह वहीं तक सीमित रखें, अब कोई बीकानेर राज्य पुनः आने वाला नहीं है। अब राजस्थान बन चुका है इसलिये उनको वह भुला देना चाहिये। लेकिन वे भुला नहीं सकते....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): मैंने जिनके बारे में कहा वे आज भी जोधपुर में कलेक्टर रह चुके हैं, जिनको आपके मुख्य मंत्री उदयपुर ले गये हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: गंगासिंह आदि की बातें कह रहे थे। आप नाम मात्र के कम्युनिस्ट हैं। लेकिन राजा लोगों को याद करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस संबन्ध में बहस चली है। उसके बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि सर्विसेज़ का जहां तक ताल्लुक है सर्विसेज़ को हमारे संविधान में गारन्टी मिली हुई है। वह एक प्रकार से स्वतन्त्र सर्विसेज़ हैं। पॉलिसी सरकार की होती है उस पॉलिसी को चलाने वाले ये सर्विस क्लास के लोग हैं। इनके प्रोटेक्शन के लिये एक वैधानिक प्रोविज़न किया गया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन उनकी सर्विसेज़ को निश्चिन्तता दे। इसलिए सर्विस कमीशन का प्रोवीज़न रखा गया है और पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा उन सर्विसेज़ को निश्चिन्तता होनी चाहिये। सर्विसेज़ के अन्दर आपस

# Page No. 85



(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

प्रमोशन्स और दूसरी बातों के अन्दर उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार हो, इसके लिये सर्विस कमीशन की यह रिपोर्ट आती है । संविधान के अन्दर जो स्थिति है, जो मान्यता है उसके लिये न्यायपूर्ण व्यवस्था यही है । लेकिन इसके साथ साथ में यह भी कहूंगा कि जिस सरकार को पौने दो करोड़ आदमियों का काम चलाना पड़ता है, जिस सरकार को ड्यूटी अन्जाम देनी पड़ती है कई मर्तबा कई बातों के अन्दर कई तरह के अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिये उसे कुछ काम करने पड़ते हैं व होते हैं टेम्पोरेरी नेचर के । मैं तो यह नहीं कहता कि इसके अन्दर गलतियां नहीं होती होंगी । मैं यह अवश्य कहूंगा कि जो गलतियां बतलाते हैं उन्हें साबित करने की कोशिश की जाती है, लेकिन यह कहना कि सरकार सिवाय खराबी पैदा करने के और कुछ नहीं कर रही है, यह कहना बिल्कुल गलत होगा । इसके साथ साथ मैं टेम्पोरेरी अपोइन्टमेन्ट्स को जो बात की है उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा । टेम्पोरेरी अपोइन्टमेन्ट करना पड़ता है । इसकी वजह यह है कि कई मर्तबा ऐसे मौके आ जाते हैं, जिनके बारे में फोरकास्ट नहीं किया जा सकता । मिसाल की तौर में कहूं अब तो बरसात इधर उधर हो गई, नहीं तो फेमीन को पूरी संभावना थी यदि वह अकाल पड़ जाता तो सरकार को कई टेम्पोरेरी अपोइन्टमेन्ट करने पड़ते । जहां काम करने का सवाल आता है, जो काम ऐसे होते हैं जिनके बारे में पहले से तय करके नहीं चला जा सकता उनके लिये टेम्पोरेरी अपोइन्टमेन्ट किये बिना वह काम पूरा नहीं कर सकते । इसलिए इन सब मसलों से सरकार के प्रति यह कन्क्लूजन निकालना कि सरकार ने कोई इनके अंदर व्यक्तिगत रूप से दिलचस्पी ली है, तो मैं अदब से निवेदन करूंगा कि वह गलत होगा । इसके और भी फैक्टर्स हैं । मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि यहां पर हमने पांच रिपोर्ट्स रखी है । सब के अन्दर ऐसी ऐसी बातें हैं । मैं कहूंगा कि ये निगेटिव रिपोर्ट्स हैं । यह रिपोर्ट वह है जिसके अंदर केवल कमीशन उन बातों को रखती है जो कानून के जरिए उनको अधिकार प्राप्त हैं और सरकार जो अपनी मजबूरियों की वजह से उन कामों को नहीं कर सकती हर साल इसी तरह की रिपोर्टस आएंगी, सरकार की मजबूरियां और कमीशन के कानूनी इन्टरप्रिटेशन्स । इसलिए हमारा कर्तव्य हो जाता है कि जनराइलजेशन के ऊपर न जाकर, अगर हमको कोई तथ्य मालूम हैं तो उन तथ्यों के आधार पर सरकार को कह सकते हैं कि इस स्थिति के अन्दर ऐसा नहीं होना चाहिये था । सरकार को जनता के प्रति कर्तव्य निभाना है । अगर कमीशन की तरफ से कोई चीज नहीं आती है तो हम मांग करेंगे कि आपने टेम्पोरेरी अपोइंटमेंट करके क्यों नहीं किया ? सरकार पर हम लांछन लगा सकते हैं कि यह काम क्यों नहीं हुआ, तब अगर जबाब दिया जाय कि कमीशन ने नाम नहीं भेजे, इस वजह से हम सिलेक्शन नहीं कर पाए और तभी यह नुकसान हुआ तो सरकार अपनी ड्यूटी नहीं कर पायेगी । तो आप और हम ऐसी बातें सरकार की नहीं सुनना चाहते हैं ।

इस मामले में एक समस्या सामने आती है । अगर आप ६ महीने के टेम्पोरेरी अपोइटमेंट के अधिकार को, कानूनी मन्शा से या कर्त्तव्य की मन्शा से नहीं, बल्कि किन्हीं और मन्शाओं से अगर सरकार किन्हीं को अपोइंट करती है तो वह गलत चीज है । इसमें मैं एकाध इन्स्टान्स भी दूं इस बात का । शिक्षा विभाग को लीजिए । इसके

Page No. 86



(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
अंदर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है । अजमेर में भी है । वहां पर जो सीनियर लोग हैं, यूनिवर्सिटी के क्वालीफिकेशन्स को फुलफिल करते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी रिजल्ट्स बहुत बढ़िया होती हैं । उनके नाम एजुकेशन सेक्रेटरी ने कमीशन को कन्करेंस के लिए भेजे । उसके बाद बीच में कोई बात आ गई । एक हेड मास्टर काम करता था जिसका ट्रांसफर हुआ, उसने ऑर्डर्स को नहीं माना, लेकिन उसने किसी तरह से पहुआ लगा लिया। सेक्रेटरी कमीशन को खत लिखते हैं कि हमने जो कन्करेंस के लिए नाम भेजे उनको वापस कर दीजिये, हमको जरूरत नहीं है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उपमंत्री-शिक्षा) : नाम बता दीजिये ।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : कॉमर्स पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं । एक साहब बाहर से बुलाये गए हैं और उसके सब क्वालिफिकेशन्स हैं । मरी इस बारे में किससे बात हुई । उन्होंने कहा कि मजबूरी है, ऊपर से हुआ है, उसको लाना पड़ा है । इसके साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि यदि इस तरह का कोई एक केस भी होता है तो वह गलत है । ऐसी बातें सर्विसेज़ वाले नहीं करते, लकिन उनके ऊपर दबाव पड़ता है ।

दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं कि इस राजस्थान सरकार के अन्दर कौन से ऐसे आफिसर्स हैं और नौकर हैं जिन्होंने किसी के खिलाफ सरकार के पास रिप्रेजेन्टेशन नहीं किया है ? सीनियोरिटी के कितने रिप्रेजन्टेशन्स पेंडिंग हैं ? मेरे खयाल से ६०–७० प्रतिशत लोग सरकार के अन्दर ऐसे हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन्स आपके पास पड़ी हुई हैं, जिनका कोई सैटलमेंट नहीं हो पाता है और ऐसी अनिश्चितता की हालत में उन्हें दिक्कत होती है। आपको निश्चित रूप से सीनियोरिटी लिस्ट बनानी चाहिये । जिस वक्त किसीकी तरक्की का प्रश्न आता है सरकार के सामने तो उसके बाद कॉन्फीडेन्शियल रिपोर्ट मंगाते हैं, यह बात गलत है । वे लोग अपनी तरक्की की आशा लगाए बैठे रहते हैं और अपने बच्चों से कहते हैं कि दो साल के अन्दर हमारी तरक्की हो जायगी तब तुमको अच्छी तरह से पालेंगे और ज्यादा दूध पिलायेंगे । इस तरह से वे अनिश्चितता के वातावरण में रहते हैं । आप १६-१७ साल के बाद भी सीनियोरिटी लिस्ट बनाने का काम नहीं कर पाये ।

जब आपके सामने किसी की तरक्की का सवाल आता है उस वक्त यदि आप इन सब बातों की तरफ ध्यान देते हैं और टाइम निकालते हैं तो आप अन्याय करेंगे । आखिर कौन सिफारिश करते हैं ? इधर से सिफारिश करते हैं या उधर से सिफारिश करते हैं। आप नहीं कह सकते कि इसका टॉप पर नाम नहीं क्योंकि आपने तो मेरिट और सीनियोरिटी ऐसे वेग टर्मस को लिया है जिससे आप मनमानी करते रहें । तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन को सही तौर से जमाना है तो आवश्यक है कि सर्विसेज़ की सीनियोरिटी लिस्ट होनी चाहिये, ताकि अनिश्चितता का वातावरण न बना रहे ।

इसके साथ एक और थोड़ा सा मामला रखदूं । आज एक्स-अजमेर स्टेट और पुराने राजस्थान, दोनों के मुख्य मंत्री बैठे हुए हैं, इनकी मीटिंग्ज हुई । सर्विसेज़ को मिलाने के दिनों की मीटिंगों में मुझे खुशी है कि कौल साहब भी उनमें थे और उन मीटिंगों में से कौल साहब बाइकॉट करके आए ।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

फाइल वैसी की वैसी आगई । फाइलें आने के बाद क्या हुआ ? बदकिस्मती यह है कि अजमेर जरा सी जगह थी और राजस्थान बहुत बड़ी जगह थी, उसमें बहुत ऑफिसर्स हैं, उसकी वजह से हम चुप रहे । उस वक्त होम मिनिस्टर साहब ने, जो आजकल आबकारी मंत्री हैं, आमरण अनशन किया । कांग्रेस वाले इकट्ठे हुए । वहां पर सुखाड़िया साहब भी पहुंचें और उन्होंने कहा कि मैं न्याय चाहता हूं सर्विसेज के साथ । मेरे दिमाग में कोई ऐसी चीज नहीं है । हमारे सामने ऐसी बातें लाई जाय हम ठीक करने के लिए तैयार हैं । लेकिन उनका आमरण अनशन था अजमेर सर्विसेज के लिए। वह उन्होंने नहीं तोड़ा और आमरण अनशन एक सेक्रेटरी के लैटर के ऊपर उन्होंने तोड़ दिया । आज मैं पूछना चाहता हूं कि उन सर्विसेज के साथ क्या हुआ ? मैं राजस्थान सर्विसेज के खिलाफ कतई नहीं हूं, लेकिन इस तथ्य को इन्कार नहीं किया जा सकता कि जब सर्विसेज का इन्टीग्रेशन होता है तो जो यहां के सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके स्वार्थों को टक्कर लगती है और उनके एडजस्टमेन्ट में यदि कोई मार खाता है तो कमजोर ही खाता है । अजमेर एक छोटी सी जगह थी और कमजोर थी, इसलिए वहां के लोगों को ही नुकसान उठाना पड़ा । मुझे यह भी याद है और मुझे यह भी कहा था कि इन सर्विसेज की ग्रेड्स को जो राजस्थान की थीं उनको अचानक बढ़ा दिया और उस समय बढ़ा दिया जिस समय गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ने डाइरेक्शन दिया था कि किसी भी सर्विसेज की ग्रेड को नहीं बढ़ाया जायेगा । लेकिन इसके बावजूद क्या किया कि इस राजस्थान की सर्विसेज की ग्रेड को बढ़ाया । मुझे बड़ा अफसोस करना पड़ा, खेद से मेरा सिर नीचा हो गया । मुझे सुखाड़िया साहब ने बताया कि हमारी सर्विसेज की ग्रेड की बात बड़े अर्से से चल रही है । मुझसे पूछा गया कि आपके यहां नहीं किया गया । मैंने कहा कि हमारे यहां क्या किया, हमारे यहां तो सब के राज्य के लिहाज से किया । लेकिन हमारे अजमेर में दो-तीन को कर दिया है और आखिरी तारीख में उनको कन्फर्म कर दिया। मैं श्रीमान हरिभाऊ जी, अब वित्त मंत्री नहीं हैं, मैं पूछना चाहूंगा कि एक दो थे वह पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिजेक्ट कर दिये और आज गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया से ऊंची पोस्ट पर ले आये और सैकड़ों आदमी आपकी स्टेट के आज इसी तरह से दरदर की खाक छानते फिर रहे हैं और उनके साथ अन्याय हुआ है, उनकी कोई बात नहीं सुनता । आपके पास जाते हैं तो आप कहते हैं कि अब मैं राजस्थान का हो गया । आज उपाध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अजमेर की सर्विसेज के साथ न्याय नहीं हुआ और यहां तक कहूंगा कि इसके अन्दर भी, रिपोर्ट में भी आया है कि इन्टीग्रेशन के केसेज कितने डिले किये गये ? कितने केसेज आप भेजते हैं ? वहां पर अजमेर एक छोटीसी स्टेट थी वहां कोई पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं थी, यह मैं मानता हूं लेकिन वहां की सर्विसेज के साथ अन्याय हुआ है । वहां पर एक स्पेशल कमेटी होती थी सिलेक्शन की । जो आर० पी० एस० सी० से ज्यादा महत्व रखती थी, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की । उन्होंने जिसको पास कर दिया उनको दुबारा आप मजबूर करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने एपियर होना पड़ेगा और उनको क्या हेल्थ के अन्दर, क्या पुलिस के अन्दर सब जगह उनको नीचे डाल रखा है, उनको लोएस्ट लेवल पर इन्टीग्रेट किया है । इसके साथ साथ मैं यह भी अर्ज करूंगा कि उन एक-दो के बारे में आप

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

नाम पूछें, मैं गलत नहीं कहूंगा अगर मैं गलत कहूं तो मुझे टोका जाये। मैं नाम बताने के लिए तैयार हूं। एक दो आदमियों के करवा लेने से सर्विसेज़ का काम नहीं होता, आपकी भूख हड़ताल से उन सर्विसेज का भला नहीं होता। अजमेर की सर्विसेज़ के साथ तो माननीय मुख्य मंत्री जी से न्याय मांगता हूं। स्पेशल कमेटी के सिलेक्ट किये हुए सब जूनियर हो गए, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं चार दफा कहूं कि आप दोनों उठ कर नहीं आते तो इन सर्विसेज़ का तय होने वाला था और जब आप अभी तक तय नहीं करा सके तो आपको कोई बैठने का हक नहीं है; जब तक कि आप उनकी सर्विसेज़ की बात तय नहीं कराते। मैं दुखी होकर कहता हूं। पब्लिक सर्विस कमीशन को आप जोर देकर कहें कि इस तरह से इन्टीग्रेशन के सवाल को नहीं टाला जाना चाहिए। मैं एक दो बातें और कह कर अपना स्थान ग्रहण करूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमन्, आज एजूकेशन डिपार्टमेन्ट के अन्दर इतने लोगों का एरियर पड़ा है कि आप उनको दे नहीं पाते हैं। मैं स्पष्ट कह दूं कि आज एक एक क्लर्क की मेज पर, जो गरीब टीचर्स हैं उनको जाना पड़ता है। मैं याद दिलाऊं सिन्धी टीचर्स के बारे में मुझे ६ साल पहले सुखाड़िया साहब ने कहा कि सिन्धी टीचर्स का फाइनल कर दिया। वह फाइनल आपने क्या कर दिया ? मैं ऐसे इन्सटान्सेज़ बता सकता हूं कि एक रुपये के कागज पर टिकट लगवा कर इण्डेमनिटी फॉर्म पर दस्तखत करवा लिये और कहा कि सिन्धी टीचर्स का मामला तय हो गया। लेकिन फिर बाद में कह दिया कि फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट के पास जाइये। मैं यह कह सकता हूं कि कई लोगों के रिटायर होने पर उनके बच्चों को पैसा मिलता है। शिक्षा के अंदर यह होता है।

आज अजमेर सर्विसेज़ की एक बात और कहता हूं कि आपके यहां ५ रुपये मिले और पूछा कि कौन सी पे को आप ओप्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि अजमेर सेन्ट्रल गवर्नमेंट की पे। ५ रुपये आपने सब को दिये। ५ रुपये सब सिपाहियों को गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया से दिये लेकिन उस रुपये को खाली राजस्थान सर्विसेज़ को दे दिया। लेकिन अजमेर सर्विसेज़ वालों को ये ५ रुपये नहीं दिये। उनको क्यों नहीं दिये ? क्या वे सिपाही नहीं थे ? क्या वे सर्विसेज़ से अलग थे ? क्या इसीलिए नहीं दिये उनको कि उनकी पे तो पहले ही बढ़ी हुई है। मैं कहता हूं आप अजमेर के सिपाहियों को पांच पांच रुपये दें और हम एक एक रुपया वापिस राजस्थान वालों को दे देंगे। कई दफा बातें चलती हैं कि गरीबों को पांच पांच रुपये देने के बारे में एग्ज़ामिन कर रहे हैं। उचित कार्यवाही की जायगी, इस तरह की बातें की जाती हैं। उसका नतीजा यह हुआ कि आज बात आ ही गयी।

आपको मोटरों के ड्राइवर हैं वे आपके साथ चलते हैं, लेकिन उन लोगों की स्थिति जब सुनता हूं तो दुख होता है। वे बेचारे बारह बारह घंटे और जब चाहें तब अर्जीदां की तरह से खड़े रहते हैं, उनको ड्यूटी अलाउन्स नहीं मिलता। लेकिन यहां लोगों को सेक्रेटेरियेट अलाउन्स मिल जाता है। ये जो बड़े ऑफिसर्स हैं वे ले जाते हैं। ले जाना चाहिये, हर आदमी नौकरी करता है। लेकिन उनसे लेने की हिम्मत आपकी नहीं होती है, बल्कि चपरासियों के और इन ड्राइवरों के पैसे आप काट लेते हैं। उनको कोई अलाउन्स नहीं

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
देते । जो आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता और अगर कभी खड़ा हो जाये तो इन्डिसीप्लिन का चार्ज लगाकर उसको हटा देते हैं । जो कुछ मैंने कहा यदि वह सत्य है तो निश्चित रूप से यह क्या, कोई भी बात हो सही है तो मैं समझता हूं कि उस बात पर जोर दिया जाना चाहिये । इसके अलावा सीनियोरिटी छोटे बड़े सब की हमेशा तैयार रहनी चाहिये । जिनकी मेरिट्स के ऊपर कोई शिकायत हो तो उस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लेना चाहिये । उस खुशामदी टट्टू ऑफिसर को सजा मिलनी चाहिए जो रिपोर्ट टाइम टू टाइम नहीं देता है । इन शब्दों के साथ में अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

(६.४६ म० प०)

राजस्थान पुलिस (अनिष्ठा हेतु अभिप्रेरणा) विधेयक, १९६३

(प्रवर समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा)

श्री उपाध्यक्ष : सिलेक्ट कमेटी ऑन राजस्थान पुलिस (इनसाइटमेन्ट टू डिसअफेक्शन) बिल, १९६३ के सदस्यों की नामावली इस प्रकार से हैं :

| | |
|---|---|
| श्री मथुरादास माथुर | सभापति |
| श्री भीमसिंह | सदस्य |
| श्री मथुरेश बिहारी माथुर | " |
| श्री मानसिंह महार | " |
| श्री गणपतिलाल वर्मा | " |
| श्री जुझार सिंह | " |
| श्री जयकिशन शर्मा | " |
| श्री भैरोंसिंह | " |
| श्री मुरलीधर व्यास | " |
| श्री रामकिशन | " |
| श्री केदारनाथ | " |
| श्री जेठमल | सदस्य |
| श्री फूलचन्द | " |
| श्री देवी लाल | " |
| श्रीमती नगेन्द्र बाला | " |

प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करेगी ।

( ६.५० म०प० )

राजस्थान सेवा आयोग के ११ वें व १२ वें प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श

(पूर्व क्रम से )

(श्री नाथूराम मिर्धा के खड़े होने पर )

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो १० मिनट बाकी हैं । ७ बजे रिप्लाई शुरू होगा ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : रिप्लाई की खास बात नहीं है मैं बोल रहा हूं । मैं अपने विचार रख रहा हूं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : हमारी पार्टी को सिर्फ १५ मिनट ही मिले हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : अपोजिशन में से बहुत से बोले हैं ।

श्री उपाध्यक्ष Order please । प्रत्येक पार्टी को अवसर दिया जा चुका है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : फिर समय रहे तो आप बोल सकते हैं बीच में । मेरा भी अधिकार है बोलने का ।

माननीय उपाध्यक्ष, इस सदन में पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्यारहवें और बारहवें प्रतिवेदन जो प्रस्तुत किये गये थे उनके बारे में

(श्री नाथूराम मिर्धा)
सदन के माननीय सदस्यों ने राय जाहिर की। वैसे में आपकी मारफत सदन के माननीय सदस्यों के सामने यह बात निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान हमारी एक ऐसी स्टेट है जो कि २२ रियासतों से मिलकर एक स्टेट बना है। हिन्दुस्तान की और कई स्टेट्स ऐसी हैं जो कई वर्षों से, पुराने ब्रिटिश राज्य में भी अपनी तरह के सूबे या स्टेट्स रही हैं। वहां की सर्विसेज़ और यहां की सर्विसेज़ में कितना अन्तर है और उनके रूल्स और कानून-कायदे पहले बने हुए थे, और हमारे राजस्थान में यह काम जब से कहीं शुरू किया गया है, वह भी इस सदन के माननीय सदस्यों से छिपा नहीं है।

राजस्थान जब सन् १९४९ में बना उस वक्त में अलग अलग २२ रियासतों की सर्विसेज़ में किस तरह के कानून थे, कैसे कायदे थे, किस तरह से अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन थे, कहीं पर कोई पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं था, और इस तरह से राजस्थान की पुरानी रियासतों की जो सर्विसेज़ जब राजस्थान बना तो उनका एकीकरण किया गया, काफी कठिनाइयों के बाद में वह एकीकरण हुआ। उन सर्विसेज़ का एकीकरण करने के बाद उनमें से भी किस तरह हमारे यहां की सर्विसेज़ में एक दूसरे को इन्टीग्रेशन के वक्त में किस प्रकार की शिकायतें रहीं और उनका निराकरण करने के सिलसिले में किस तरह से राजावत कमेटी और कई प्रकार की अलग अलग प्रणालियों का गठन किया गया उस समय बहुत से मामले सुलझाये गये।

उसके बाद जब राजस्थान में पब्लिक सर्विस कमीशन बना उसके सामने कई मामले, पहले शुरू शुरू में बना तब से लेकर आज तक बहुत लम्बे अर्से तक कई मामले उनके सामने पेंडिंग पड़े हैं। वे कई अर्से से सुझाते भी हैं कि उन कामों को निबटाया जाय लेकिन काम की बहुतायत होने के कारण और कमीशन में कई बार मेम्बरों की कमी रहने के कारण जिस प्रकार से कामों को टाइम पर निबटाया जाना चाहिये था समय पर वे काम नहीं निबटाये जा सके। उसमें कई कामों में पिछला बेक लॉग चला आ रहा है।

सदन के माननीय सदस्यों ने यहां पर अपनी राय जाहिर की कि इस राज्य की सर्विसेज़ को इम्पार्शियल होना चाहिए और राज्य की सर्विसेज़ के लिए जो रूल्स विभाग में बने वे जल्दी ही बन जाने चाहिए। उन नियमों को बनाकर ठीक तरह से पालन किया जाना चाहिए, सर्विसेज़ का सिलेक्शन ढंग से करना चाहिए, उनका प्रोमोशन तरीके से होना चाहिए और उनके दिमाग में पूरी तरह हर प्रकार की सिक्योरिटी रहनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष, मेरे खयाल से सदन के माननीय सदस्यों की इस राय से इधर बैठने वाले लोगों की राय दूसरे प्रकार की राय नहीं हो सकती कि हमारे राज्य की सर्विसेज़ का मोरल ऊंचा हो, वे निष्पक्षता से काम करें, उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव न हो। ये सारी बातें बहुत उचित हैं, और सरकार भी इस बात का खयाल करके चलती है कि जहां तक बन सके सर्विसेज में इस प्रकार की शिकायतें व्याप्त न हों और उनका एपोइन्टमेंट कायदे के मुताबिक किया जाय, उनका प्रोमोशन कायदे के मुताबिक किया जाय। उनकी सर्विसेज़ की तरक्की या टेम्पोरेरी प्रोमोशन या टेम्पोरेरी एपोइन्टमेंट जो भी किये जाय, जहां तक बन पड़े सब नियमों के अनुसार किये जांय। मैं आपकी मारफत यह निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष

Page No. 91



(श्री नाथूराम मिर्धा)

महोदय, कि सदन के कुछ माननीय सदस्यों का यह कथन कि हमारे राज्य में टेम्पोरेरी एपोइन्टमेंट्स इसलिए नहीं होने चाहिएं और जहां तक वे टेम्पोरेरी एपोइन्टमेंट्स होंगे तब तक इसमें पक्षपात रहेगा, इसमें भ्रष्टाचार रहेगा और यह बात जो वे कहते हैं ठीक नहीं है। मैं उनके कथन से शत प्रतिशत किसी भी प्रकार से सहमत नहीं हूं। यह बात आप स्वयं स्वीकार करेंगे कि इस राज्य में बहुत से विभाग ऐसे हैं जिनमें कि आए साल कुछ न कुछ योजनाएं नये रूप से चालू की जाती हैं और जब चालू की जाती हैं तो उनके ऊपर जो नई पोस्ट्स का क्रिएशन होता है, उन पोस्टों के ऊपर तुरन्त काम चालू करने के लिए कुछ आदमियों का एपोइन्टमेंट, नियुक्तियां करनी जरूरी होती हैं। अगर उस साल की योजनाओं के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन के पास में रिक्वीजीशन भेजने की बात तुरन्त में करें तो पूरी फार्मेलिटीज नोटिस शाया करने के बाद, लोगों को बुलाने के बाद, एपोइन्टमेंट का पूरा काम करने के बाद काम चालू करें तो उसमें ८-१० महीने से कम का समय किसी भी हालत में नहीं लगेगा। इस दृष्टिकोण से किसी भी प्रकार से किसी भी विभाग में किसी भी प्रकार का टेम्पोरेरी एपोइन्टमेंट नहीं होना चाहिए, मैं उस कथन से कतई सहमत नहीं हूं।

मैं स्वयं अपने विभाग की बात कहता हूं कि इस साल ३०-३५ एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन ऑफिसर्स व वेटरीनरी के २०-२५ एक्स्टेन्शन ऑफिसरों की जरूरत है। तो ऐसे लोगों को हम टेम्पोरेरी तौर पर जो कि नियम राज्य सरकार के करीब करीब सभी विभागों में बने हुए हैं, ऐसे लोग जो क्वालिफाइड हैं उनके लिए अखबारों में नोटिफिकेशन तुरन्त टाइम पर शाया किया गया था। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक सब लोगों को अर्जी देने का मौका दिया था, और उसके बाद में उन लोगों का सिलेक्शन किया था। इस प्रकार का सब विभागों को नये काम के लिए करना पड़ता है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मारफत निवेदन करना चाहता हूं और खास तौर से मेरे विभाग में ५-६ साल का बेकलॉग अभी तक पड़ा हुआ है। हमारे विभाग में, खास तौर से एग्रीकल्चर विभाग में बहुत अर्से से बन चुका था, उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से डिपार्टमेंटल नियमों में कमी थी, उसके लिए दुबारा पब्लिक सर्विस कमीशन से आया और पूरी तरह से उसको ले लिया गया। एनीमल हसबेंड्री के जो नियम कई वर्षों से राज्य सरकार और पब्लिक सर्विस कमीशन के बीच आपस में कुछ मुद्दों पर जो कि पत्र-व्यवहार चल रहा था उसको ठीक ढंग से सुलझाने के सिलसिले में भी करीब करीब अब जाकर फाइनल हुआ है पिछले दो-तीन साल से लगातार कोशिश के बाद। उसके पहले जितने भी एपोइन्ट-मेंट पिछले ३-४ वर्षों में किये गये हैं, वे सब टेम्पोरेरी एपोइन्टमेंट ६ महीने के अर्से के नीचे उस दृष्टिकोण से किये गये थे। जो एपोइन्टमेंट उस वक्त में किये हुए थे उनको ३-४ वर्ष हो चुके हैं। उनका रिक्वीजिशन पब्लिक सर्विस कमीशन के आगे उसी वक्त चला गया था जब कि एपोइन्टमेंट किया गया था जो कि विभाग के कायदे बना दिये हैं कि जितने भी टेम्पोरेरी एपोइन्टमेंट्स किये जांय उनका पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्वीजिशन जाना है। वह उसी दिन चला जाय जिस दिन कि एपोइन्टमेंट का ऑर्डर किया जाय। इतनी सारी प्रिकॉशन लेने के बाद पिछले कई वर्षों का बेक लॉग अभी तक उन पोस्टों

( श्री नाथूराम मिर्धा )

का फाइनेलाइज नहीं हुआ है। अभी एनीमल हसबेन्ड्री में पिछले ४-५ सालों के एपोइन्टमेंट्स को लेकर सिर्फ १३०-१३५ पोस्टें एडवर्टाइज हुई थी और कुछ पोस्टों का इन्टरव्यू पब्लिक सर्विस कमीशन ने किया है। तो इस तरह से यह कह देना कि किसी भी विभाग में किसी भी तरह का टेम्पोरेरी एपोइन्टमेंट न हो, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, और अगर ऐसा नियम जैसा कि सदन के माननीय सदस्य चाहते हैं कर दिया जाय, तो बहुत सी योजनाएं व काम काज......

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंह नगर): किस ने कहा कि टेम्पोरेरी एपोइन्टमेंट न हों?

श्री नाथूराम मिर्धा: आपने नहीं कहा। आप थे नहीं यहां पर। आप बाहर घूम रहे थे, आप चक्कर लगा रहे थे।

तो मैं आपको......

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा: मैं नाम जानना चाहूंगा कि किस ने कहा था?

श्री नाथूराम मिर्धा: सदन में २-३ आदमियों ने कहा था, आप थे नहीं, आप बाहर घूम रहे थे। टेम्पोरेरी एपोइन्टमेंट के लिए मुरलीधर साहब ने फर्माया था कि यह नहीं होना चाहिए, यह भ्रष्टाचार है। आप नाम जानना चाहते थे तो बता दिया है।

मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार के एपोइन्टमेंट जैसे मैंने मेरे विभाग की बात कही, दूसरे विभागों में, एज्यूकेशन डिपार्टमेंट में जहां कि प्रोफेसर्स और लेक्चरार्स युनिवर्सिटी के, चूंकि अब एग्रीकल्चर कॉलेज युनिवर्सिटी का पार्ट एण्ड पार्सल बन गया है। उसमें भी इस प्रकार डिमॉन्सट्रेटर्स, लेक्चरार्स आदि हैं जिनके बारे में सेंक्शन होती है उनको तुरन्त एपोइन्ट करना लाजमी होता है और फिर पी. एस. सी. के सामने जाना होता है। जैसा कि मैंने कहा अब राज्य के नियम बन गये हैं कि जितने टेम्पोरेरी अपोइन्टमेन्ट्स किये जांय, जिस दिन ऑर्डर हो, उसके साथ ही यदि वह पोस्ट पी. एस. सी. में जाने की है, तो फौरन रिक्वीजिशन चली जाय, ये गवर्नमेन्ट के स्टेन्डिंग ऑर्डर्स हैं, अपोइन्टिंग ओथोरिटी को हिदायत है कि इस प्रकार की कार्यवाही उसी दिन करें।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि टेम्पोरेरी एपोइंटमेन्ट्स के बारे में यह कहना कि इससे भ्रष्टाचार होता है, मैं इसको स्वीकार नहीं करता क्योंकि हमारी योजनाएं हैं जिनको हमें आगे चलाना है। उनके लिये अगर पहले सेंक्शन में समय निकल जाय, फिर एपोइन्टमेंट के लिए पी. एस. सी. की इन्तजार करें तो एक साल का समय पी. एस. सी. के कारण निकल सकता है......

रावल श्री अमरसिंह जासोल (पचपदरा): मैं दो बातों के बारे में क्लेरिफिकेशन कराना चाहता हूं, एक तो यह कि टेम्पोरेरी अपोइंटमेन्ट्स की जाय तो कितने समय बाद पी. एस. सी. द्वारा रेगुलराइज करानी चाहिये इसके लिये समय निश्चित होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यदि पी. एस. सी. कहता है कि फलां अपोइन्टमेन्ट्स

(रावल श्री अमरसिंह जासोल)
अनियमित हैं और वे नहीं होनी चाहिए तो उसको मान्यता देकर गलत अपोइन्टमेन्ट्स हो गई हैं उनको दुरस्त करना चाहिए या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपकी दोनों बातों से सहमत हूं । टेम्पोरेरी अपोइन्टमेन्ट करने के बाद कितने समय में रेगुलराइज़ करना चाहिए । एक बार जब पी. एस. सी. में अपोइन्टमेन्ट्स करने के लिए रिक्वीज़िशन चली जाती है तो फिर पी. एस. सी. का फंकशन हो जाता है कि उसको कब फुरसत होगी और कब सिलेक्शन हो सकेगा । यह कमीशन के हाथ की बात है, सरकार के हाथ की बात नहीं है । कमीशन अपनी प्रायोरिटी के अनुसार कब कर सकता है, यह उसके देखने की बात है । जैसे कई रिक्वीज़िशन्स कई वर्षों से कमीशन के पास पड़ी हैं उसका क्या कारण था, यह शुरू में निवेदन किया था । दूसरे मुद्दे के बारे में जो आपने कहा था कि अपोइंटमेन्ट्स गलत हो गई हैं जिनके बारे में पी. एस. सी. यदि कहता है तो उसको मान्यता देनी चाहिए । इस सिलसिले में मैं निवेदन करूंगा कि सरकार ने ऐसे कई मामलों में, जिनमें पी. एस. सी. ने एडवाइज़ किया है कि ये गलत हुए हैं तो उनको सरकार ने स्वीकार किया है और अपोइंटमेन्ट्स को कैंसिल किया है । जिस मामले को सरकार न स्वीकार किया है उसमें तो उसकी राय के अनुसार काम किया है और जिन मामलों में सरकार उनकी राय को ठीक नहीं मानती तो सरकार को हक है कि वापस कमीशन को कहे कि वह इस पर पुनः गौर करे । इस तरह से सरकार और कमीशन के बीच में पत्र-व्यवहार चलता है । आखिर जाकर कनविन्स होने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचते हैं । सरकार अगर उनकी राय को नहीं मानती है तो वह बात रिपोर्ट में आती है और सदन को अधिकार है कि उस पर अपनी राय जाहिर करे......

रावल श्री अमरसिंह जासोल : मैं ......

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरा भाषण समाप्त हो जाय तब आपका भी हो जाय।

मैं इस प्रकार की टेम्पोरेरी अपोइंटमेंट्स के बारे में निवेदन कर रहा था । इसके बाद कुछ कमीशन की बातें इस सदन में आई । बहुत से माननीय सदस्यों ने यह कहा कि बहुत से विभागों में सर्विस रूल्स और नियम नहीं बने हैं । वहां पर प्रोमोशन आर्बिट्रेरी वे में हो जाते हैं । मेरिट-कम-सीनियोरिटी और सीनियोरिटी-कम-मेरिट की बात भी बताई । मैं चाहता था कि माननीय सदस्य गंभीरता से इसके बारे में विचार रखते । सर्विसेज़ के मामलों में इन्चार्ज मुख्य मंत्रीजी हैं, जो नीति के तौर पर सारे मामलों को देखते हैं पर उनका भी यह विश्वास है कि सर्विसेज़ के मामलों में, पदोन्नति के मामले में क्या क्राइटेरिया इस राज्य में अपनाया जाय, वह सीनियोरिटी-कम-मेरिट हो या मेरिट-कम-सीनियोरिटी हो, पर एक डेफिनीट क्राइटेरिया हो जिससे हमारे राज्य की सेवाएं अच्छी तरह से राज्य के लिये काम करें और एक तरह का क्राइटेरिया हों, किस प्रकार वे काम करें यह चीज देखने की है । यह ठीक

( श्री नाथूराम मिर्धा )

बात है कि जिन विभागों में नियम हैं, डिपार्टमेंटल प्रोमोशन के नियम बने हैं वहां एक कमेटी बैठती है और सब जगह यह प्रावधान है कि उसके चेयरमैन पी. एस. सी. के मेम्बर होंगे और उनके साथ विभाग के दो–तीन आदमी, जैसे सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी और हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट मिलकर सीनियोरिटी का जो क्राइटेरिया है उसको ध्यान में रखकर, सर्विस रेकार्ड को देख कर मार्किंग करते हैं। इस प्रकार की अब तक व्यवस्था है।

खास तौर से माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया कि किसी के सर्विस रोल में एडवर्स एन्ट्रीज हैं तो जब तक उस संबंधित व्यक्ति को वह एडवर्स एन्ट्री कनवे नहीं कर दी जाय तब तक उसका नोटिस लेना और एडवर्स एक्शन लेना वाजिब नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है, सी. एम. साहब जरूरत समझेंगे तो और कहेंगे, लेकिन इस बारे में स्टेन्डिग आर्डर्स हैं कि जो एडवर्स एन्ट्रीज किसी ऑफिसर ने किसी के सर्विस रेकॉर्ड में शुरू में एन्टर करदी है और उस ऑफिसर को मौका नहीं दिया है, एडवर्स एन्ट्रीज के बारे में कुछ कहने का तब तक उसका नोटिस नहीं लेना चाहिये। यह स्टेन्डिग रूल्स एंड सर्क्यूलर्स के जरिये डिपार्टमेन्टल प्रोमोशन कमेटीज को और ऑफिसर्स को हिदायत दे दी है। इसलिये यह कहना कि जिनको हटाना होता है उनके बारे में नोटिस ले लिया जाता है, यह मेरे ख्याल से सही नहीं है, तथ्य से परे है। जो रूल्स हैं, वे इस बारे में साफ हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि सदन के माननीय सदस्यों को गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि प्रोमोशन का क्या क्राइटेरिया हो, सीनियोरिटी-कम-मेरिट हो या मेरिट-कम-सीनियोरिटी हो, उस बारे में और माननीय सदस्य, कुछ समय रह गया है उसमें इस पर बोलें तो अच्छी सलाह होगी। टेम्पोरेरी एपाइन्टमेन्ट्स और प्रमोशन्स के बारे में जो जनरल विचार माननीय सदस्यों ने रखे उनके बारे में जो कुछ कहना था वह निवेदन किया।

विशेष करके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने १२ वीं रिपोर्ट के ११ वीं अपेन्डिक्स के बारे में कहा, मैं उनकी जानकारी के लिये और माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि इस अपेन्डिक्स में जो केसेज हैं,

"List of transfers and promotion cases that remained pending at the close of the year for want of information."

यह उन केसेज की सूची है जिनके बारे में कमीशन का यह कहना है कि कुछ बातों की सूचना उन्होंने मांगी थी वह नहीं आई, इस वजह से प्रोमोशन और ट्रान्सफर्स के केसेज पेन्डिग रह गये, इसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया था; शायद २५ केसेज हैं...

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : २५ में से १४ एग्रीकल्चर विभाग के हैं, पेज ८८ पर हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : पेज ८८ पर है अपेन्डिक्स ११ में उसी का जिक्र शायद आपने किया था। आपने कहा था कि ये

# Page No. 95



( श्री नाथूराम मिर्धा )

बहुत पुराने हैं, लेकिन मैं बताद्ं कि इनमें से २ तो सन् ५८ के हैं और बाकी सन् ६० के हैं मोस्टली। उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि करीब करीब सारे केसेज़ फाइनेलाइज़ हो गये हैं एक्सेप्ट केस नं. सेवन, एट एंड इलेवन। इन तीनों मामलों को छोड़ कर बाकी के जितने सारे केसेज़ हैं-१५, १७, १९, २१, २३, २४ और उसके पहले के जितने केसेज़ हैं—२, ३, ४, — इन सारे के सारे मामलों में सूचनाओं का आपस में आदान-प्रदान हो गया है और इन केसेज़ में पूरा सेटलमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ में हो चुका है। मैं माननीय सदस्य को और सदन के सब माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि इनमें ऐसे केसेज़ नहीं जिनमें बहुत इर्रेगुलेरिटीज़ होगई हो। यह ठीक है कि कई दफा कागज आते हैं तो कई दफा इधर ज्यादा पड़े रह जाते हैं और कभी उधर ज्यादा पड़े रह जाते हैं। फिर भी जितने आब्जेक्शन्स और इस प्रकार की चीजें आती हैं, तो मैं अपने विभाग के लिए कह सकता हूं कि मैं टाइमली रिपोर्ट बनने के पहले जानकारी रखता हूं कि कितने केसेज़ किस लेवल पर पेंडिंग पड़े हैं, क्यों पेन्डिंग पड़े हैं और उनको जल्दी निपटाना चाहिए। जो अपेन्डिक्स की ओर ध्यान खींचा है उसके लिए मैं खास तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि सिर्फ उपरोक्त तीनों मामलों को छोड़ कर बाकी के सारे मामले, जो इन्फोर्मेशन की वजह से आउटस्टेंडिंग थे, में हल निकल गया है और उनको निपटा दिया गया है।

मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया हमारे यहां जिन परिस्थितियों के अन्दर जिस प्रकार इन्टीग्रेशन हुआ, जिस प्रकार राज्य बना, जिस प्रकार सेवाओं का इन्टीग्रेशन हुआ, जिस प्रकार कि सारे के सारे रूल्स की एबसेन्स थी, यह सब जानते हैं। अब हमारे यहां नये रूल्स बने हैं, उनको ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट कराना है, लागू करवाना है। और यह भी ठीक बात है कि अभी कई छोटे डिपार्टमेंट्स, ऐसे हैं जहां रूल्स और नियम बनाना आवश्यक है, लेकिन वे नहीं बन पा रहे हैं, हालांकि डिपार्टमेंट्स की तरफ से ड्राफ्ट हो गये हैं—कई रूल्स आपोइन्टमेंट डिपार्टमेंट्स के विचाराधीन हैं और कई पब्लिक सर्विस कमीशन के। कई बार पब्लिक सर्विस कमीशन से बैक रेफरेन्स होकर आते हैं। इस तरह बहुत लम्बी-चौड़ी व्यवस्था होती है और कॉरसपोन्डेंस करने में समय निकल जाता है क्योंकि उनके हाथ कई मामलों में फुल रहते हैं।

जैसा मैंने निवेदन किया, कई सर्विस बुक्स लोगों के इन्टरव्यूज़ के लिए पड़ी हुई हैं चार पांच साल से लेकिन कोई उनकी तरफ से काम करने की इच्छा नहीं हो—ऐसा प्रतीत नहीं होता। इसका कारण है कि उनके हाथ ओवर-फुल हैं। इसी तरह सरकार के पास जो मामले आते हैं, तो रूटीन में कई दफा अटक जाते हैं और जितनी देरी नहीं होनी चाहिए कभी कभी उससे ज्यादा हो जाती है। वे सारे मामले रिपोर्ट में रेकर किये जाते हैं। लेकिन जहां रिपोर्ट में कन्क्लूड किया है, उसको आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कमीशन ने खुद ने इस बात की बहुत तारीफ की है और इच्छा जाहिर की है कि सरकारी कर्मचारियों, सरकार के सब लोगों ने—जहां उन्होंने कोई सूचना मांगी तो सूचना दी, जहां कोई इनफोर्मेशन मांगी तो वह दी ...

श्री भैरोंसिंह ( किशनपोल, जयपुर ): यह तो कर्टसी के नाते सब लिखते हैं। आप सहयोग दें या न दें, कर्टसी के नाते लिखते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : कर्टसी तो सब चीजों में चाहिए। आपको हम कर्टसी से कहते हैं, 'आप कर्टसी से सुनते हैं। कर्टसी दुनियां में है। कर्टसी रखनी चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): डिप्लोमेसी-कम-कर्टसी है।

श्री नाथूराम मिर्धा : वैसे कमी रहती है। इधर से रहती है और उधर से रहती है। माननीय सदस्यों ने कई केसेज के बारे में कहा, खास तौर से गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस केस के बारे में कहा उसके बारे में मुख्य मंत्री जी कहेंगे, लेकिन मुझे भी उसकी जानकारी है वह मैं आपके सामने निवेदन कर दूं। एक्सपीरियन्स ऑफ इन्सपेक्टर्स और उनके सिलेक्शन की बात वे सदन में कह रहे थे। यह किसके बारे में है वह नहीं कह सकता, लेकिन जो वे कह रहे थे वह नहीं है। एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियन्स के बारे में डिस्प्यूट चला-पब्लिक सर्विस कमीशन और गवर्नमेंट के बीच में। इन्सपेक्टर की बात कही कि बारह में से आठ वे हैं, जैसा वे कह रहे थे, कि वे ऑडिट इन्सपेक्टर हैं और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियन्स होने की बात कहते हैं, वह सरकार नहीं मानती है। यही बात सरकार ने पब्लिक सर्विस कमिशन के सामने कही है। उसने यह बात मान ली है और वह लिस्ट विथड्रा कर ली है। फैक्ट यह है कि जिस लिस्ट के लिए वे कहते हैं, वह लिस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन ने विथड्रा कर ली है। आगे उन केसेज के बारे में क्या हो, क्या नहीं हो-यह दूसरी बात है, लेकिन सरकार की कुछ केसेज के बारे में व्यूज होती है, और पब्लिक सर्विस कमीशन एक एडवाइजरी बॉडी है। उसके सामने जो व्यू आती है और सरकार के अधिकार हैं कि वह भी व्यू रखे। आपस में बातचीत होकर जब सेटलमेंट होता है तो केस निपटते हैं। जब सेटलमेन्ट नहीं होता है तो वे केसेज आप लोगों के सामने आते हैं; आप उस पर चर्चा करते हैं और सदन की जो राय होती है उससे सरकार भी बाध्य होती है और पब्लिक सर्विस कमीशन को भी उसके मुताबिक चलना पड़ता है। यह वैधानिक तरीका है, इसके अनुसार ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अब मैं सदन का ज्यादा समय न लेकर यह निवेदन करूंगा कि इस तरह जो ये रिपोर्ट हैं-दस, ग्यारह और बारहवीं रिपोर्ट, और इस दिशा के अन्दर जैसे जैसे बढ़ते जायेंगे, तो पहले की रिपोर्ट आप पढ़ेंगे, उनमें जो कमियां हैं वे आगे की रिपोर्ट में नहीं मिलेंगी और जो इन रिपोर्ट्स में हैं वे आगे नहीं मिलेंगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : On a point of Order, आपने कहा कि ऑडिट इन्सपेक्टर हैं। इसमें क्लीअरली लिखा है, कोऑपरेटिव इन्सपेक्टर ......

श्री नाथूराम मिर्धा : दो प्रकार के होते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दस केसेज थे, उनमें से ९ कोऑपरेटिव इन्सपेक्टर्स के थे और दसवां ऑडिट इन्सपेक्टर का है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं निवेदन कर रहा था, मैं तो समझ गया। आपकी बात से मैं कब डिनाई कर रहा हूं। आप ही नहीं समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि दो प्रकार के इन्सपेक्टर्स होते हैं-एक एग्जीक्युटिव इन्सपेक्टर और दूसरा ऑडिट इन्सपेक्टर। ऑडिट इन्सपेक्टर का काम है हिसाब की जांच पड़ताल करना और एग्जीक्युटिव इन्सपेक्टर को एग्जीक्युटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना पड़ता है। इसलिये दोनों इन्सपेक्टर्स के काम करने की पद्धति में, डेजिगनेशन में अन्तर है। जिस एक्सपीरियन्स को आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियन्स कह रहे हैं, क्योंकि वे ऑडिट के इन्सपेक्टर हैं, इसलिये वे इस एक्सपीरियन्स की तारीफ में नहीं आते। इस तरह जो पब्लिक सर्विस कमीशन और गवर्नमेन्ट के बीच में मतभेद थे, वे समाप्त हो गये और उन्होंने वह लिस्ट विथ्ड्रा कर ली है, यह मैं आपकी सूचना के लिये अर्ज कर देता हूं। इस तरह ज्यों ज्यों हम आगे बढ़ते हैं, जो कमियां पहली रिपोर्ट में देखने को मिलेंगी माननीय सदस्यों को, वे अगली रिपोर्ट में कम होती जा रही हैं, इर्रेगुलेरिटीज पहले ज्यादा थीं वे कम हो रही हैं। इस तरह से मैं सोचता हूं कि सदन की सलाह से, जो कमियां हैं उनको दूर कर हम तरक्की की ओर अग्रसर हो रहे हैं, अच्छाई की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और इस तरक्की और अच्छाई में भरोसा रख कर ही आगे चलने की आवश्यकता है। मैं सोचता हूं कि आने वाले पांच-सात वर्ष के अन्दर, जितनी सी रिपोर्ट आती है, शायद वह भी नहीं आये और जो कमियां देखने को मिलती हैं, शायद सदन के मेम्बर को-जो अभी हैं उनमें से उस वक्त कुछ कम हों और बहुत से नये मेम्बर आयें- लेकिन उनको शायद इन चीजों को देखने का अवसर नहीं मिलेगा जितना आज इस सदन के सदस्यों को देखने का अवसर मिलता है। मैं अच्छाई में विश्वास रख कर चलने वाले आदमियों में से हूं। मैं सोचता हूं कि जो कमियां पिछले वर्षों में रही हैं वे आगे नहीं रहेंगी और हम ज्यादा अच्छाई की ओर बढ़ेंगे, राजस्थान की सर्विसेज और मजबूती और इम्पार्शियल तरीके से काम करेंगी और यही जो सदन के माननीय सदस्य हैं उनका मानना है। हम सोचते हैं कि इस प्रकार से होना चाहिए और इसी प्रकार से होगा।

## अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी दसवें प्रतिवेदन विषयक सूचना

श्री उपाध्यक्ष : मैं सदन को सूचित कर दूं, जैसा कि विधान सभा सचिवालय द्वारा पृथक रूप से सूचित किया गया है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का दसवां प्रतिवेदन, १९६०-६१ की कुछ प्रतियां सरकार से प्राप्त हुई थी और विधान सभा के विभिन्न दल और ग्रुप को वितरित करवा दी गई थी। आज उनकी और प्रतियां प्राप्त हुई हैं। अब जिन सदस्यों को दसवें प्रतिवेदन की प्रतियां नहीं पहुंची हों और जो उन्हें लेना चाहें, वे कृपया विधान सभा के सूचना कार्यालय से ले लेवें।

इसके अलावा म यह भी निवेदन कर दूं कि अगर कोई और माननीय सदस्य बोलना चाहें, तो पांच-दस मिनट तक समय दिया जा सकता है। उसके पश्चात भी यह

(श्री उपाध्यक्ष)
आवश्यक होगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर देंगे, उसके लिए दस–पन्द्रह मिनट का समय बढ़ाया जाय । तो मैं समझता हूं कि सदन को इसमें सहमति है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): मैं अर्ज करना चाहता हूं.......

श्री उपाध्यक्ष: जब तक मुख्य मंत्री जवाब देंगे तब तक इस सदन का समय बढ़ा हुआ समझा जायगा ।

श्री भैरोंसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि भारत सरकार की आदिम जातियों और परिगणित जातियों की रिपोर्ट सदन के माननीय सदस्यों को वितरित करवा दी । मैं सरकार से यह जानकारी लेना चाहूंगा कि राज्य सरकार के सोशियल वेलफेअर डिपार्टमेंट द्वारा कोई आदिम जातियों और परिगणित जातियों के लिए इस प्रकार की कोई रिपोर्ट या लिट्रेचर तैयार करवाया है ? क्या सरकार इस स्थिति में है कि बहस प्रारम्भ होने से पहले माननीय सदस्यों को वह रिपोर्ट अवेलेबल करवा दी जाय ताकि भारत सरकार की रिपोर्ट के संदर्भ में राजस्थान सरकार ने क्या २ काम किये हैं, और क्या रिपोर्ट है उन सब मामलों पर भी विचार किया जाय ।

श्री भीखाभाई (सिंचाई मंत्री) : इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि बजट सेशन में इस वर्ष जो परम्परा लोक सभा में होती है उसी परम्परा के अनुसार एन्युअल विवरण सभी माननीय सदस्यों के पास भेजा गया था ।

श्री भैरोंसिंह: वह विवरण फाइनेन्शियल आंकड़े हैं और उस विवरण में राजस्थान सरकार ने क्या काम किये हैं वे सम्मिलित नहीं हैं । सोशियल वेलफेअर में कितना खर्चा किस पर्टीक्यूलर काम के लिए मिलता है, कितना हुआ है, कितना सरप्लस है, कितना डेफीसिट है – इसके अलावा और कोई विवरण सम्मिलित नहीं था । भारत सरकार की जिस प्रकार की रिपोर्ट प्रस्तुत है, उसमें इन बातों का उल्लेख होता है । उसी प्रकार आपके विभाग ने भी तैयार करवाया होगा । अगर नहीं है तो स्पष्ट कह दें और अगर करवाया है तो वह दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा ।

(७·२० म० प०)

## राजस्थान जन सेवा आयोग के ११ वें व १२ वें प्रतिवेदनों सम्बन्धी विचार–विमर्श

( पूर्व क्रम से )

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): उपाध्यक्ष मोहदय, अभी माननीय कृषि मंत्री जो पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर बोल रहे थे और उन्होंने यह राय जाहिर की कि आने वाले वर्षों में शायद यह रिपोर्ट और भी छोटी हो जायगी । मैं उनकी राय से इत्तफाक करता हूं । जिन कारणों से वह इस रिपोर्ट की छोटी होने की संभावना बताते हैं, वे कारण सही नहीं हैं। अभी सर्विस कमीशन की ११ वीं और १२ वीं रिपोर्ट सदन के सामने रखी गई है जिसमें १२ असिस्टेंट कोऑपरेटिव इन्सपेक्टर्स के बारे में जो लम्बा-चौड़ा नोट कमीशन ने इन रिपोर्ट्स में लिखा है, सरकार उनसे डिसेन्ट करती है ।

( श्री मानिकचन्द सुराणा )

लेकिन सरकार ने जो अपना डिसेन्टिंग नोट प्रसारित किया है क्यों कि कमीशन ने अपाइंटमेंट्स को विथ्ड्रा कर लिया है, इसलिये उससे दूसरी राय रखने का प्रश्न नहीं उठता है ।

दिसम्बर १६५६ में कमीशन ने उन १२ इन्सपेक्टर्स की नियुक्तियां की, जो इन्टरव्यूज ली, उसके ४ साल बाद में कमीशन द्वारा विथ्ड्रा किया जाना इस बात का प्रतीक है कि कमीशन के हाथ सरकार के सामने कितने कमजोर हो गए हैं। क्योंकि ४ साल तक सरकार ने उनकी बात को नही माना तो मजबूर होकर उन्होंने युनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को भी इस बात की रिपोर्ट की और चारों तरफ रिपोर्ट करने के बाद जब कमीशन के पास कोई चारा नहीं रहा, तो उन्होंने मजबूर होकर अपनी रिकमंडेशन्स को विथ्ड्रा किया ।

उन्होंने डिटेल्ड आर्ग्यूमेंटस दिए हैं । १२ आदमियों में से १० के ऐतराज आए। हमार कृषि मंत्री कहते हैं कि वे इन्स्पेक्टर्स थे और उनको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियन्स नहीं हो सकता तो इस तर्क का बहुत अच्छा जवाब कमीशन ने दिया है कि क्योंकि असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार की जो बिल्कुल एक ही सबोर्डीनेट पोस्ट है, वह इन्स्पेक्टर है, इसलिए उस पोस्ट पर जो काम करता है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस माना जाना चाहिए । मैं चुनौती देकर इस सरकार को कहता हूं कि अभी भी जिन व्यक्तियों की नियुक्ति कमीशन की इस रिकमंडेशन के विथ्ड्रा करने के बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पर की है, उनमें से बहुत इन्स्पेक्टर्स हैं । कमीशन की रिकमंडेशन्स में इस तरह का फ्लॉ है और इसलिए ४ साल तक एक बात को नहीं मानना और उसके बाद यह कहना कि रिकमन्डेशन्स विथ्ड्रा की तो मैं सरकार पर चार्ज लगाना चाहता हूं और माननीय कृषि मंत्रीजी पर भी जो १।। साल पहले सहकारी मंत्री थे, उन्होंने जानबूझकर ३ व्यक्तियों को नाजायज फायदा पहुंचाने के लिए उनके रिकमंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया । मैं पूछना चाहूंगा कि इन्टीग्रेटेड लिस्ट बनने के बाद आपने सहकारी विभाग में दो व्यक्तियों का कन्फरमेशन किया । और ८४ व्यक्तियों का कोई कन्फरमेशन या फिक्सेशन नहीं किया उसका क्या कारण है ? आप कहते हैं कि रूल्स बनाने में देरी लगी क्योंकि २२ स्टेट्स थी, राजस्थान बना, बहुत सी दिक्कतें आयीं इत्यादि । हम मानते हैं । लेकिन आपने जिन तीन व्यक्तियों को अभी भी डिप्टी रजिस्ट्रार की पोस्ट पर बिठा रखा है, आफीशिएटिंग डिप्टी रजिस्ट्रार की पोस्ट पर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इशारा काफी है, उनके बारे में पूछना चाहता हूं कि जब कमीशन ने उनको असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट पर कन्फर्म नहीं किया और रिजेक्ट कर दिया और चिट्ठियां उनको मिल गई, तो सरकार को क्या अधिकार था आफीशियेटिंग बनाकर बाद में कन्फर्म करना ? इसलिए सिर्फ रूल्स की दुहाई देना, और स्पेसीफिक इन्स्टान्सेज को उड़ा देना, इन सारी बातों को विरोधी दलों के लोग जानते हैं। आपको इन स्पेसीफिक इन्स्टान्सेज का जवाब देना पड़ेगा और यदि जवाब नही है तो स्पष्ट रूप से प्रशासन में भाई-भतीजावाद है और भ्रष्टाचार भी उसके जरिये होता है ।

दूसरा उदाहरण में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का देता हूं। आपने एक.

( श्री मानिक चन्द सुराणा )

यू०डी०सी० को ऑफिसर ओन स्पेशल ड्यूटी बनाया, लेकिन कमीशन ने उस पर ऐतराज किया कि आप यू. डी. सी. को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नहीं बना सकते और आपने जो कुछ किया है वह गलत है। आपने उनकी राय मानली ? आपने उसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का असिस्टेंट डाइरेक्टर बना लिया और आज तक बना हुआ बैठा है। जब कमीशन ने कहा कि आप इसके लिये एडवर्टाइजमेंट के लिए नोटीफिकेशन भेजिए तो आपने नोटिफिकेशन भी भेज दिया और असिस्टेंट डाइरेक्टर की पोस्ट पर नियुक्ति भी कर दी, उसका नाम मिस्टर अग्रवाल है। वह अभी भी उस पद पर कायम है। मैंने एक गजट नोटीफिकेशन भी देखा कि अब उसका डेजिग्नेशन असिस्टेन्ट डाइरेक्टर न हो कर डिप्टी डाइरेक्टर होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक यू०डी०सी० पहले ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बना, फिर असिस्टेंट डाइरेक्टर बनाया और फिर नोटीफिकेशन करवाया कि वह डिप्टी डाइरेक्टर के पद पर काम करे। फिर भी सरकार कहे कि हम बिलकुल निष्पक्षता से काम कर रहे हैं, नियमों के अनुसार करते हैं, तो ये तथ्य निष्पक्षता के प्रतीक नहीं हैं और यदि इस तरह की फेवर करना चाहते हैं तो यह निश्चित बात है कि जो दूसरों के हक मारे जायेंगे और जिन प्रशासनिक अधिकारियों के हक मारे जायेंगे उनमें जलन पैदा होगी। फिर वह जलन मिटाने के लिए हो सकता है कि मंत्री को खुश करने की कोशिश करें और उसके दौरान में कई तरह के भ्रष्टाचार, गैर कानूनी बातें और अनियमितताएं करेंगे।

(समय–समाप्ति–सूचक-घंटी)

अभी माननीय कृषि मंत्री ने कहा कि जो अपेन्डिक्स में ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्ज की २५ की लिस्ट है, उसमें सिर्फ दो-तीन ऐसे मसले हैं जो अभी तक हल नहीं हुए हैं। मैं इस बारे में पूछना चाहूंगा कि जो ऑफिशियेटिंग डिप्टी डायरेक्टर हैं आप उनको कन्फर्म क्यों नहीं करते ? यदि वे उस पद के योग्य नहीं हैं तो उसका कुछ इन्तजाम होना चाहिए। जो स्पेसीफिक तथ्य इस रिपोर्ट में आए हैं, उनसे ऐसा अनुभव होता है कि कमीशन अपने घुटने सरकार के सामने गलत बातों पर भी झुकाती हुई चलती जा रही है। यह इस सदन के लिए एक चिंता का विषय है।

दूसरा उदाहरण इस बात का दूंगा, जहां कमीशन की राय से आपने इतफाक किया है उसका विरोध करता हूं। आपने एक सी. ए. एस. टू को, जिसको आपने डिसमिस किया इस आधार पर कि उसने एक रेप केस में झूठा सर्टीफिकेट दिया, यह अदालत में झूठा पाया गया, उसके बाद डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी के बाद सरकार ने उसे सन् १९६० में डिसमिस किया। क्योंकि पी. एस. सी. ने आपको लिखा इसलिए रीकन्सीडर कर रहे हैं। हो सकता है दुबारा रीअपाइन्टमेंट के आडर्स जारी होंगे। मैं मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा सरकार के पास एक बार डिसमिस करने के बाद कौनसा अधिकार है रीअपोइंटमेन्ट करने का ? यदि डिसिमिसल गलत है तो वह रिट पिटीशन लेकर जा सकता है। बहुत ही कम अधिकारी इस तरह के पकड में आते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ सरकार को जहां कड़ाई से अपने सिद्धान्तों पर खड़ा रहना

( श्री मानिकचन्द सुराणा )

चाहिए वहां तो आप सरेन्डर करते हैं और जहां कमीशन अपने सिद्धांत पर अड़ता है तो वह आपके सामने सरेंडर करता है। मतलब साफ है कि आपका और उनका कोलेबोरेशन बहुत मजबूत होता जा रहा है। ऐसी स्थिति सदन के लिये चिन्ताजनक है।

प्रोमोशन कोटाज के बारे में और दूसरे मसलों का उल्लेख करने के लिए समय नहीं है, लेकिन मैं एक बात अवश्य कहूंगा। मैं एक बात अब आई. ए. एस. ऑफिसरों के लिये कहूंगा; चाहे आई. ए. एस. ऑफिसर्स डाइरेक्ट रीक्रूटमेन्ट से हुए हों, चाहे उनको प्रोमोशन दिया गया हो, उनकी काबलियत के बारे में एक बात अवश्य कहूंगा। आप यह नहीं कह सकते कि डाइरेक्ट रिक्रूटमेन्ट से आई.ए.एस. ऑफिसर होते हैं वे ईमानदार और निष्पक्ष ही होते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि आई.ए.एस. जो डाइरेक्टली एपोइन्ट हो कर आए हैं उनका भी मुझे अनुभव है और जो प्रोमोशन से आई. ए. एस. हुए हैं उनका भी मुझे अनुभव है। इसलिये यह कहना कि डाइरेक्ट रीक्रूटमेन्ट से आने वाले आई. ए. एस. ज्यादा निष्पक्ष होते हैं और जो प्रोमोशन से आते हैं वे ज्यादा पक्षपात करते हैं, यह बात उचित नहीं है। इसलिए इस तरह का सर्टीफिकेट जारी नहीं किया जा सकता कि डाइरेक्ट रिक्रूटमेन्ट वाले ज्यादा निष्पक्ष होते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आज आई.ए.एस. वाले क्यों राजस्थान में आना चाहते हैं। वे इसलिये आना चाहते हैं कि यहां पर जितने कलेक्टर्स होते हैं वे आई. ए.एस. होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मद्रास में और यू.पी. में जितने आई.ए.एस. हैं वे भी आई.ए.एस. होते हैं और वे वहां पर काम करते रहते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता कलेक्टर बनने का। लेकिन राजस्थान की अजीब स्थिति है। कोई भी आई.ए.एस. पांच वर्ष तक काम करता रहे तो उसको कलेक्टर बनाये। आप मद्रास में देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि वहां पर वे १५ वर्ष तक काम करते रहते हैं फिर भी उनको कलेक्टर का चान्स नहीं आता। यही कारण है कि बाहर से लोग यहां आना पसन्द करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

इसलिये यह कहना ठीक नहीं कि डाइरेक्ट रीक्रूटमेन्ट वाले निष्पक्ष होते हैं और उनके लिये ब्लेंक चेक और सर्टीफिकेट निष्पक्षता का नहीं दिया जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मंत्री।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) माननीय उपाध्यक्ष, आज इस सदन में पब्लिक सर्विस कमीशन की दो रिपोर्टों पर वाद-विवाद हुआ। एक तो माननीय सदस्यों ने यह कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट अभी तक १९६१-६२ तक की हमारे सामने प्रस्तुत हुई है, लेकिन १९६२-६३ की रिपोर्ट भी अभी तक हमारे सामने प्रस्तुत हो जानी चाहिये थी। मैं समझता हूं कि शायद माननीय सदस्य की जानकारी में होगा कि इस वक्त तक कोई स्टेट और दूसरी जगह वे जा कर देखें तो मालूम होगा कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने ६१-६२

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
तक की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं। इसके अलावा किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन ने ६२-६३ की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की होगी, जहां तक मेरी जानकारी है।

माननीय उपाध्यक्ष, मैंने सदन में पहले इस बात का विश्वास दिलाया था कि जितना जल्दी हो सके समय पर वह रिपोर्ट प्रस्तुत हो। मुझे इस बात की खुशी है कि सिवाय १९६२-६३ के जो पिछला वर्ष है, उसके अलावा पिछली रिपोर्ट प्रस्तुत हैं। मुझे इस बात को सुन कर आश्चर्य और दुख भी हुआ कि कुछ माननीय सदस्यों ने एक तरफ पब्लिक सर्विस कमीशन ने गवर्नमेन्ट के बारे में इरेगुलेरिटीज़ या उनकी बातों को नहीं मानने की चर्चा की उसको तो उपयुक्त समझता हूं लेकिन साथ ही साथ पब्लिक सर्विस कमीशन पर भी पक्षपात, दबजाने की बातें कही. मैं ऐसा समझता हूं कि राजस्थान में पब्लिक सर्विस कमीशन को सरकार की तरफ से कोई दबाव डालने की बात हो इस प्रकार की कभी चेष्टा नहीं की और उनकी तरफ से भी जो कुछ सुझाव समय समय पर आये उनको जितनी मान्यता दी जानी चाहिये उसके बारे में भी कदम उठाया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कुल ३४ स्टेट सर्विसेज़ हैं। उसमें इस वक्त तक राजस्थान में हम लोग ८ सर्विसेज़ के अलावा बाकी सर्विसेज़ के लिये रूल्स बना चुके हैं और लागू कर चुके हैं और इन ८ के बारे में भी जल्दी से जल्दी रूल्स बना कर प्रकाशित करना चाहते हैं और अगर गवर्नमेन्ट की यह मन्शा होती कि वह अपने पास विशेष अधिकार रख कर चले तो ऐसा नहीं करती। ज्यादा सर्विसेज़ रूल्स लागू कर दिये गये हैं और जो कुछ बाकी हैं उनके लिये भी जल्दी से जल्दी लागू कर दिये जावें। मैं यह चाहूंगा कि सबके लिये रूल्स बहुत जल्दी लागू कर दिये जावें जिससे कोई भी स्टेट सर्विस बगैर रूल्स के नहीं रहे। एक बार जब रूल्स बन जाते हैं और एप्लीकेबल कर लिये जाते हैं, उसके बाद ही पब्लिक सर्विस कमीशन में एडवर्टाइज-मेन्ट किया जाता है। उस वक्त रूल्स बनते हैं उसमें क्वालिफिकेशन आदि सब तय हो जाते हैं। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जो रूल्स बन जाते हैं उसमें क्या क्वालिफिकेशन होती है वह भी प्रेस्क्राइब्ड होती है इसलिये एक एक व्यक्ति के सिलेक्शन के मौके पर नये-नये एडवर्टाइज़मेंट नहीं जाते हैं। यह सर्विस रूल्स का ही पार्ट होता है। अगर कोई विशेष परिस्थितियां हों रिक्रूटमेंट के लिये तो पब्लिक सर्विस कमीशन की कन्सेन्ट के बिना जो रूल्स एक बार बन जाते हैं तो उसमें परिवर्तन की बात होती है, तो वह उनकी कन्सेन्ट से होता है और बिना उनकी राय के परिवर्तन नहीं किया जाता। इससे यह खयाल हो कि रूल्स बना लिये और क्वालिफिकेशन वगैरा समय समय पर जिस तरह सरकार मुनासिब समझे परिवर्तन करे, मैं समझता हूं कि यह कहना वाजिब नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष, इस सदन में टेम्पोरेरी एपोइन्टमेंट के बारे में खास तौर से काफी चर्चा की गई और यह कहा गया कि सरकार जान बूझ कर टेम्पोरेरी एपोइन्टमेंट करती है। और उसमें पक्षपात करती है। जैसे जयपुर से आनेवाले माननीय

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सदस्य ने कहा कि १९५८ में हमने सर्क्युलर निकाला था और स्पष्ट तौर से कहा था कि जो भी टेम्पोरेरी एपोइन्टमेंट किये जावें वे ६ महीनों के लिये किये जावें और एम्प्लोयमेंट एक्सचेन्ज के द्वारा ही वे पोस्टें भरी जानी चाहियें। जहां टेम्पोरेरी एपोइन्टमेंट की आवश्यकत हो। उसके बाद रिपोर्ट बराबर मंगवाई जाती है।

टेम्पोरेरी एपोइन्टमेंट किये ही नहीं जावें, इस बात पर व्यवहारिक दृष्टि से विचार करें तो मैं कहूंगा कि टेम्पोरेरी एपोइन्टमेंट करने पड़ते हैं और शोर्ट टाइम एडवर्टाइजमेंट कराके जैसे शिक्षा विभाग में हैं, मेडिकल में हैं। मैं समझता हूं कि वहां वगैर इसके काम नहीं चल सकता। इसमें कोई पक्षपात और अन्याय की बात नहीं होती है। सब से ज्यादा एज्यूकेशन और मेडिकल डिपार्टमेन्ट में टेम्पोरेरी एपोइन्टमेन्टस करने पड़ते हैं।

१ जनवरी, १९६० से लेकर ३१ दिसम्बर, १९६० तक मुझे जो डिपार्टमेन्ट की जानकारी है उसके अनुसार कह सकता हूं कि २,०३९ टेम्पोरेरी एपोइन्टमेंट्स में से ५०२ एपोइन्टमेंट्स एज्यूकेशन के और मेडिकल के थे और उसके बाद २-४-६२ से ३१-३-६३ तक स्टेट लेवल पर कुल मिला कर ३८५ और सबोर्डिनेट लेवल पर १,०३२ थे। सन् ६० में कुल २,०३९ एपोइन्टमेंट हुए, उनमें से १,४१७ एपोइन्टमेन्ट टेम्पोरेरी थे। ६२-६३ का जिक्र मैं करता हूं तो ४३८ टेम्पोरेरी एपोइन्टमेंटस केवल एज्यूकेशन और मेडिकल डिपार्टमेन्ट में ही हैं। एज्यूकेशन और मेडिकल में यह आवश्यक हो जाता है कि टेम्पोरेरी एपोइन्टमेंट करें क्योंकि स्कूलें खुलती हैं उनमें टीचर्स नहीं भेजें तो दिक्कत पैदा हो जाती है और इस बात को देखते रहें कि पहले ही से सेक्शन हो जावे तो यह बात चल नहीं सकती। यह कहा जाता है कि प्रिवियस ईयर में नाम क्यों नहीं तैयार कर लेते हैं? लेकिन मैं यह कहूंगा कि जिस वर्ष रिजल्ट निकलता है उसमें से जो बेस्ट व्यक्ति होते हैं उनका एपोइन्टमेंट हो सकता है। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो इन लोगों को जो बेस्ट लड़के होते हैं एक साल तक कोई चान्स नहीं रहता। इसलिये यह जरूरी होता है कि जब रिजल्ट आउट होता है और कॉलेजेज़ में सेक्शन्स खुलते हैं तो एपोइन्टमेंट करने पड़ते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष, जहां तक मेडिकल डिपार्टमेंट का सवाल है वहां तो आज हमारी क्लीयर इन्स्ट्रकशन्स हैं कि सी० ए० एस० क्लास टू के लिये किसी को भी रेफरेंस करने की जरूरत नहीं। हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट खुद कर दें। क्योंकि डाक्टर्स की कमी है, बहुत शोर्टेज है। कम्पाउन्डर्स की शोर्टेज है, नर्सेज की शोर्टेज है, डाक्टर्स की शोर्टेज है। इसलिये पहला संकेत है कि टेम्पोरेरी अपोइन्टमेंट कर दें, पर वे परमानेन्ट अपोइन्टमेंट्स ही की तरह हैं क्योंकि इनकी बड़ी शोर्टेज है।

इसी तरह टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में अपोइन्टमेंट्स करने पड़ते हैं। तो हमने टेम्पोरेरी एपोइन्टमेन्ट्स के लिये शर्त रखी है कि टेम्पोरेरी अपोइन्टमेंट के साथ ही साथ अपनी तरफ से पब्लिक सर्विस कमीशन को एडवर्टाइजमेंट के रूप में अपना रिक्वीजिशन भेज दीजिये, नहीं तो पे स्लिप में दिक्कत होगी। अपोइन्टमेंट तो करिये, पर साथ ही

Page No. 104



(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
सा पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफरेंस कर दीजिये । साल भर में या दो साल में पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्शन होता है तब अपोइन्टमेंट किया जाय, इस बात को लेकर तो सरकार नहीं चल सकती । इसलिये टेम्पोरेरी अपोइन्टमेंट्स कर दिये जाते हैं और जब पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्शन हो जाता है तो उस व्यक्ति का एपोइन्टमेंट कर दिया जाता है। तो रेफरेंस नही किया जाता हो, ऐसी बात नहीं है । जल्दी से जल्दी कार्यवाही हो, इस सम्बन्ध में हमारी तरफ से पूरे प्रयत्न किये जा रहे हैं । यह जो पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट सदन में पेश हुई है इसके पेज ६२ पर देखने से यह बात स्पष्ट होगी कि "number of cases in which the reference was late by less than one year" वे हैं २,८३६ और "number of cases in which reference was late by more than a year," ऐसे केसेज ६६ हैं । इस तरह रेफरेन्स को अवोइड करके वर्षों तक चलने की बात को हम खुद नहीं चाहते । हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कार्यवाही हो क्योंकि हम यह भली प्रकार से समझते हैं कि सर्विसज में पर्मानेन्ट सिलेक्शन नहीं होने से कई बातें क्रियेट हो जाती हैं। हम भी यह नहीं चाहते और जिन लोगों का टेम्पोरेरी अपोइन्टमेन्ट किया जाता है वे लोग भी नहीं चाहते । बाद में जाकर उनका अपोइन्टमेंट होगा या नहीं होगा, यह खतरा उन्हें हो जाता है इसलिये जो आदमी टेम्पोरेरीली अपोइन्ट होता है वह भी नहीं चाहता कि मामला ड्रेग ओन होता जाय, और न हम ही चाहते हैं । पर कुछ बातें हो सकती हैं कि जिनके कारण हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट्स को ऐसा करने के लिये बाध्य होना पड़ता है ।

आर०ए०एस० का कोई टेम्पोरेरी अपोइंटमेंट नहीं होता, टेम्पोरेरीली फ्रेश सिलेक्शन आर० पी० एस०, आर० ए० एस० में नहीं हो सकता । इन स्टेट सर्विसेज के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्शन होने के बाद ही इन पोस्ट्स पर कोई लग सकता है । दूसरी केटेगरीज मैंने बताई और डिपार्टमेंट्स में जो चीजें उनके सामने आती हैं वे मैंने रखीं । सबोर्डिनेट सर्विसेज के लिये रूल्स बन गये हैं, जहां नहीं बने हैं उनके लिये भी व्यवस्था कर दी है कि किस प्रकार प्रोमोशन अपोइन्टमेंट्स के बारे में हो ।

जहां तक प्रोमोशन्स का सवाल है, कान्फिडेंशियल रिपोर्ट और अन्य आधारों पर प्रोमोशन किये जाने की जिस प्रकार की रूल्स की व्यवस्था हमने की है वह आवश्यक नहीं है । प्रोमोशन गवर्नमेंट भी कर सकती है, पर हमने व्यवस्था की है कि इसको कन्सीडर करने के लिये प्रोमोशन कमेटी हो जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन के रिप्रेजेन्टेटिव को भी लिया जाय जिससे कि फेयर डील हो सके ।

यह भी कहा गया कि जो एड्वर्स रिमार्क्स होते हैं कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट में वे उनको कॉम्युनिकेट नहीं किये जाते और वे लोग सुपरसीड हो जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक एड्वर्स रिमार्क्स कॅम्युनिकेट करने का सवाल है और प्रोमोशन का सवाल है, ये दोनों अलग बातें हैं । प्रोमोशन के लिये अगर वह व्यक्ति बिलो एवरेज है तो वे रिमार्क्स उसको कॉम्युनिकेट नहीं किये

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जा सकते और न वह प्रोमोट ही होगा। प्रोमोशन के लिये एक ऐसा सिस्टम है कि उसमें केवल एड्वर्स रिमार्कस को ही आधार रखते हों, यह नहीं मानना चाहिये। प्रोमोशन के लिये एड्वर्स रिमार्क्स के अलावा सीनियोरिटी, मेरिट्स आदि सभी बातों को आधार माना जाता है।

एक बात यह कही गई कि एज्यूकेशन डिपार्टमेन्ट में मेरिट्स की बात को स्वीकार किया जाय। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि व्यक्तिशः मैं स्वयं इस चीज को मानने वाला हूं कि न सिर्फ एज्यूकेशन सर्विसेज के लिये बल्कि और और सर्विसेज के लिये भी सिर्फ सीनियोरिटी ही आधार नहीं होनी चाहिये, मेरिट्स को आधार मानना चाहिये। मैं इस बात को मानने वालों में हूं। इस बात को मानने के बाद जो झिझक पैदा होती है वह यह है कि इस सदन में और दूसरी जगह यह चर्चा हो सकती है कि फलां व्यक्ति को सीनियर होते हुए भी क्यों सुपरसीड किया गया ? तो इसका खयाल रखते हुए चलना पड़ेगा। आखिर कौन निर्णायक हो, यह अधिकार किसको दिया जाय और किसको नहीं दिया जाय। इसलिये घूम-फिर कर सीनियोरिटी कम मेरिट की बात को स्वीकार करके चलने की बात आती है। बहुत से आदमी आउटस्टेन्डिंग केपेबिलिटी के हैं, उनमें उत्साह हो सकता है पर इन सारी बातों को निश्चित रूप से सोच कर, मान कर, ही चलना होगा। एज्यूकेशन डिपार्टमेन्ट के लिये जो ओर्डिनरी पोस्ट्स हैं उनके लिये यह रखा है पर जो बड़ी सर्विसेज हैं, उनमें यह रखा है कि जो डाक्टरेट लिये हुए हों, रिसर्च किये हुए हों उन्हें चान्स दिया जाय। पर यह एक पेचीदा सवाल है जिसमें सिद्धान्ततः सभी कहने को तैयार होंगे कि मेरिट आधार होना चाहिये, पर जिसका सुपरसेशन हो जायगा व कहेगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। इसलिये सीनियोरिटी-कम-मेरिट की बात को राजस्थान में आधार मान कर प्रोमोशन्स देने की कार्यवाही की जाती है।

यह जिक्र भी किया गया कि असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार पब्लिक सर्विस कमीशन ने भेजे उसके बाद राजस्थान सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन की लिस्ट को न मान कर बहुत ज्यादती की। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब से पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से वह लिस्ट सामने आई, पब्लिक सर्विस कमीशन के नोटिस में बार २ इस बात को लाया गया कि जो लिस्ट अपनी तरफ से बना कर भेजी है उसमें जो क्राइटेरिया बनाया गया था क्वालिफिकेशन्स का मेन्शन किया गया था, उसकी अवहेलना हुई है। एक इन्स्टान्स कृषि मंत्रीजी ने दिया। ऑडिट डिपार्टमेंट का एक्स्पीरियेन्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियन्स नहीं माना जा सकता। इस बात को पब्लिक सर्विस कमीशन को कहा और इस को पब्लिक सर्विस कमीशन ने स्वीकार किया और बाद में उस लिस्ट को विथड्रा करने की बात आई तो कहा गया कि सारी बात पर नये सिरे से ही विचार कर लिया जाय और उन्होंने उस लिस्ट को विथड्रो कर लिया।

इसलिए हमने आपसे कहा कि उन्होंने जो कुछ कहा, बता दें उसमें स्टेट गवर्नमेन्ट को पब्लिक सर्विस कमीशन को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : On a point of information, Sir.......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दूसरी तरफ यह कहा गया कि एक डाक्टर के बारे में पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा...

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात कहूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं अपनी बात खत्म कर लूं। I hope I will not be interrupted by anybody.

तो मैं यह निवेदन करना चाहता था कि जो सरकार की ओर से बात थी, जो भी सरकार की ओर से दृष्टिकोण था वह पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने रखा गया। जब पब्लिक सर्विस कमीशन ने उस लिस्ट को विथड्रा करने की बात कही, आगे उस पोस्ट का कैसे सिलेक्शन हो, क्या रूल्स हो, वह पब्लिक सर्विस कमीशन की कन्सेन्ट से होने वाला है, उसको इग्नोर करके आज हम इन लोगों को अगर कन्फर्म कर देते, डिप्टी रजिस्ट्रार या असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार की जगह पर, तब तो कहा जा सकता था कि पब्लिक सर्विस कमीशन की ओपिनियन को इग्नोर करके अपनी तरफ से इन लोगों को अपोइन्ट करके कन्फर्म कर दिया। वे कन्फर्म नहीं किये गये। पब्लिक सर्विस कमीशन से फाइनली सिलेक्शन होने के बाद जो पोजिशन होगी वह अन्तिम निर्णय इस सम्बन्ध में होगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या आप यह कह सकते हैं कि दस व्यक्तियों के लिए जिनके बारे में ऐतराज किया गया है क्या वे ऑडिट इन्स्पेक्टर थे सब ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सबकी बात नहीं कहता।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ऑडिट के लिए ऐतराज था। दस में से यदि दो के लिए ऐतराज हो तो क्या सारी की सारी लिस्ट रिजेक्ट की जा सकती है ? किस प्रकार से रिजेक्ट की जा सकती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो भी हमारा दृष्टिकोण था वह हमने पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने डिटेल्स में रखा और उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन ने विथड्रा करने का फैसला लिया। वह पब्लिक सर्विस कमीशन का फैसला है। दृष्टिकोण रखने का गवर्नमेंट को अधिकार है, अपनी ओर से रख सकते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन का अपना अधिकार है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : हिन्दुस्तान में क्या और किसी पब्लिक सर्विस कमीशन ने किसी केस में अपनी लिस्ट को विथड्रा किया है। उदाहरण बता दीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: हिन्दुस्तान के सारे एग्जाम्पल्स को लेकर नहीं आया हूँ कि मैं आपको दे सकूं कि कहां २ हिन्दुस्तान में क्या हुआ है, लेकिन जो कुछ भी किया गया है within the four corners of the law किया गया है, न अवहेलना की बात आती है और न प्रेशर की बात आती है। प्रेशर वाली बात का प्रश्न सामने आता नहीं।

उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हजारों आदमियों के अपोइन्टमेंट्स आदि के सवाल आते हैं, इरेगुलेरिटी व दूसरी चीजें रिपोर्ट में दी हैं और इन सारी चीजों के बेकग्राउन्ड में हजारों लोगों का

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

जो प्रश्न जुड़ा हुआ है उसको देखेंगे तो कई ऐतराजात को मीट कर लिया गया है और मीट करने के दायरे में या तो कई लोगों को वहां से हटा दिया गया है या पब्लिक सर्विस कमीशन ने बाद में उसको मान लिया है इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल किया गया। यह कहना गलत है कि पब्लिक सर्विस कमीशन को बात नहीं मानी जाती हो या बड़ी भारी इरेंगुलेरिटी हो रही हो। जितने केसेज़ इसमें दिये गये हैं, उनको इस बेकग्राउन्ड में देखें और हिन्दुस्तान की व और जगह को रिपोर्ट को देखेंगे तो कुछ केसेज़ नोटिस में आ सकते हैं, वक्त वक्त पर बातें जो हमारे सामने आती हैं, उन पर कार्यवाही होती है। जैसा मैंने कहा, सन् १९५८ में इन्स्ट्रक्शन्स दिये और लेटेस्ट दिये पे बिल के बारे में। हमने कहा रेफरेन्स तुरंत भेज दें जिससे पे के बारे में झगड़ा न पड़े क्योंकि कई सवाल आ जाते हैं, रेफरेन्स नहीं किया तनख्वाह रोक दी जाती है और बातें सामने आती हैं, इसलिए इन चीजों को, हमने कहा, पूरी तरह से देखना चाहिये। जिन हैड्स ऑफ डिपार्टमेन्ट्स ने रूल्स का पालन नहीं किया, एक्सप्लेनेशन कॉल किया। हम चाहते हैं कि इन चीजों को रोका जाना चाहिये। रूल्स और इन्स्ट्रक्शन्स हैं उनके विपरीत कोई बात नहीं होनी चाहिये। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां तक सरकार का प्रश्न है हम इन चीजों को तरजीह नहीं देना चाहते, रूल्स के अगेन्स्ट में हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट या और कोई व्यक्ति अपने अधिकार को काम में लेकर उनका दुरुपयोग करे तो हम उसको गलत मानते हैं। रिलेक्सेशन रूल्स का किया है। शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के अपोइन्टमेन्ट और दूसरी चीजों में दिक्कतें आती हैं तो उनमें रिलेक्सेशन की बात आई है। मेडिकल डिपार्टमेन्ट में टेम्पोरेरी अपोइन्टमेन्ट की बात पैदा हुई, आपने सेटलमेन्ट के बारे में कहा। सरप्लस हैड्स को अपनी २ पोस्ट पर इक्वेट करने के बजाय लोअर पोस्ट्स पर जाना पड़ा है। जिन पोस्ट्स पर भेजना हुआ तो मिनिमम उस पोस्ट की क्वालिफिकेशन को फुलफिल करना होगा। अगर फुलफिल नहीं करते हैं तो उस जगह अपाइन्टमेन्ट्स करने में दिक्कतें आती हैं। सेटलमेन्ट विभाग की दिक्कतें आयी और हम उस पर विचार करें किस प्रकार से उन लोगों को क्षति पहुंचाये बिना सेट राइट कर सकते हैं सेटलमेन्ट पार्टी बढ़ा कर, उसके लिये सरकार विचार कर रही है। किसी को जानबूझ कर नुकसान पहुंचाने को बात कही गई, तो ऐसी बात नहीं है। इतने सरप्लस स्टाफ को एबज़ोर्ब करने की बात के लिए भी कमेटी के सामने भी लीस्ट भेजना, उसके द्वारा उसके, एबज़ोर्ब करना, कई प्रकार की मुश्किलें आती हैं।

रीएम्प्लोयमेन्ट के बारे में इस सदन में कहा गया कि यह सरकार चाहे जिसको रीएम्प्लोय करती है और पक्षपात और न जाने क्या क्या बातें कही गई। एक आई० ए० एस० अधिकारी के रीएम्प्लोयमेन्ट के बारे में, और मैं समझता हूं वह श्री गोरधनसिंह मेहता की तरफ है, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य का संकेत था। जब राजस्थान कोलोनाइजेशन का काम शुरू हुआ तो उस समय भारत सरकार, पंजाब सरकार और दूसरों से पोलीसीज और दूसरा कई मेटर्स में बात करने का सवाल था। इन सब के लिए ऐसे व्यक्ति की

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
आवश्यकता थी जो कि संटलमेन्ट के मामले में विशेष जानकारी रखने वाला हो। तो श्री गोरधनसिंह मेहता संटलमेन्ट के मामलों में सबसे ज्यादा जानकारी रखने वाले व्यक्तियों में से एक थे। उनके साथ आज इस समय जो वहां इस इलाके में कमीश्नर हैं उनको असिस्टेन्ट करके रखा। उनको रियाटर करके आज उनकी जगह वे सर्वे ऑफिसर का काम कर रहे हैं। कोई रिटायर्ड अधिकारी को वहां नहीं लिया गया।

ज्युडिशियरी में से कुछ लगाने की बात आयी। कुछ पोस्टें तो ऐसी हैं जिनको ज्युडिशियरी का लीगल अनुभव हो उन व्यक्तियों को उन पर लगाने की बात आती है और इस कारण से कुछ लोगों को रीएम्प्लोयमेन्ट दिया गया। किसी ज्युडिशियल ऑफिसर को, यह पहले से फैसला कर लिया गया हो कि उसको वहां लगा देंगे, यहां लगा देंगे, इस प्रकार की कोई बात नहीं की गई। फिर भी इससे किसी प्रकार की भ्रान्तियां पैदा हो कि हम ज्युडिशियल लोगों की-कुछ पोस्टें ऐसी होंगी, जिन पोस्टों के बारे में यहां के जो ज्युडिशियल सर्विस मे काम कर चुके हैं, वे उन पोस्ट्स पर अपोइन्ट हो सकते हैं तो उसके लिये आज कह कर नहीं चल सकते। जहां पर ये कन्डीशन्स हों, जहां तक हो पायगा यह सरकार उसको अवोइड करके चलेगी जिससे भ्रान्ति फैलाने की कोशिश न हो। जहां तक ज्युडिशियरी में काम करने वालो को प्रलोभन देने की बात है, अथवा उनको अपोइन्टमेन्ट देने की बात कही गई है, तो उपाध्यक्षजी, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि आज दिन तक भी कभी ऐसा नहीं किया गया है। फिर भी भ्रान्ति फैलाने की गुन्जाइश रह सकती है, 'फैलने' की बजाय मैं 'फैलाने' शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, वह न रहे। उसको ट्रीट करने के लिये अपनी ओर से प्रयत्न होना चाहिये और इस दृष्टि से कहा कि हम उसके ऊपर पूरा ध्यान रख कर चलेंगे।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं समझता हूं, जो रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी तरफ से कहा कि कलेक्टर गंगानगर को कांग्रेस के लोगबागों का सपोर्ट करने के लिहाज से रखा गया है, दूसरे लोगों की बातें सुनकर वे चलना नहीं चाहते हैं। इसके विपरीत मैं यह कह सकता हूं कि दूसरे लोग उनको दबाना चाहते हैं वे दबकर नहीं चलना चाहते हैं। जो खामी है उसकी तरफ आप हमारा ध्यान दिलाइये, हम उसको मानने के लिये तैयार हैं लेकिन किसी के लिये कुछ बातें कहें इसके विवेचन में मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता। और न मैं किसी को डिफेन्ड करने के लिये ही खड़ा हुआ हूं। मैंने पिछली बार भी कहा था कि चाहे डाइरेक्ट सर्विस से आये हुए लोग हों या स्टेट सर्विस के हों सब राजस्थान सर्विस में हैं। सब समान रूप से अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। इस सर्विसेज् वर्सेज स्टेट सर्विसेज् में मैं कोई भिन्नता नहीं समझता।

श्री श्योपतसिंह: (हनुमानगढ) : उस इलाके के लोगों से पूछिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जिनके लिये यह कहा जाता है कि कांग्रेस के लोगों का पक्ष लेते हैं यह बात ठीक

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
नहीं है। जिस किसी घटना की वजह से कई बातें सामने आती हैं मैं ऐसा समझता हूं कि उनको किसी भी तरीके से कोई इस प्रकार के इन्स्ट्रक्शन्स हों कि अमुक के लिये यह किया जाय, तो इस प्रकार के विचार वाले वे व्यक्ति नहीं हैं। दूसरी बातों से अनुभिज्ञता रखते हों तो मैं नहीं कह सकता।

श्री श्योपतसिंह : आप वहां के लोगों से पूछिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इन सारी चीजों को जब पोलिटिकल कलर देकर आप बात रखते हैं तो मैं उससे डिफर करता हूं, मैं सहमत नही हो सकता। उनको उस इलाके की जानकारी की कमी थी, यह अलग बात है। अगर आप सूचना देते तो हम भी जानकारी करने के लिये तैयार रहेंगे और की भी है। हमने जो जानकारी की है हमारे पास जो रिपोर्ट आई है और की है उनमें फर्क है। ऐसी बात नहीं कि मैं किसी की यहां पर वकालत करके चलता हूं।

श्री श्योपतसिंह : यह बात भी गलत है कि वे किसी की धौंस मान कर चलते हों।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो पब्लिक सर्विस कमीशन हमारे यहां पर इस वक्त में काम कर रहा है, मैं समझता हूं सब इस बात को जानते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बरों के बारे में सदन के अन्दर कुछ चर्चा हुई, बिना सिफारिश के यहां काम नहीं होता है।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन कॉन्स्टीट्यूशन के आधार पर इण्डिपेन्डेन्ट बॉडी के रूप में हुआ है। उसकी प्रतिष्ठा के बारे में हम यदि टीका करते हैं, तो यह ठीक नहीं है। हम उस पर पूरा विश्वास करके चलते हैं। हमारी कुछ कमियों को उन्होंने बताया है तो हमें इस बात को निष्पक्ष दृष्टि से देखना होगा। जहां वह अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं हम उम्मीद करते हैं कि जडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशन और दूसरे इण्डिपेन्डेन्ट विभाग जो कॉन्स्टीट्यूशन के अन्तर्गत निर्माण किये हुए हैं उनके बारे में आरोप-प्रत्यारोप करते हैं तो यह उचित नहीं होगा, हमें इनके बारे में काफी रेस्ट्रेन रखकर बातें करनी चाहिये।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, जो बातें कही गई हैं उनकी एक एक बात में पड़ना नहीं चाहता। कुछ अभी आपने बताया कुछ केसेज के बारे में, इसके साथ मेमोरेन्डम दिया गया है उसमें बताया गया है। पिछली रिपोर्ट्स के बाद जो कुछ खामिया बतायी थी उनको ठीक करने के आदेश दिये जा चुके हैं। आगे भी इस बारे में आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल दिनांक ३ सितम्बर के २॥ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ८-५ बजे दिनांक ३ सितम्बर, १९६३ के म. प. २-३० बजे तक के लिये स्थगित हुई)

## संक्षिप्त विवरण

(सोमवार, दिनांक २ सितम्बर, १६६३)

### तारांकित प्रश्नों के शीर्षक

मिडिल स्कूल की मांग—ग्राम केली, तहसील निम्बाहेड़ा।

पाली जिले में बांटे गये बीज की वसूली।

डाक्टरी व इन्जीनियरिंग की शिक्षा।

हस्त उद्योग एम्पोरियम।

तहसील चाकसू के ग्राम कोटखावदा में भूमि का अलॉटमेन्ट।

राजस्थान स्माल इन्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन

सूरतगढ़ व जैतसर फार्म्स।

पंचायत समितियों के ट्रेन्ड अध्यापकों की ग्रेड।

ग्राम देबारी, तहसील गिरवा के देवड़ा राजपूतों को जमीन।

तहसील हुडी के गांव।

राजस्थान स्टेट होटल के टैक्सी स्टेन्ड का उपयोग।

कुओं में मशीन लगाने हेतु धन-राशि—ग्राम बोरावड़, तहसील परबतसर।

राजियावास में हायर सेकेन्डरी स्कूल की मांग।

ट्राइबल ब्लाक—पंचायत समिति, सीमलवाड़ा।

मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स, भीलवाड़ा।

हनुमानगढ़ जंक्शन में छात्राओं के लिए स्कूल की व्यवस्था।

परिगणित जाति के भूतपूर्व सैनिकों को गंगानगर के नहरी क्षेत्र में भूमि का अलाटमेन्ट।

भारत सरकार द्वारा छात्र-वृत्ति।

प्राथमिक पाठशालाओं के प्रधानाध्यापकों को अलाउन्स।

पलाना कोलरी में अन्डर ग्राउन्ड माईनिंग।

गांव तेहरिया, तहसील रूपावास में मिडिल स्कूल।

मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी रायसिंहनगर द्वारा गेहूं के बीज का वितरण।

सरकार द्वारा नमक की खरीद तथा बिक्री।

रायल्टी से आमदनी व प्रशासन पर व्यय—माइनिंग विभाग।

ग्राम चांदोली, तहसील अलवर में मिडिल स्कूल।

शिक्षा विभाग से पंचायत समितियों में आये कर्मचारियों को नई ग्रेड।

राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के डिप्लोमा को मान्यता।

घासमारी की वसूली-ग्राम बरजन, तहसील नावां।

पंचायत समिति निम्बाहेड़ा की जीप पर खर्चा।

बनेड़ा तहसील।

स्थगित प्रश्न

[ २६–८–६३ ]

पंचायत समितियों में सिंचाई के कुओं के लिये ऋण एवं अनुदान-जिला बांसवाड़ा

स्थगित प्रश्न

[२६–८–६३]

तेल निकालने का स्पेलर।

२. अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना।

पलाना खान में काम बन्द करने से ५०० मजदूर रोजी से महरूम हो जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर श्री मुरलीधर व्यास ने प्रक्रिया संचालन संबंधी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत, मंत्री, राजकीय औद्योगिक व खनिज संस्थान (एन्टरप्राइजेज) का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नाथूराम मिर्धा, मंत्री, राजकीय औद्योगिक व खनिज संस्थान (एन्टरप्राइजेज) ने इस संबंध में एक संक्षिप्त वक्तव्य दिया।

३. राजस्थान जन-सेवा आयोग के प्रतिवेदनों पर विचार।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री ने निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया:–

"राजस्थान जन-सेवा आयोग के ग्यारहवें तथा बारहवें प्रतिवेदनों पर जिनकी प्रतियां दिनांक ८ मार्च, १९६३ को सदन की मेज पर रखी गई थीं, विचार किया जाये।"

बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:–

(१) श्री भैरोंसिंह
(२) श्री दुर्गालाल बादवार
(३) श्री केदारनाथ
(४) श्री मुरलीधर व्यास
(५) श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा
(६) श्री ज्वाला प्रसाद
(७) श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मंत्री
(८) श्री मानिकचन्द सुराना

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री ने बहस का उत्तर दिया ।

४. राजस्थान पुलिस (अनिष्ठा हेतु अभिप्रेरण) विधेयक, १९६३

[ The Rajasthan Police (Incitement to Disaffection) Bill, 1963 ]

उपरोक्त विधेयक पर प्रवर समिति के सदस्यों के नाम घोषित किये गये जो इस प्रकार हैं :

(१) श्री मथुरादास माथुर—सभापति
(२) श्री भीमसिंह सदस्य
(३) श्री मथुरेश बिहारी माथुर ,,
(४) श्री मानसिंह महार ,,
(५) श्री गणपतिलाल वर्मा ,,
(६) श्री झुझारसिंह ,,
(७) श्री जयकृष्ण शर्मा ,,
(८) श्री भैरोंसिंह ,,
(९) श्री मुरलीधर व्यास ,,
(१०) श्री रामकिशन ,,
(११) श्री केदारनाथ ,,
(१२) श्री जेठमल सदस्य
(१३) श्री फूलचन्द ,,
(१४) श्री देवी लाल ,,
(१५) श्रीमती नगेन्द्रबाला ,,

प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करेगी ।

सदन की बैठक रात्रि के आठ बजकर ५ मिनट पर मंगलवार दिनांक ३ सितम्बर, १९६३ को दिन के २.३० बजे तक के लिये स्थगित की गई ।

मंगलवार, दिनांक ३ सितम्बर, १९६३ की कार्य सूची

१. राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (डिक्लेरेशन ऑफ कृषि निपुण) नियम, १९६१ पर प्रस्तुत संशोधनों पर विचार ।

२. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के नवें व दसवें प्रतिवेदनों पर विचार ।

# परिशिष्ट १

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३६५ का उत्तर देखिये )

ग्राम कोटखावदा तहसील चाकसू

| क्र० सं० | नाम आसामी | पिता का नाम | जाति | रकबा जो अलाट हुआ | | पिता के नाम खातेदारी में रकबा | | सन् | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | बी | वि. | | | | |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | | ६ | | ७ | ८ |
| १. | प्रभाता | मुन्ना | खटीक | ७ | १३ | -- | -- | १९५९ | |
| २. | पांचू | काना | माली | १५ | -- | -- | — | ,, | |
| ३. | लक्ष्मीनारायण | मन्ना | चमार | १० | ७ | — | — | ,, | |
| ४. | रेवड़िया | भौरिया | खटीक | ६ | ४ | — | — | ,, | |
| ५. | प्रभाता | गनेश | ,, | १० | — | २ | ६ | ,, | |
| ६. | | नानगा | ,, | ६ | १६ | — | — | ,, | |
| ७. | कन्हैयालाल | पांचू | चमार | १० | — | २ | १२ | ,, | |
| ८. | प्रभाता | नानगा | ,, | १० | — | — | — | ,, | |
| ९. | नाथू | चन्दा | नाई | १० | — | — | — | ,, | |
| १०. | मूलचंद | नानगा | चमार | १७ | १० | — | -- | ,, | |
| ११. | मूल्या | गणेश | माली | — | — | — | — | ,, | |
| १२. | भैरु | गणेश | धानका | १० | — | — | — | ,, | |
| १३. | पूनमचन्द | ,, | खटीक | १० | -- | २ | १६ | ,, | |
| १४. | हट्टू | ,, | ,, | १० | -- | २ | १६ | ,, | |
| १५. | भैरूलाल | जमनालाल | ब्रा० | १२ | ६ | — | -- | ,, | |
| १६. | मन्ना | गणेश | खटीक | १० | — | २ | १६ | ,, | |
| १७. | जगनलाल | प्रमादी | नट | ७ | १३ | ८ | ४ | ,, | |
| १८. | भौरीया | आन्या | नाई | १४ | ४ | — | — | ,, | |
| १९. | गोपाल | मूलचन्द | खटीक | ७ | १६ | — | — | ,, | |
| २०. | कपूरचंद | हजारीलाल | जैन | १० | १६ | — | — | ,, | |
| २१. | मूलचन्द | रामला | खटीक | १० | ६ | — | — | ,, | |
| २२. | केसरा | भौरीलाल | ब्रा० | १० | ११ | — | -- | ,, | |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | | ६ | | ७ | ८ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २३. | ईसरा | इन्द्रा | मीणा | ११ | १४ | — | — | १६५६ | |
| २४. | मदनलाल | गेंदीलाल | ब्रा० | ७ | १२ | ११ | — | ,, | |
| २५. | गुलाबचन्द | पांचू | चमार | १२ | १० | ५ | ५ | ,, | |
| २६. | रामनाथ | गणेश | बलाई | १२ | — | ३ | — | ,, | |
| २७. | रामनाथ | रामकिशोर | चमार | ११ | ११ | — | — | १६६० | |
| २८. | गोपी | जमनालाल | बलाई | १५ | — | — | — | ,, | |
| २९. | मूलचन्द | बिहारीलाल | ब्रा० | ११ | — | — | — | ,, | |
| ३०. | मांग्या | नानगा | खुमार | १५ | — | — | — | ,, | |
| ३१. | बदरी | भौरीलाल | ब्रा० | ११ | — | — | — | ,, | |
| ३२. | मूलचंद | पन्नालाल | चमार | ५ | ३ | — | — | ,, | |
| ३३. | तोताराम | पांचूराम | चमार | १४ | १७ | ५ | १२ | ,, | |
| ३४. | दयालाभारती | नानगाभारती | चमार | ८ | ५ | ४ | २ | ,, | |
| ३५. | हाबुड़ा | नाराण | चमार | ८ | १७ | — | — | ,, | |
| ३६. | कालू | ग्यारसा | कुम्हार | ३ | ६ | — | — | ,, | |
| ३७. | दौलतमल | द्वारका | सिंधी | १३ | — | — | — | ,, | |
| ३८. | ओंकार | बिरधा | भांबी | ५ | — | — | — | ,, | |
| ३९. | रणजीता | भौरिया | चमार | १७७ | १० | — | — | ,, | इसके भाई के नाम ६ बी० १२ बि० जमीन है |
| ४०. | धन्ना | लच्छा | ,, (कृषि सहकारी समिति के नाम है) | — | — | — | — | ,, | |
| ४१. | महादेव | धन्ना | ,, | — | — | — | — | ,, | |
| ४२. | गोविन्दा | बुवा | ,, | — | — | — | — | ,, | |
| ४३. | मूल्या | गोविन्दा | ,, | — | — | — | — | ,, | |
| ४४. | मूल्या | उदा | ,, | — | — | — | — | ,, | |
| ४५. | प्रभात्या | भौरिया | ,, | — | — | — | — | ,, | |
| ४६. | कल्याण | हरबक्ष | ,, | — | — | — | — | ,, | |
| ४७. | मोती | मूल्या | ,, | — | — | — | — | ,, | |
| ४८. | रामनारायण | चेता | ,, | — | — | २ | १८ | ,, | |
| ४९. | लाडा | नानगा | ,, | — | — | — | — | ,, | |
| ५०. | अमरदा | मूंथा | नट | १० | — | — | — | ,, | |
| ५१. | नाथू | चन्द्रा | धोबी | ५ | — | — | — | ,, | |
| ५२. | छीतर | छाजु | चमार | ४ | १० | — | — | १६६१ | |
| ५३. | पूनमचन्द | गंगाराम | चमार | ४ | १६ | — | — | ,, | |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ५४. | श्रीराम | रामदेव | चमार | ४ १९ | ४ १२ | १९६१ | पहले से खुद के नाम हैं |
| ५५. | प्रभाता | चून्या | रेगर | ७ १६ | ६ ११ | ,, | ,, |
| ५६. | छीतर | भुवाना | रेगर | ४ – | १ १२ | ,, | ,, |
| ५७. | हरीनारायण | नानगा | खटीक | ५ १८ | – – | ,, | |
| ५८. | भोलाराम | रेवड़ | खटीक | ५ १८ | – – | ,, | |
| ५९. | बरदा | नानगा | चमार | ५ १५ | – – | ,, | |
| ६०. | रामसहाय | पांचू | चमार | ४ ४ | ५ १२ | ,, | |
| ६१. | गणपतलाल | सुखपाल | चमार | ३ ६ | – – | ,, | |
| ६२. | नारायण | नोन्दा | माली | १५ – | – – | ,, | इसके पिता के नाम खातेदारी नं. २३ का जो छोटू लुहार |
| ६३. | राधेश्याम | भूरनमल | ब्रा० | ४ १२ | – – | ,, | |
| ६४. | कालू | ग्यारसा | खुमार | ४ ९ | – – | ,, | |

## प्रश्न संख्या ५९९ (ख)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| १. | प्रभाता | गणेश | १० – | २ १६ | पांचू के ४ लड़के हैं जिनको अलग २ जमीनें अलाट हुई हैं |
| २. | कन्हैयालाल | पाचू | १० – | ५ १२ | |
| ३. | गुलाबचन्द | ,, | १२ १० | ५ १२ | |
| ४. | तोता | ,, | १४ १७ | ५ १२ | पांचू के ५ बी० १२वि० जमीन हैं |
| ५. | रामसहाय | ,, | ४ ४ | ५ १२ | |
| ६. | रामनारायण | चेता | – – | ३ १८ | सहकारी समिति का सदस्य हैं |
| ७. | मदनलाल | गेंदीलाल | ७ १२ | ११ – | |
| ८. | दयाल भारती | नानगा | ८ ५ | ४ २ | |
| ९. | प्रभात्या | चून्या | ७ १६ | – – | खुद के नाम पहले ६बी. ११वि. थी |
| १०. | छीतर | भुवाना | ४ – | – – | खुद के नाम १ बी० १२ बि० |
| ११. | पूनमचन्द | गणेश | १० – | २ १६ | |
| १२. | हट्टू | ,, | १० – | २ १६ | |
| १३. | मन्ना | ,, | १० – | २ १६ | |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १४. | जगनलाल | प्रमादी | ७ | १३ | ८ | ४ | |
| १५. | श्रीराम | रामदेव | ४ | १६ | – | – | खुद के नाम ४ बी. १२ वि. है |
| १६. | रामनाथ | गणेश | १२ | – | ३ | – | |
| १७. | केसरा | भौरीलाल | १० | ११ | – | – | बेटे के नाम १६ बी. १० वि. है |
| १८. | नारायण | नोन्दा | १५ | – | – | – | नोन्दा के नाम खातेदारी में २ बी० १० वि० जमीन थी वह छोटू अहीर को बेच दी गई। |

## परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३७८ का उत्तर देखिये)

सरकारी नियंत्रण में आने से पूर्व मजदूरों के वेतन आदि की सुविधाओं का विवरण :—

मूल वेतन : २६ रुपये प्रति माह

मंहगाई भत्ता : ३० रुपये प्रति माह

सरकारी नियंत्रण में आने के बाद मजदूरों के वेतन आदि की सुविधाओं का विवरण :—

१-१२-६० से मूल वेतन : २६+६=३२ रुपये प्रति माह

१-१-६२ से मूल वेतन : ३२+२=३४ रुपये प्रति माह

१-२-६१ से मंहगाई भत्ता : ३०+५=३५ रुपये प्रति माह

१-६-६१ से मंहगाई भत्ता : ३५+२=३७ रुपये प्रति माह

पूर्व तथा वर्तमान सुविधाओं में अन्तर :

| पूर्व मूल वेतन | वर्तमान मूल वेतन | अन्तर | |
|---|---|---|---|
| २६ रुपये | ३४ रुपये | ८ रुपये | } १५ रुपये |
| पूर्व मंहगाई भत्ता | वर्तमान मंहगाई भत्ता | अन्तर | |
| ३० रुपये | ३७ रुपये | ७ रुपये | |

———

# परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १६६ का उत्तर देखिये)

**बांसवाड़ा जिले की पंचायत समितियों में कृषि के सिंचाई के कुओं के लिए सन् १६६१–६२ व १६६२–६३ में दिये गये ऋण व अनुदान की सूची:—**

| क्रम सं० | नाम पंचायत समिति | वर्ष | अनुदान की राशि | संख्या कृषक | ऋण की राशि | संख्या कृषक | कार्य पूर्ण किया गया | कार्य अपूर्ण | पूरा न होने के कारण | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ |
| १. | सज्जनगढ़ .. | ६१–६२ | — | — | ३४७६०) | ८० | ७२ | ८ | — | कार्य प्रगति पर है । |
| | | ६२–६३ | — | — | ४३६५०) | १०० | ६३ | ३७ | — | |
| २. | पीपलखूंट .. | ६१–६२ | ३३५०) | २८ | २०७००) | ३३ | १८ | २५ | (क) क्षेत्र कठोर चट्टानी पठारी भाग है । | |
| | | ६२–६३ | ४१००) | १६ | — | — | ८ | ४ | (ख) यह आदिवासी क्षेत्र है और कृषकों की आर्थिक हालत कमजोर है । (ग) चूना घाटोल और कमेरा से लाना पड़ता है । | |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३. | गढ़ी .. | ६१–६२ | १९५०) | ११ | ४०४५०) | ८२ | ८२ | ११ | सख्त पत्थर आजाने से खुदाई से अधूरे हैं । | |
| | | ६२–६३ | ४१९७) | १२ | २५२५०) | ३७ | ३९ | १० | | |
| ४. | बागीडोरा .. | ६१–६२ | — | — | ६०७५०) | ९५ | — | ८० | अधिकतर आदिवासी क्षेत्र है । | ये कार्य प्रगति पर हैं । |
| | | ६२–६३ | १५००) | ६ | ६२९५०) | २४ | — | १९ | आर्थिक स्थिति से पिछड़ा हुआ है । | ये कार्य प्रगति पर हैं । |
| ५. | बांसवाड़ा मु० .. | ६१–६२ | १२२५०) | २५ | २१६००) | ३८ | ४७ | १६ | — | ये कार्य प्रगति पर हैं । |
| | तलवाड़ा | ६२–६३ | ७५०) | २ | २१२००) | २३ | १६ | ९ | — | ये कार्य प्रगति पर हैं । |
| ६. | घाटोल .. | ६१–६२ }<br>६२–६३ } | ९३५०) | २४ | २५०००)<br>५९१००) | ३६<br>९८ | २१<br>५५ | १५<br>६७ | पहाड़ी क्षेत्र होने से कुओं में पत्थर आ जाता हैं कृषकों की आर्थिक स्थिति भी खराब हैं । | |
| ७. | कुशलगढ़ .. | ६१–६२ | ५७०५०) | १२५ | १७५६०) | ५५ | — | — | — | कार्यों के पूर्ण व अपूर्ण होने की जांच की जा रही हैं । |
| | | ६२–६३ | ४८१५०) | १३९ | १५१६०) | ५७ | — | — | — | |
| ८. | मूखिया .. | ६१–६२ | ११६५०) | ५६ | २६५९०) | ७९ } | } १४० | ८७ | पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण खुदाई में पत्थर आ जाता हैं । कृषकों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हैं । | |
| | | ६२–६३ | ४५८६) | ३१ | २४७५०) | ६१ } | | | | |

## शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक २ सितम्बर, १९६३)

| स्कम्भ सं० १ | पंक्ति संख्या २ | अशुद्धि ३ | शुद्धि ४ |
|---|---|---|---|
| २ | ८ | उप-मंत्री शिक्षा श्री (निरंजननाथ आचार्य) : | उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य): |
| ६ | २२ | ता | तो |
| ७ | शीर्षक | २ दिसम्बर, | २ सितम्बर, |
| ,, | अन्तिम से ५ | श्री मानिकचन्द सुगणा: | श्री मानिकचन्द सुराणाः |
| ६ | १६ | निर्धारित | निर्धारित |
| ,, | अन्तिम से ६ | इंजीनिरिंग | इंजीनियरिंग |
| १३ | २०, २३ | श्री नाथूराम करोल | करील |
| १४ | १६ | ,, | ,, |
| ,, | २२ | श्री रामप्रसाद लड्ढा: | श्री रामप्रसाद लड्डा: |
| १५ | १, १२, २०, ३१ | श्री नाथूराम करोल | करील |
| १६ | ५ | ,, | ,, |
| ,, | १२ | श्री योगेनाथ हांडा | श्री योगेन्द्रनाथ हांडा |
| १७ | अन्तिम से ५ | श्री आनन्दसिह कछावाह | श्री आनन्दसिंह कछवाहा |
| २७ | १० | लड्डा) | लड्ढा) |
| २६ | शीर्ष | लड्ढा) हूं फिर भी | (श्री रामप्रसाद लड्डा) हूं फिर भी |
| ,, | १५ | सरकूलर | सर्क्यूलर |
| ३० | २१ | राजरव | राजस्व |
| ३४ | ३ | (नसीरावा), | (नसीराबाद) |
| ३६ | १ | कुओं | कुओं |
| ,, | १८, १६ | (श्री भवानीशंकर नन्दवान) | (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) |
| ४२ | ६ | स्कुलों | स्कूलों |
| ४६ | १८ | श्री योगन्द्रनाथ हांडा | श्री योगेन्द्रनाथ हांडा |
| ४८ | ८ | (३.३० म० पू०) | (३.३० म० प०) |
| ४६ | अन्तिम से ७ | मालम | मालूम |
| ५२ | २० | श्री मानकचन्द सुराणा: | श्री मानिकचन्द सुराणा: |
| ५४ | ६ | प्ररिवर्तित | परिवर्तित |
| ५७ | शीर्ष | (श्री यीगेन्द्रनाथ हांडा) | (श्री योगेन्द्रनाथ हांडा) |
| ,, | अन्तिम से ३ | (मोहनलाल सुखाडियां) | (श्री मोहनलाल सुखाडिया) |
| ५८ | १२ | पचपद्रा | पचपदरा |
| ५६ | १४, २५ | ,, | ,, |
| ६० | ४, ८ | ,, | ,, |
| ६५ | १ | (श्री रामप्रसाद लढ्ढा) | (श्री रामप्रसाद लड्ढा) |
| ६८ | १५ | सरक्यूलर | सर्क्यूलर |
| ७१ | शीर्षक | ता ंकित | तारांकित |
| ,, | अन्तिम से ५ | (श्री रामप्रसाद लडढा): | (श्री रामप्रसाद लड्ढा) |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| ७२ | १ | कानन | कानून |
| ,, | अन्तिम से ७ | (श्री रामप्रसाद लडढा) | (श्री रामप्रसाद लड्ढा) |
| ७५ | १ | म | में |
| ७६ | १६ | रिपार्ट | रिपोर्ट |
| ,, | अन्तिम से ५ | बासवाडा | बांसवाडा |
| ७८ | १८ | उप-मन्त्री, उद्योग, (श्री चन्दनमल वद) | उप-मंत्री, उद्योग, (श्री चन्दन मल वैद) |
| ,, | अन्तिम से ४ | नकसान | नुकसान |
| ७९ | शीर्षक | पलाना में काम बन्द होने से उत्पन्न–२ सितम्बर, ६३–स्थिति पर ध्यान आकार्षित | तारांकित प्रश्नोत्तर– २ सितम्बर, ६३–पलाना में काम बन्द होने सम्बन्धी |
| ८२ | २६ | प्राजेक्ट | प्रोजेक्ट |
| ८४ | २३ | श्री मुरलीधर व्यास | श्री मुरलीवर व्यास |
| ८६ | शीर्षक | आर्किषित | आकर्षित |
| ८९ | शीर्षक | राजस्थान जन-सेवा आयोग के–२ सितम्बर, ६३--प्रतिवेदनों पर विचार | पलाना में काम बंद होने से उत्पन्न–२ सितम्बर, ६३–स्थिति पर ध्यान आकर्षित |
| ९४ | ६,११ | टम्पोरेरी | टेम्पोरेरी |
| ९८ | १ | अनियमितनाएं | अनियमितताएं |
| ,, | २१ | वार्निग | वर्निंग |
| १०५ | शीर्षक | जन-सेत्रा | जन-सेवा |
| ,, | ४ | र्साविसेज | सर्विसेज |
| १०७ | अन्तिम से ३ | इररेगूलर | इर्रेगुलर |
| १०८ | १, १० | ,, | ,, |
| ,, | २० | मं | में |
| ११० | ७ | एफीशियेसी | एफीशियेन्सी |
| ,, | अन्तिम से ३, ४ | कोन्फीडेन्स्यल | कान्फीडेन्शियल |
| ११२ | अन्तिम से ३ | मट्रिकुलेट्स | मैट्रिकुलेट्स |
| ११३ | शीर्षक | जन–सेवाआयोग | जन–सेवा आयोग |
| ,, | ११ | मकाबले | मुकाबले |
| ,, | अन्तिम से ५-६ | रिमाकस | रिमार्कस |
| ११७ | अन्तिम से २ | अमेन्डमेटन्स | अमेन्डमेन्ट्स |
| १२९ | शीर्ष | (श्री दुर्गालाल वाढकर) | (श्री दुर्गालाल बाढ़दार) |
| १३१ | १६ | एपोइन्टमेट | एपोइन्टमेन्ट |
| १३५ | १७ | ओबजर्वेशन | ओब्जर्वेशन |
| १३६ | १०, १६ | उच्चतम | उच्चतम |
| १४२ | १४ | इमपार्शियल | इम्पार्शियल |
| १४५ | ८ | रिपार्ट्स | रिपोर्ट्स |
| १४७ | अन्तिम से ४–३ | समझत हूं | समझता हूं |
| १५१ | १७,१९ | टेकनिक्ल | टेक्निकल |
| १५६ | अन्तिम से ९ | कस | केस |
| १६० | १ | छुटटी | छुट्टी |
| ,, | २३ | कॉन्फिडेन्शियल | कॉन्फिडेन्शियल |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| १६१ | २२ | सर्बिसेज | सर्विसेज |
| १६१ | २७, २८ | डिपार्टमन्ट्म | डिपार्टमेन्ट्स |
| १६३ | ६ | डांक्यूमेन्ट्स | डाक्यूमेन्ट्स |
| १६४ | अन्तिम से ११ | इगुर्रलेरीटीज | इर्रेगुलेरिटीज |
| १६५ | २४ | कोआंपरेटिव | कोऑपरेटिव |
| १७० | अन्तिम से ६ | अपोइटमेन्ट | अपोइन्टमेन्ट। |
| १७१ | ६ | ट्रांसफर | ट्रान्सफर |
| ,, | १६ | मरी | मेरी |
| १७३ | अन्तिम से ८ | राजस्यन | राजस्थान |
| १७७ | शीर्षक | राजस्थान जन-सेवा आयोग—२ सितम्बर, ६३—के प्रतिवेदनों पर विचार | जन-सेवा आयोग का प्रतिवेदन—२ सितम्बर, ६३ पुलिस विधेयक |
| १७८ | ८ | राजस्थान सेवा | राजस्थान जन-सेवा |
| १८२ | ८ | बेक लॉग | बेक लॉक |
| १९५ | शीर्षक | राजस्थान जन-सेवा आयोग—२ सितम्बर, ६३—के प्रतिवेदनों पर विचार | अनुसूचित जातियों एव—२ सितम्वर, ६३—आदिम जातियों के प्रतिवेदन |
| १९६ | अन्तिम से २ | रिपोर्ट्स | रिपोर्ट्स |
| १९७ | ६, १६ | वियडा | वियड्रा |
| २०१ | २२ | हए | हुए |
| २०२ | १० | कलेक्टर | कलेक्टर |
| २०५ | ७ | आवश्यकत | आवश्यकता |
| २१७ | ७ | अनुभिज्ञता | अनभिज्ञता |
| २१८ | १२ | जडिशियरी | जुडिशियरी |
| ,, | २४ | खामिया बताई थी | खामियां बताईं थीं |